

बेसल मानदंड (Basel Criterion)

बैंक पर्यवेक्षण पर बेसल कमेटी (Basel Committee on Bank Supervision-BCBS) समझौतों का एक सेट जो पूँजीगत जोखिम, बाजार जोखिम तथा संचालकीय जोखिम के सन्दर्भ में बैंकिंग विनियामकों पर सिफारिशें देती हैं। मानदण्डों के मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय संस्थान अपनी देयताओं व अप्रत्याशित घाटों की पूर्ति के लिए पर्याप्त पूँजी अपने पास सुरक्षित रखें।

बेसल मानदण्ड की आवश्यकता (Basel Criteria required)

वर्ष 1980 के दशक में यह महसूस किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक जोखिमों (कर्ज में डूबे देशों की संख्या में बढ़ोत्तरी के सन्दर्भ में) के समय मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों का पूँजी अनुपात चिंताजनक स्थिति में पहुँच गया। 10 केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों ने अपनी बैंकिंग प्रणाली में पूँजी मानक के क्षरण को रोकने के लिए विचार-विमर्श किए। विचार-विमर्श का मुख्य विषय था बैंकों की बैलेंस शीट पर जोखिम। कमेटियों के सदस्यों में इस बात को लेकर सहमति थी कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता को मजबूती प्रदान करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय अभिसंविदा तैयार की जाये। इसी के मद्देनजर दिसम्बर 1987 में 'पूँजी मापन प्रणाली' पर एक दस्तावेज जारी किया गया जिसे 'बेसल पूँजी अभिसंविदा (Basel Capital Accord)' भी कहा गया। इसे बेसल मानक भी कहा गया। अभी तक तीन बेसल मानक प्रकाशित किये गये हैं। अन्तिम मानक प्रथम दो का संशोधित, उन्नत व प्रासंगिक मानक है।

बेसल(Basel)-I

बैंक पर्यवेक्षण पर बेसल कमेटी द्वारा वित्तीय संस्थानों द्वारा साख जोखिम को कम करने हेतु अपने पास रखे जाने वाली न्यूनतम पूँजी अनिवार्यता बेसल- I - मानदण्ड हैं। ये मानदण्ड पहली बार वर्ष 1988 में रखे गये थे। इसके तहत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने वाले वित्तीय संस्थानों को अपनी जोखिम भारांश संपदा (Risk Weighted Assets) के बराबर या न्यूनतम 8 प्रतिशत टीयर-1 व टीयर-2 पूँजी अपने पास रखना अनिवार्य किया गया। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बैंक की जोखिम भारांश संपदा 100 मिलियन डॉलर है तो उसे न्यूनतम 8 मिलियन डॉलर की पूँजी अपने पास रखनी होगी। इसका उद्देश्य मुख्यतः वित्तीय संस्थानों में जमाकर्ताओं के धन को सुरक्षित रखना था।

बेसल- I के तहत बैंकों की संपदा को पाँच जोखिम श्रेणियों में विभाजित किया गया था ये थे-

1. 0% जोखिम : नकदी, राष्ट्रों की केन्द्रीय बैंक व सरकारी ऋण तथा किसी ओईसीडी देशों का कर्ज
2. 0%, 10%, 20% या 50% : सार्वजनिक क्षेत्रक ऋण

3. 20% : विकास बैंक ऋण, ओईसीडी बैंक ऋण, ओईसीडी प्रतिभूति कम्पनी ऋण, गैर-ओईसीडी बैंक ऋण (एक वर्ष तक वाला) व गैर-ओईसीडी सार्वजनिक क्षेत्र ऋण
4. 50% : आवासीय ऋण (आवास गिरवी)
5. 100% : रियल इस्टेट, निजी क्षेत्र ऋण, गैर-ओईसीडी बैंक ऋण (एक वर्ष से ऊपर का)

बेसल(Basel)- II

बेसल- II बेसल मानदण्ड का दूसरा चरण है। यह 26 जून, 2004 को जारी किया गया और वर्ष 2006 से लागू करने का प्रावधान किया गया। वर्ष 1990 के दशक की कुछ आर्थिक घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि बैंकों के समक्ष जोखिम केवल साख या कर्ज से ही नहीं जुड़ा हुआ है वरन् संचालकीय जोखिम के अलावा मूल्यों, ब्याज दरों या विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण हुए घाटों से भी जुड़ा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए बेसल दो मानदण्ड जारी किये गये। जहाँ बेसल एक साख जोखिम पर केन्द्रित था वहीं बेसल दो का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों द्वारा अलग रखे जानी वाली पूँजी के लिए मानक तैयार करना व उसका विनियमन करना था।

बैंकों को निवेश व कर्ज देने की अपनी गतिविधियों के साथ जुड़े जोखिमों के मद्देनजर पूँजी अलग रखना जरूरी होता है। बेसल-2 मानदण्ड मुख्यतः तीन कारकों पर प्रभाव डालता है। ये हैं- पूँजी पर्याप्तता, पर्यवेक्षीय मूल्यांकन व बाजार अनुशासन। बेसल कमेटी इन तीनों कारकों को जोखिम प्रबन्धन के तीन स्तम्भ मानती है। बेसल-2 मानदण्ड की पूँजी पर्याप्तता स्तम्भ के तहत बैंकों के लिए 8 प्रतिशत की पूँजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio-CAR) या जोखिम भारांश संपदा अनुपात (Capital to Risk Weighted Assets Ratio-CRAR) बनाए रखना अनिवार्य है।

सामान्यतः बैंक तीन प्रकार की जोखिमों का सामना करते हैं; ऋण सम्बन्धी जोखिम, संचालकीय जोखिम व बाजार जोखिम। पर्यवेक्षीय मूल्यांकन (Supervisory Review) के तहत के बेसल-2 मानदण्ड यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बैंक न केवल अपने जोखिमों की भरपाई के लिए अपने पास पर्याप्त पूँजी रखे वरन् अपने जोखिमों की निगरानी व प्रबन्धन के क्रम में बेहतर जोखिम प्रबन्धन तकनीक का उपयोग व विकास भी करे।

बाजार अनुशासन (Market Discipline) बैंकों पर अपनी बैंकिंग व्यवसाय को सुरक्षित, सुदृढ़ व प्रभावी तरीके से संचालन करने का निर्देश देता है। बैंकों के लिए अपनी पूँजी, जोखिम विवरण या एक्सपोजर देना अनिवार्य है ताकि बाजार के भागीदार उस बैंक की पूँजी पर्याप्तता का अनुमात लगा सके।

बेसल(Basel)- III



वर्ष 2008 की अमेरिकी सब प्राइम संकट व वैश्विक संकट के परिप्रेक्ष्य में बेसल 3 मानक तैयार किये गये। बेसल 2 में किसी खास बैंक के जोखिमों व विनियमनों को केन्द्र में रखा गया था पर आर्थिक संकट को देखते हुए पूरी आर्थिक व्यवस्था की वित्तीय स्थिरता पर बेसल-3 मानक के केन्द्र में रखा गया है। इसके तहत बैंकों को जोखिम संपदा भारांश का 4.5 प्रतिशत कॉमन इक्विटी (बेसल-2 मानक में यह 2 प्रतिशत था) व 6 प्रतिशत टियर-1 पूँजी (बेसल-2 में यह 4 प्रतिशत था) अपने पास रखने होंगे। बैंकों को अपने पास 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त पूँजी बफर भी रखना होगा। जो बैंक इस बफर को नहीं रख पाएँगे उन्हें शेयर पुनर्खरीद, लाभांश व बोनस भुगतान पर प्रतिबंध सामना करना पड़ेगा।

हाल के संकट ने यह प्रदर्शित किया कि बैंकों को आर्थिक विकास के दौरान कैपिटल बफर्स बनाने चाहिये। यह बफर बैंकों को आर्थिक मंदी के दौरान अपने घाटों की भरपाई में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों को 3 प्रतिशत का न्यूनतम लीवरेज अनुपात भी रखना होगा। साथ ही बैंकों को लिक्विडिटी कवरेज अनुपात का भी पालन करना होगा, जिसके लिए उन्हें 30 दिन की कठिन अवधि का सामना करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली परिसम्पत्तियाँ बनाये रखने की जरूरत होगी। एक स्थिर कोष अनुपात जनवरी 2018 से अस्तित्व में आएगा जिसका मकसद बैंकों की बैलेंस शीट में नगदी से जुड़ी दीर्घकालीन एवं संरचनात्मक विसंगतियाँ दूर करने की जरूरत होगी।

बेसल-3 मानदण्ड एक जनवरी, 2013 से लागू हो जाएँगे और इन्हें 1 जनवरी, 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा।

सफलता हेतु क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है

(Implementation is Important for Success)

वैसे बेसल-3 मानक के क्रियान्वयन के लिए बैंकों की दी जा रही लम्बी अवधि राष्ट्रीय विनियामकों के लिए सरदर्द के रूप में देखा जा रहा है। आशंका यह भी व्यक्त की जा रही है कि क्या बेसल-3 मानक बैंकों की जोखिम को कम करने में अपने पहले मानक से अधिक सफल हो पाएगा?

बेसल-3 के निर्देश बेसल-2 की तुलना में अधिक कठिन हैं। बेसल-2 बैंकों को वर्ष 2008 की आर्थिक संकट से नहीं बचा पाया जो कि वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी के बाद की सबसे बड़ी मंदी थी।

वैसे बेसल-3 बैंकों को अपने पास तीन गुना अधिक उच्च गुणवत्ता वाली पूँजी रखना अनिवार्य करता है, पर इसका समय व विषय वस्तु में अभी भी गहन कमियाँ हैं जो सुधारों की प्रभावशीलता को दबा सकती है।

बेसल-3 मानक के सभी मानदण्ड वर्ष 2019 तक पूरे किये जाने हैं जो पर्यवेक्षकों एवं उसके राजनीतिक नेतृत्व के समक्ष बैंकिंग सेक्टर में पर्यवेक्षण का वही संवेग बनाये रखने पर चुनौती प्रस्तुत करेगा। संदेह यह भी है कि वैश्विक संकट की यादें धुंधली हो जाने पर बैंकिंग सेक्टर अत्यधिक रिटर्न प्राप्ति के लिए लामबंद हो सकते हैं जिससे बेसल-3 मानक का क्रियान्वयन खटाई में पड़ सकता है।

भारत में बेसल मानदण्डों का क्रियान्वयन

(Implementation of Basel Norms in India)

भारतीय रिजर्व बैंक ने बेसल कमेटी के द्वारा 1988 में आरम्भ किया गया पूँजी पर्याप्तता मापन से सम्बन्धित जोखिम संपदा अनुपात भारतीय बैंकों के लिए 1992 में शुरू किया। विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत में भी बेसल-1 मानदण्डों को वर्ष 1999 में अपनाया गया। बेसल-1 मानदण्डों के अपनाने का प्रत्यक्ष असर भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर देखा गया। इन बैंकों की गैर-निष्पादक परिसम्पत्तियाँ यानी एनपीए कुल साख का वर्ष 1997-98 के 8.1 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2003-04 में 2.9 प्रतिशत आ गया। यहाँ तक कि वित्तीय वर्ष 2003-04 में एनपीए में निरपेक्ष में गिरावट दर्ज की गई। बेसल-1 की सफलता से आशान्वित होकर ही भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय संस्थानों के लिए बेसल-2 मानक अपनाने पर बल दिया।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारतीय बैंक बेसल-3 के अनुसार नए पूँजी नियमों को आसानी से लागू कर लेंगे। आरबीआई के मुताबिक भारतीय बैंकों में कुल पूँजी और जोखिम पूर्ण परिसम्पत्तियों का अनुपात 30 जून, 2010 को 11.7 प्रतिशत था जबकि बेसल-3 नियमों के अनुरूप इसे 10.5 प्रतिशत ही होना चाहिये। भारतीय बैंकों के पास टियर-1 पूँजी 9 प्रतिशत है जबकि बेसल-3 नियमों के मुताबिक 8.5 प्रतिशत आवश्यक है। हालांकि कुछ भारतीय बैंक बेसल-3 नियम के पालन के क्रम में पूँजी की कमी की स्थिति का सामना कर सकते हैं।

बेसल-3 दिशा-निर्देश में पूँजी पर्याप्तता प्रतिशत (Capital Adequacy Percentage) की गणना करते वक्त की जाने वाली कटौतियों (deductions) में बदलाव भी किये गये हैं। इस बदलाव से भी भारतीय बैंक प्रभावित हो सकते हैं। एक प्रस्तावित दिशा-निर्देश के मुताबिक कटौती योग्य कटौती तभी की जा सकती है जब वे समन्वित स्तर से मूल पूँजी से 15 प्रतिशत अधिक होते हैं या एकल स्तर पर 10 प्रतिशत से बढ़ जाते हैं। वैसे इससे भारतीय बैंकों के प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार सभी अनुमान्य कटौतियाँ की जाती हैं।

बेसल-3 में मूल पूँजी (Core Capital) से 100 प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों; टियर-1 पूँजी से 50 प्रतिशत व टियर-2 पूँजी से 50 प्रतिशत कटौती से अधिक कड़ा प्रस्ताव है।

बेसल-3 मानकों के अनुपालन का मतलब है भारतीय बैंकों द्वारा विनियामकीय पूँजी अनिवार्यता में बढ़ोत्तरी। मानक के अनुसार न्यूनतम मूल पूँजी को बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत करना है। इसके अलावा 2.5 प्रतिशत की बफर पूँजी भी जरूरी है। इसका मतलब है कि बैंकों को 7 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत की पूँजी का भंडार हालांकि पहले से ही भारतीय बैंक 6 प्रतिशत की पूँजी पर्याप्तता अनुपात रखे हुये हैं। पर एक ओर जहाँ निजी व भारत में संचालित विदेश बैंकों का मूल पूँजी अनुपात 9 प्रतिशत के आपसपास है वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मूल पूँजी अनुपात इससे काफी कम है। सार्वजनिक क्षेत्र के ये बैंक जोकि बैंकिंग सेक्टर की संपदा में 70 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं और जो उत्पादक क्षेत्र को के वित्तीयन के प्रमुख स्रोत हैं, वे बेसल-3 मानक के पालन के पश्चात् कुछ संयम का सामना करेंगे। चूँकि सार्वजनिक क्षेत्र के इन बैंकों में सरकार की

हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से अधिक है, ऐसे में बैंक बाजार से स्वतन्त्र रूप से पूँजी भी नहीं उठा सकते। कुछ बैंकों में तो सरकार की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से भी अधिक है। सरकार के सामने एक विकल्प इन बैंकों का पुनर्पूँजीकरण है।

बेसल-3: आरबीआई द्वारा जारी किये दिशा-निर्देश

(Basel-3: Guidelines Issued by RBI)

- भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 दिसम्बर, 2011 को भारत में बेसल-3 नॉर्म्स लागू करने हेतु प्रारूप दिशा-निर्देश जारी किये। प्रारूप दिशा-निर्देशों पर 15 फरवरी, 2012 तक राय माँगी गई। प्रारूप के अनुसार यदि सब कुछ ठीक रहा तो, भारत में बैंकिंग नियमन से सम्बन्धित बेसल-3 मानक 1 जनवरी, 2013 से लागू होंगे जबकि इसका पूर्णतया क्रियान्वयन 31 मार्च, 2017 से किया जाएगा। प्रारूप दिशा-निर्देश की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं
- कॉमन इक्विटी टायर-1 पूँजी, जोखिम भारांश आस्तियों (Risk Weighted Assets-RWAs) का न्यूनतम 5.5% होना चाहिए।
- टायर-1 पूँजी जोखिम भारांश आस्तियों का कम से कम 7% होना चाहिए।
- कुल पूँजी जोखिम भारांश आस्तियों का कम से कम 9% अवश्य होना चाहिए।
- कॉमल इक्विटी के रूप में पूँजी संरक्षण बफर जोखिम भारांश आस्तियों का 2.5% होना चाहिए। इसे 31 मार्च, 2014 और 31 मार्च, 2017 के बीच लागू किया जाएगा।
- ऐसे साधन जो कि विनियामकीय पूँजी साधन के योग्य के बीच नहीं होंगे उन्हें 1 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2022 के बीच चरणबद्ध ढंग से हटा दिया जाएगा।

क्या है टायर-1 कैपिटल (What is Tier-1 Capital)

पूँजी पर्याप्तता अनुपात क्या है? (What is Capital Adequacy Ratio)

इस अनुपात का प्रयोग जमाकर्ताओं के संरक्षण व विश्व भर की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता व दक्षता के संवर्द्धन के लिए किया जाता है।

टायर-1 कैपिटल (Tier-1 Capital)

इस शब्द का इस्तेमाल बैंकों की पूँजी पर्याप्तता को वर्णित के लिए किया जाता है। टायर-1 बैंकों की केन्द्रीय या मुख्य पूँजी होती है जिसमें शामिल है- इक्विटी कैपिटल व ज्ञात भण्डार (Disclosed reserves) इक्विटी कैपिटल वह निवेशित धन है जिसे सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया में निवेशक को पुनर्भुगतान नहीं की जाती है। टायर-1 सर्वाधिक विश्वसनीय पूँजी मानी जाती है।

टायर-2 कैपिटल (Tier-2 Capital)

यह भी बैंकों की पूँजी पर्याप्तता का ही घटक है। यह बैंकों की

द्वितीयक पूँजी होती है जिसमें अप्रकटित भण्डार (Undisclosed reserves), पुनर्मूल्यित भण्डार सामान्य प्रावधान, हाइब्रिड इन्स्ट्रुमेंट, अधिनस्थ कर्ज इत्यादि आते हैं। अधिनस्थ कर्ज (Subordinate term debt) असुरक्षित कर्ज या वैसा कर्ज है जो अन्य कर्जों दावों की तुलना में कम प्राथमिकता वाला होता है। अप्रकटित भण्डार के तहत कोई बैंक लाभ अर्जित करता है पर वह उसको सामान्य लाभ के रूप में नहीं दर्शाता है। वैसे इन्स्ट्रुमेंट को हाइब्रिड इन्स्ट्रुमेंट कहा जाता है जिनमें कर्ज व शेयरहोल्डर्स इक्विटी, दोनों की विशेषताएँ निहित होती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन (International Financial Organizations)

विश्व बैंक (World Bank)

द्वितीय विश्व युद्ध से न केवल बहुमुखी व्यापार प्रभावित हुआ अपितु अनेक देशों की जीवन और सम्पत्ति को भी हानि पहुँची। विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिए यह आवश्यक था कि जर्जर अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण तथा अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाए।

इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की योजना स्वीकार की गई। इस बैंक को विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है तथा इसकी स्थापना भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही पूरक संस्था के रूप में हुई। विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसम्बर, 1945 ई. को हुई तथा इसने 25 जून, 1946 ई. से कार्य प्रारम्भ किया।

विश्व बैंक के उद्देश्य (Objectives of World Bank)

- सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण एवं विकास (Reconstruction And Development Of Member Nations)** विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य युद्ध जर्जरित राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और अल्पविकसित देशों के आयोजित विकास में आर्थिक सहायता प्रदान करना था।
- पूँजी विनियोग को प्रोत्साहन (Incentive To Capital Appropriation)**- विश्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य निजी विनियोगकर्ताओं को उनकी पूँजी की गारन्टी देकर अथवा ऋणों में भाग लेकर उन्हें पिछड़े हुए देशों में उत्पादक विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- दीर्घकालीन सन्तुलित व्यापार को प्रोत्साहन देना (Promoting Long-Term Balanced Trade)**- इसका तीसरा उद्देश्य विदेशी व्यापार के दीर्घकालीन सन्तुलित विकास में सहायता प्रदान करना है और इस प्रकार उत्पादकता, रहन-सहन के स्तर और श्रमिक वर्ग की दशाओं के सुधार को प्रोत्साहित करना है।
- शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था की स्थापना (Establishment Of Peaceful Economy)** सदस्य देशों की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है।

विश्व बैंक की सदस्यता (World Bank Membership)

1944 ई. में जो देश मुद्रा कोष के प्रारम्भिक सदस्य बने, वे सब विश्व बैंक के भी सदस्य मान लिए गए थे। बाद में सदस्यों का प्रवेश तत्कालीन सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत से किया जाता रहा है।

मताधिकार (Franchise)

विश्व बैंक के सदस्य देशों की मताधिकार शक्ति उनके अंशदान पर निर्भर करती है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के 250 मत होते हैं तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक 1 लाख डालर के अंशदान पर एक अतिरिक्त मत प्राप्त होता है। 1 मार्च, 1994 ई. में अमेरिका और भारत के मतों का कुल मतों का कुल मतों में प्रतिशत क्रमशः 17.03 और 3.10 था।

विश्व बैंक का संगठन (World Bank Organization)

विश्व बैंक के संगठन के अन्तर्गत निम्न को शामिल किया जाता है-

- गवर्नर मण्डल (Governor's Board)**- इस मण्डल में प्रत्येक राष्ट्र एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर की नियुक्ति करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये बैंक के अंशधारियों के प्रतिनिधि होते हैं। और बैंक की समस्त शक्ति गवर्नर मण्डल में निहित होती है। इसकी प्रतिवर्ष एक साधारण सभा होती है।
- कार्यकारी संचालक मण्डल (Executive Board Of Directors)**- कार्यकारी संचालकों की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है। वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। ये संचालक बैंक की सामान्य क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक नियुक्त संचालक अपने को नियुक्त करने वाले सदस्य राष्ट्र का मत डालता है।
- सलाहकार परिषद् (Advisory Council)**- 7 सदस्यों की एक सलाहकार परिषद् गठित की गई है जिसमें बैंकिंग, व्यापार, उद्योग, श्रम तथा कृषि के विशेषज्ञ होते हैं।
- ऋण समितियाँ (Credit Societies)**- सदस्य देशों द्वारा माँगे गए ऋणों की उपयुक्त जाँच करने के लिए बैंक ऋण समितियाँ नियुक्त करता है जो यथा समय अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं।

विश्व बैंक के कार्य (Functions of World Bank)

विश्व बैंक मुख्य रूप से निम्न कार्य करता है-

- ऋण प्रदान करना (Provide Credit)**- विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋण देता है। इसकी अवधि 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की होती है। ऋणों को सदस्य देश के केन्द्रीय बैंक के माध्यम से दिया जाता है। ऋणों की व्यवस्था सदस्य देश की सरकार या उस देश में रहने वाले निजी उद्यमकर्ताओं, दोनों के लिए की जा सकती है। निजी उद्योगों को दिए गए ऋणों के लिए सम्बन्धित देश की केन्द्रीय बैंक अथवा सरकार की गारन्टी आवश्यक होती है। विश्व बैंक अन्तिम ऋणदाता के रूप में होता है। विश्व बैंक केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण देता है। विश्व बैंक द्वारा प्रमुख रूप से बिजली, परिवहन, उद्योग, कृषि, शिक्षा, जलापूर्ति आदि कार्यों के लिए ऋण दिए जाते हैं।
- ऋण तीन प्रकार के होते हैं-

- (i) **प्रत्यक्ष ऋण (Direct loan)**- प्रत्यक्ष ऋण अपने निजी साधनों से अथवा खुले बाजार में ऋणपत्र निर्गमित करके दिए जाते हैं।
- (ii) **गारन्टीयुक्त ऋण (Guaranteed loan)**- निजी विनियोगकर्ताओं को गारन्टी देकर ऋण दिलाए जाते हैं जो बहुधा विकास परियोजनाओं के लिए होते हैं।
- (iii) **संयुक्त ऋण (Joint loan)**- व्यापारिक बैंकों के साथ मिलकर भी बैंक ऋण देता है। इस समय अधिकांश ऋण संयुक्त प्रकार के ही होते हैं।
2. **तकनीकी सहायता (Technical Support)**- विश्व बैंक सदस्य देशों को तकनीकी सहायता देकर उनके पुनर्निर्माण व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंक ने सदस्य देशों के विस्तृत आर्थिक सर्वेक्षण कराए हैं ताकि इन देशों के प्राकृतिक स्रोतों, आर्थिक विकास की सम्भावनाओं आदि के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
3. **प्रशिक्षण व्यवस्था (Training System)**- सदस्य देशों की विकास योजनाओं के सफल संचालन के लिए बैंक प्रशिक्षण सुविधाएँ भी देता है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अविकसित देशों के उच्च पदस्थ अधिकारियों को आमन्त्रित करके उन्हें सार्वजनिक वित्त, साख व्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार, भुगतान सन्तुलन आदि के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया जाना है जिससे वह अपने देश में उपरोक्त क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्याओं का सही समाधान कर सकें।
4. **अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा (Settlement Of International Disputes)**- एक अन्तर्राष्ट्रीय निष्पक्ष संगठन होने के कारण विश्व बैंक एक ऐसी संस्था बन गई है, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का कार्य सौंपा जा सकता है। इस प्रकार बैंक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सद्भाव बढ़ाने का एक बड़ा साधन है। 1956 ई. में ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण के विवाद का मध्यस्थता द्वारा निपटारा कराया गया। इसी प्रकार 1960 ई. में भारत- पाकिस्तान के सिन्धु नदी के जल बँटवारे के विवाद को समाप्त कराया गया।

विश्व बैंक और भारत (World Bank and India)

भारत के प्रारम्भिक विकास में विश्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एशियाई राष्ट्रों में सर्वप्रथम 1949 में पहला ऋण विश्व बैंक द्वारा भारत को ही दिया गया। वर्तमान में विश्व बैंक में भारत का अभ्यांश 5404 मिलियन डॉलर है।

भारत के विश्व बैंक से जुड़े कुछ तथ्य-

1. **संस्थापक सदस्य (Founder Member)**- भारत IMF एवं विश्व बैंक का संस्थापक सदस्य है। इसकी स्थापना से ही भारत इसका सदस्य है।
2. **कार्यकारी निदेशक (Executive Director)**- 1970 ई. तक भारत सबसे बड़े पाँच अंशधारियों में से एक था और इसी कारण उसे बैंक के कार्यकारी निदेशक मण्डल में स्थायी स्थान प्राप्त था। अब इसका स्थान जापान ने ले लिया है।
3. **सभापतित्व (Chairmanship)**- सितम्बर 1951 ई. में भारत ने बैंक के वार्षिक अधिवेशन का सभापतित्व किया।

4. **बैंक सन्देश (Bank Message)**- जब से भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं को आरम्भ किया है तभी से वह बैंक विशेषज्ञों को आमन्त्रित करता रहा है। प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक का एक मिशन भारत आता है जो यहाँ की आर्थिक स्थिति का आकलन करता है तथा हमारी योजनाओं की क्षमता की जानकारी प्राप्त करता है।
5. **भारत सहायता क्लब (India Assistance Club)**- 1958 ई. में भारत सहायता क्लब की स्थापना विश्व बैंक ने की, जिसमें विश्व बैंक के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ एवं दस राष्ट्र हैं। भारत को बराबर भारत सहायता क्लब से सहायता मिलती रही है।
6. **तकनीकी सहायता व परामर्श (Technical Support and Consulting)**- विश्व बैंक भारत को बराबर आर्थिक मुद्दों पर तकनीकी सहायता एवं परामर्श देता रहा है। देश की मौद्रिक नीति के सम्बन्ध में भी वह परामर्श देता है।
7. **प्रशिक्षण सुविधाओं से लाभ (Benefits From Training Facilities)**- समय-समय पर भारत अधिकारियों को उच्च कोटि का प्राविधिक प्रशिक्षण लेने हेतु बैंक के आर्थिक विकास विद्यालय में भेजता रहता है।
8. **सिन्धु जल विवाद (Indus Water Dispute)**- पाकिस्तान के साथ सिन्धु नदी जल के बँटवारे सम्बन्धी विवाद का विश्व बैंक ने निपटारा किया था। अभी कुछ साल पहले कश्मीर घाटी में चेनाब नदी पर बन रही जल विद्युत परियोजना बगलिहार विवाद का निपटारा भी विश्व बैंक ने किया है। इस प्रकार विश्व बैंक एक सच्चे मित्र, सहायक और मार्गदर्शक के रूप में भारत को आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग देता है।

विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights or SDR)

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक विचार मंथन के पश्चात् 1967 में रियो डि जेनेरो (ब्राजील) में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक की वार्षिक सभा में 'विशेष आहरण अधिकार' योजना स्वीकार की गई। 1969 में वाशिंगटन में मुद्रा कोष ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए अंगीकृत कर लिया। विशेष आहरण अधिकार को **कागजी स्वर्ण** भी कहते हैं। यह आभासी मुद्रा है।

विशेष आहरण अधिकार की विशेषताएँ (Features of Special Drawing Rights or SDR):

1. यह एक ऐच्छिक योजना है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य अपनी इच्छानुसार इसका सदस्य बन सकता है।
2. यह कोष रहित मात्र पुस्तक प्रविष्टि है।
3. इसकी मात्रा का विभाजन सदस्य देशों में उनके अभ्यांशों के अनुसार होता है।
4. एस.डी.आर. की इकाई का मूल्य स्वर्ण में रखा गया है।
5. यह कागजी स्वर्ण है। विदेशी भुगतानों में इसका प्रयोग स्वर्ण तथा विदेशी मुद्राओं की तरह उनके स्थान पर किया जाता है।
6. एस.डी.आर. भुगतान सन्तुलन के माध्यम को स्थापित करने में काम आते हैं।
7. निर्धारित राशि से अधिक एस.डी.आर. कोष जमा होने पर ब्याज मिलता है।

8. प्रयोग करने वाले देशों से ब्याज लिया जाता है।
9. एस.डी.आर. का प्रयोग किसी मुद्रा के लेन-देन में ही किया जाता है।
10. इस योजना में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निरीक्षण रहता है तथा वह समय-समय पर निर्देश देता रहता है।

विशेष आहरण अधिकार के उद्देश्य

(Purpose of Special Drawing Rights or SDR)

1. IMF के साधनों में वृद्धि करना, इस योजना का प्रथम व महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस योजना द्वारा मुद्रा कोष के साधनों में वृद्धि हुई है।
2. इस योजना का प्रार्थुभाव की वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से हुआ था। इससे अन्तर्राष्ट्रीय निधियों का सृजन हुआ तथा अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का अभाव दूर हुआ है।
3. इस योजना के अन्य वे सभी उद्देश्य हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य हैं।

एस.डी.आर. की कीमत निर्धारण(Pricing of S.D.R.):

योजना के शुरू के समय आहरण अधिकार का मूल्य डॉलर के अनुरूप रखा गया था। यह व्यवस्था 1 जनवरी 1970 ई. से चालू हुई। थी। उस समय यू.एस. एक डॉलर के बराबर एक एस.डी.आर. रखा गया था। परन्तु दिसम्बर 1971 ई. में डॉलर के अवमूल्य से यह परिवर्तित हो गया। इसके पश्चात् यू.एस. डॉलर से आहरण अधिकार को जोड़ने के तीव्र आलोचना की गई, जिसके कारण जुलाई 1974 ई. से मुद्रा कोष ने एक नई कार्य प्रणाली काम में ली जिसे 'स्टैण्डर्ड बास्केट' बोलते हैं। स्टैण्डर्ड बास्केट में कुल 16 मुद्राओं को रखा गया है जिनको विशेष वजन देते हुए इनके मूल्यों से अब विशेष आहरण अधिकार का मूल्य ज्ञात किया जाता है।

1 जनवरी 1981 ई. में समूह बास्केट के अन्तर्गत सम्मिलित प्रमुख मुद्राओं की संख्या घटाकर 5 कर दी गई। 1 जनवरी 1991 ई. को एस.डी.आर. का मूल्य 5 मुद्राओं का योग है-

- यू. एस. डॉलर (40%)
- ड्यूशमार्क (21%)
- जापानी येन (17%)
- फ्रेंच फ्रैंक (11%)
- पौण्ड स्टर्लिंग (11%)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund of IMF)

विश्व में स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय दर स्थायित्व के साथ स्वतः चलता रहता था परन्तु प्रथम विश्व युद्ध के बाद से इसका स्वार्थी देशों द्वारा दुरुपयोग होना शुरू हो गया तथा यह स्थिति द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने तक चलती रही। द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्थिति और बिगड़ गई। अत्यधिक मुद्रा प्रसार के कारण भी देशों की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई।

अतः 1944 ई. में अमेरिका में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मौद्रिक तथा आर्थिक सम्मेलन बुलाया गया। इसमें 44 राष्ट्रों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि सभी देशों के विकास के लिए दो वित्तीय संस्थाएँ स्थापित की जाएँ-

1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund or IMF)
 2. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक (International Reconstruction and Development Bank or IBRD)
- अतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उन जुड़वाँ संस्थाओं में से एक है जिनको स्थापित करने के निर्णय 1944 ई. में ब्रेटन वुड्स में लिया गया था।

मुद्रा कोष के उद्देश्य (Objectives of Monetary Fund)

कोष की स्थापना निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई-

1. **विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व (Stability In Foreign Exchange Rates):-** सदस्य देशों की मुद्राओं की विनिमय दरों को स्थायी बनाए रखना और इसके लिए किसी भी सदस्य को उसकी मुद्रा के बदले अन्य सदस्य देशों की मुद्राएँ बेचना।
2. **बहुपक्षीय भुगतान की पद्धति स्थापित करना (Setting up a System of Multilateral Payment):-** मुद्रा कोष एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयत्न करेगा। जिसमें सदस्य देश एक-दूसरे की मुद्रा को निःसंकोच भुगतान में स्वीकार कर सकें।
3. **विनिमय नियन्त्रण को हटाना (Exchange Control):-** विदेशी व्यापार में कई कठिनाई न रहे इसके लिए कोष को यह भी प्रयत्न करना था कि धीरे-धीरे विनिमय सम्बन्धी सभी नियन्त्रण समाप्त हो सकें।
4. **भुगतान विषमता दूर करना (Remove Payment Inequality):-** सदस्य देश ऐसा कार्य न करें जो विदेशी व्यापार में रूकावट उत्पन्न करे।
5. **अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के असन्तुलन को कम करना (To Reduce The Imbalance Of International Payments):-** मुद्रा कोष का उद्देश्य ऐसे प्रयत्न भी करना है जिससे विदेशी भुगतान का असन्तुलन अल्प समय में कम किया जा सके। इसके लिए मुद्रा कोष अपने पास से सदस्यों को विदेशी मुद्रा भी उधार दे सकता है।
6. **विदेशी व्यापार को बढ़ावा (Promoting Foreign Trade):-** मुद्रा कोष द्वारा ऐसी सुविधाएँ प्रदान करना जिनसे विदेशी व्यापार का सन्तुलित विकास व विस्तार हो सके, साथ ही सदस्य देशों को आर्थिक विकास करने में पर्याप्त सुविधा मिल सके।

मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना है और इसके लिए वह सदस्य देशों की विनिमय दरों को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखने का अधिकार रखता है। भुगतान सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपने कोष से चालू भुगतान के लिए किसी भी सदस्य देश को अन्य सदस्य देशों की मुद्राएँ बेचता है अथवा उधार देता है। यह उधार केवल अल्पकाल के लिए ही दिया जाता है।

मुद्रा कोष की सदस्यता (Membership of Monetary Fund)

मुद्रा कोष की सदस्यता कोई भी देश प्राप्त कर सकता है, परन्तु सदस्य देशों के लिए कोष के उद्देश्यों तथा शर्तों का पालन करना आवश्यक है। जो देश कोष का सदस्य न रहना चाहे, वह सूचना मात्र से ऐसा कर सकता है। यदि कोई सदस्य देश मुद्रा कोष के समझौते पत्र की किसी धारा की अवहेलना करता है, तो उसे सदस्यता से पृथक किया जा सकता है। कोष की स्थापना के समय इसके 40 देश सदस्य थे। वर्तमान में यह संख्या 188 है।



मुद्रा कोष का संगठन एवं प्रबन्ध

(Organization and Management of Fund)

- गवर्नर मण्डल (Governor's Board)**- यह सर्वोच्च संस्था है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राष्ट्र का एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर नियुक्त किया जाता है। गवर्नर मण्डल की वर्ष में एक बार सभा बुलानी आवश्यक होती है जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। गवर्नर मण्डल का मुख्य कार्य नीतियों का निर्धारण करना, सदस्य देशों के कोटे में संशोधन करना, नये सदस्य देशों, को प्रवेश देना, संचालक चुनना आदि निर्णय लेना है।
- कार्यकारी संचालक मण्डल (Executive board of directors)**- कार्यकारी संचालक मण्डल मुद्रा कोष की सामान्य क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। मुद्रा कोष में कम से कम 12 संचालक होने आवश्यक हैं। पाँच संचालन उन पाँच राष्ट्रों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जिनका मुद्रा कोष में सर्वाधिक अभ्यंश है। अन्य संचालकों का चुनाव किया जाता है।
- मताधिकार (Franchise)**- मुद्रा कोष के अधिकार सामान्य निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं। बहुमत सदस्य संख्या द्वारा न होकर कुल मताधिकार द्वारा होता है। प्रत्येक सदस्य को 250 + 1 मत प्रति लाख एस.डी.आर. (अभ्यंश) का मताधिकार होता है।
- कार्यालय (Office)**- मुद्रा कोष का केन्द्रीय कार्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है, यानि सबसे अधिक कोटे वाले देश अमेरिका में है। अन्य सदस्य देशों में कोष की शाखाएँ अथवा एजेन्सी कार्यालय हैं।

मुद्रा कोष के आर्थिक साधन (Financial Instruments Of Monetary Fund)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आर्थिक साधनों में सबसे महत्वपूर्ण सदस्य देशों के लिए निर्धारित अभ्यंश है। जब कोई देश मुद्रा कोष का सदस्य बनता है, तो उसका अभ्यंश निर्धारित कर दिया जाता है। ये अभ्यंश देश की राष्ट्रीय आय, मुद्रा रक्षित, नीधि, व्यापार शेष तथा अन्य आर्थिक निर्देशकों के आधार पर तय किए जाते हैं। किसी भी देश की अभ्यंश राशि उसकी सहमति के बिना बदलने की व्यवस्था नहीं है।

1 जनवरी 1981 ई. से एस.डी.आर. का मूल्य 5 मुख्य मुद्राओं के आधार पर निश्चित किया गया। 1 जनवरी 1991 ई. को एस.डी.आर. का मूल्य निम्न मुद्राओं का योग था- यू.एस. डालर (40%), ड्यूशमार्क (21%) जापानी कामा येन (17%), फ्रेंच फ्रैंक (11%) और पौण्ड स्टर्लिंग (11%)।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का संस्थापक सदस्य है। वित्त मंत्री IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नेस का पदेन गवर्नर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर भारत का वैकल्पिक गवर्नर है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व एक कार्यकारी निदेशक करता है जो अन्य देशों- बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है।

मुद्रा कोष में सदस्य देशों की हिस्सेदारी (अंश)- भारत का कोटा IMF में 1.91% से बढ़कर 2.44% हो गया है। भारत का मतदान में अधिकार 1.88% से बढ़कर 2.34% हो गया है। लेकिन मतों में हिस्सेदारी

के आधार पर भारत (बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के साथ) 24 निर्वाचन संघों में 21वें स्थान पर है।

निगरानी- IMF के अनुबन्ध के भाग 4 के अन्तर्गत निरीक्षण के लिए अनिवार्य हिस्से के रूप में IMF हर वर्ष अपने सदस्यों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करता है। इससे सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। भाग 4 के परामर्श अभ्यास के दौरान आईएमएफ मिशन RBI और केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्रालय/विभागों के साथ चर्चा करता है।

➤ **महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)**

- ✍ SDR में भारत का कोटा 4158.2 मिलियन SDR से बढ़ाकर 5821.5 मिलियन SDR हो गया है।

मुद्रा कोष के कार्य (Functions of Monetary Fund)

1. मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त करना (Receiving Loans From Monetary Fund)- सदस्य देश मुद्रा कोष से ऋण की सुविधा ले सकते हैं। जब किसी देश में भुगतान सन्तुलन में अस्थायी रूप से विषमता उत्पन्न हो जाती है, तो वह कोष से धन उधार ले सकता है। वर्तमान में सभी सदस्य देशों की मुद्राएँ स्वतन्त्र हैं और उनकी विनिमय दरों में बाजार भाव से उतार-चढ़ाव हो रहे हैं। मुद्रा कोष के द्वारा ऋण देने का कार्य केन्द्रीय बैंक के माध्यम से ही किया जाता है। मुद्राकोष सदस्य देशों को उनके आर्थिक संकट से छुटकारा दिलाने के लिए सहायता देता है, इसीलिए कोष की तुलना आग बुझाने वाली दमकल से की जाती है, जो आर्थिक संकटों की आग बुझाने के लिए सहायता रूपी जल उपलब्ध कराता है। इस सन्दर्भ में कोष के भूतपूर्व प्रबन्ध संचालक जैकोब्सन ने कहा था, “मुद्रा कोष आग बुझाने वाले इन्जन की तरह है जिसका प्रयोग संकट काल में किया जाता चाहिए।” वास्तव में मुद्रा कोष एक गतिशील कोष है और इसकी पूँजी एक स्थान पर स्थिर नहीं रखी जा सकती। मुद्रा कोष मुख्य रूप से निम्न प्रकार की सहायता देता है-

- क्षतिपूरक वित्तीय सहायता (Compensatory Financial Assistance)**- इस योजना के अन्तर्गत उन देशों को सामान्य व्यवस्था से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो मुख्य रूप से प्राथमिक पदार्थों का उत्पादन एवं निर्यात करते हैं।
- तेल के लिए सुविधा (Providing Facility for Oil)**- वे देश जो खनिज तेल कीमतों द्वारा अत्यधिक प्रभावित हुए हैं, उनको ऋण दिया जा सकता है।
- पूरक वित्त सुविधा (Supplementary Finance Facility)** - मुद्राकोष देशों को पूरक वित्त सहायता दे सकता है जिनकी आवश्यकता उनके साधारण कोटे से अधिक है और जो भुगतान शेष की असहाय कठिनाई का सामना कर रहे हैं।
- संरचनात्मक समायोजन सुविधा (Structural Adjustment Facility)**- इसका उद्देश्य ऐसे सदस्य देशों को, जो भुगतान शेष की गम्भीर स्थिति से गुजर रहे हों और जिन्हें संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम की अत्यन्त आवश्यकता है; रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है।



2. **दुर्लभ मुद्रा (Hard Currency)**- जिन देशों की मुद्रा की माँग अधिक हो जाती है, मुद्रा कोष उन्हें 'दुर्लभ कोष' घोषित कर सकता है। मुद्रा कोष मुद्राओं को सदस्य देशों में उनकी आवश्यकतानुसार बाँट देता है।
3. **पुनर्क्रय (Repurchase)**- जब कोई देश मुद्रा कोष से उधार लेता है, तो अपनी मुद्रा देता है और दूसरे देश की मुद्रा को खरीदता है। इस प्रकार ऋणी देश के मौद्रिक भण्डार कोष के पास बढ़ जाते हैं। इन ऋणों को चुकाना पुनर्क्रय कहलाता है क्योंकि ऋणी देश के लिए आवश्यक है कि वह अपनी बेची मुद्रा को 5 वर्ष के भीतर पुनः खरीद ले।
4. **तकनीकी सहायता (Technical Assistance)**- वित्तीय सहायता के अतिरिक्त कोष अपने सदस्यों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। इस कार्य के लिए वह विभिन्न देशों में विशेषज्ञ दल भेजता है। तकनीकी सहायता, विनिमय तथा प्रशुल्क नीतियों का निर्धारण व क्रियान्वयन, केन्द्रीय बैंकिंग विधान के निर्माण, साख तथा बैंकिंग व्यवस्था में सुधार, वित्तीय तथा भुगतान सन्तुलन आदि विषयों में सम्बन्धित रहती है।

मुद्रा कोष के वर्जित कार्य (Prohibited Work Of Monetary Fund)- मुद्रा कोष निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता-

1. मुद्रा कोष निजी क्षेत्र की संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के साथ व्यवसाय नहीं कर सकता।
2. मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों की भीतरी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, केवल आवश्यक परामर्श दे सकता है।

वित्तीय प्रबन्ध (Financial Management) - वित्तीय प्रबन्ध, प्रबन्ध की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत संस्था के वित्तीय कार्य का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियन्त्रण किया जाता है जिससे कि वित्तीय कार्यों का कुशल एवं प्रभावी संचालन किया जा सके।

वेस्टन तथा ब्रीघम के शब्दों में, "वित्तीय प्रबन्ध निर्णय लेने का वह क्षेत्र है, जो व्यक्तिगत उद्देश्यों तथा उपक्रम के लक्ष्यों में एकरूपता स्थापित करता है।

वित्तीय नियोजन (Financial Planning) - वित्तीय नियोजन से आशय किसी व्यावसायिक संस्था के लिए पूँजी की कुल राशि का पूर्वानुमान लगाना एवं उसके स्वरूप के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। इसका दूसरा नाम 'वित्तीय आयोजन' है। **जे.एच.बोनविले** के अनुसार, "निगम की वित्तीय योजना के दो पहलू होते हैं। यह न केवल निगम की पूँजी संरचना की ओर संकेत करती है बल्कि यह निगम द्वारा अपनाई जाने वाली वित्तीय नीतियों को भी स्पष्ट करती है।"

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

(International Finance Corporation or IFC)

विश्व बैंक द्वारा अल्पविकसित देशों को आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता दी गई, किन्तु इसमें दो मुख्य कमियाँ थीं-

1. विश्व बैंक केवल ऋण देता है, पूँजी के अंश नहीं खरीदता।
2. वह केवल सरकार को या सरकार की गारन्टी पर ही ऋण देता है। अनेक उद्योगपति सरकारी गारन्टी युक्त ऋण लेना पसन्द नहीं करते क्योंकि ऋण लेने से सरकार उनकी कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने लगती है। इन्हीं दोनों कमियों को दूर करने तथा विश्व बैंक के क्षेत्र को और अधिक विस्तृत एवं

प्रभावी बनाने की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना का विचार 1952 ई. में आया तथा 21 जुलाई, 1956 ई. को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की विधिवत् स्थापना की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उद्देश्य (Objectives of IFC)

1. **निजी साहस को प्रोत्साहन (Promotion Of Personal Courage)**- यह निगम बिना सरकारी गारन्टी के ऋण देता है और अन्य स्रोतों से भी पूँजी दिलाने का प्रयत्न करता है।
2. **पूँजी तथा प्रबन्ध समन्वय (Capital And Managerial Coordination)**- इसका एक बड़ा उद्देश्य देशी और विदेशी पूँजी में सहयोग स्थापित कर उसे अनुभवी प्रबन्ध से संयोजित करना है। अर्थात् यह कुशल प्रबन्धन के लिए पूँजी की व्यवस्था करता है और किसी के पास पर्याप्त पूँजी हो, तो उसके लिए कुशल प्रबन्धन की व्यवस्था करता है।
3. **विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन (Incentive To Foreign Capital)**- निगम का एक प्रशंसनीय उद्देश्य अतिरिक्त पूँजी वाले देशों को अभाव वाले देशों में पूँजी लगाने को प्रोत्साहित करना है।

वित्त निगम की सदस्यता (Membership Of Finance Corporation)

विश्व बैंक के सदस्य ही वित्त निगम के सदस्य बन सकते हैं। निगम से कोई भी सदस्य देश किसी भी समय सदस्यता से अलग हो सकता है। यदि विश्व बैंक किसी सदस्य देश की सदस्यता समाप्त कर दे, तो अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम में उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।

वित्त निगम का प्रबन्ध (Management of Finance Corporation)

इसकी प्रबन्ध व्यवस्था भी विश्व बैंक के समान ही है। विश्व बैंक का प्रशासन मण्डल ही अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के प्रशासन मण्डल के रूप में कार्य करता है। विश्व बैंक का कार्यकारी संचालक मण्डल ही निगम के कार्यकारी संचालक मण्डल का कार्य करता है निगम का प्रधान कार्यालय **वाशिंगटन डी.सी.** में स्थित है। निगम सदस्य देशों में भी अन्य कार्यालय स्थापित कर सकता है। इस समय इनके अन्य कार्यालय, लन्दन, पेरिस और न्यूयॉर्क में हैं।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (Economic Cooperations and Development Organization)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था की पुनः स्थापना के लिए 1948 ई. में अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्शल द्वारा प्रस्ताविक योजना के प्रत्युत्तर में पेरिस में यूरोपीय राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाया गया तथा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन (OEEC) बनाया गया। 30 सितम्बर 1961 ई. को इसका नाम बदलकर आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) कर दिया गया।

इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में परस्पर आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए नीतियों का समन्वय करना तथा इसके सदस्यों को विकासशील देशों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना है।

इसके 30 सदस्य हैं- ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चैक रिपब्लिक (Czech Republic), हंगरी, कोरिया (रिपब्लिक), मेक्सिको, पोलैण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैण्ड, फ्रांस, ग्रीस, आइसलैण्ड, आयरलैण्ड, इटली, जापान, लक्जेंबर्ग, नीदरलैण्ड्स, न्यूजीलैण्ड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड, टर्की, यू.के. तथा यू.एस.ए. इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

(International Development Association or IDA)

यह विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है। इसे 'विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की' या 'उदार ऋणी खिड़की' भी कहते हैं। इसकी स्थापना 24 सितम्बर, 1960 ई. को की गई थी। इसकी सदस्यता बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली हुई है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 159 हो गई है। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की के रूप में जाना जाता है। IDA से प्राप्त ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना होता है तथा यह ऋण विश्व के निर्धन राष्ट्रों को ही उपलब्ध कराए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 1995-96 ई. (जून-जुलाई) के दौरान IDA से सहायता पाने वाले देशों में भारत का पहला स्थान रहा था। इसके साधनों में मुख्यतः सदस्य देशों द्वारा स्वीकृत पूँजी (Subscribed Capital), विकसित राष्ट्रों द्वारा किया गया अंशदान (General replenishments), विशिष्ट योगदान तथा IBRD द्वारा हस्तान्तरित शुद्ध आय आदि आते हैं।

यूरो जोन (Euro Zone)

विश्व के पटल पर बढ़ते आर्थिक एकीकरण अभियानों-नाफ्टा (उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता), साफ्टा (दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता), आसियान (दक्षिण-पूर्वी-एशियाई राष्ट्रों का संघ), सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) आदि अनेक के प्रयासों ने क्षेत्रीय आर्थिक गुट की रणनीति को बढ़ावा दिया और इसी कड़ी में जुड़ गया एक और नाम-मास्ट्रिच संधि (Maastricht Treaty)।

9-10 दिसम्बर, 1991 ई. को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के तत्कालीन 12 राष्ट्रों ने मास्ट्रिच (नीदरलैण्ड) में आयोजित शिखर सम्मेलन में आम सहमति के बाद यूरोप के राजनीतिक, आर्थिक एवं मौद्रिक एकीकरण हेतु एक सन्धि पर हस्ताक्षर किए गए और यही मास्ट्रिच सन्धि यूरो करेन्सी के उदय की बुनियाद बनी।

1 नवम्बर 1993 ई. से लागू इस सन्धि ने राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु यूरोपीय संघ (European Union) को जन्म दिया। मास्ट्रिच सन्धि एवं यूरोपीय संघ की स्थापना के लिए **याक डेलोर्स** की योजना के परिणाम के रूप में ही आज विश्व पटल पर यूरोप की साझी मुद्रा 'यूरो' ने दस्तक दी है।

यूरो जोन में भागीदारी : प्रमुख शर्तें (Participation in Euro Zone: Main Conditions)

मास्ट्रिच सन्धि के दस्तावेजों में यूरोप में मौद्रिक एवं आर्थिक एकीकरण एवं साझी मुद्रा 'यूरो' के प्रचलन के लिए चार प्रमुख शर्तों का उल्लेख किया गया-

- मुद्रास्फीति की दर पर नियन्त्रण (उत्तम निष्पादन करने वाले पहले तीन देशों में प्रचलित मुद्रास्फीति दर से मुद्रास्फीति की दर का 1.5% से अधिक न होना)।
- निम्न ब्याज दर (उत्तम निष्पादन करने वाले प्रथम तीन देशों की ब्याज दर की तुलना में 2% से अधिक न होना)।
- सरकारी ऋण का GDP के 60% से अधिक न होना।
- वार्षिक बजट घाटा GDP के 3% से अधिक न होना।

मास्ट्रिच सन्धि में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) के देशों से उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने का अनुरोध किया गया, ताकि वे यूरोप की साझी मुद्रा 'यूरो' में अपनी भागीदारी दर्ज कर सकें। यूरोप के अब तक 15 राष्ट्रों ने यूरो में भागीदारी हेतु सभी आवश्यक पूर्व शर्तों को पूरा कर लिया है।

पूर्व में यूरोपीय संघ (EU) के 12 राष्ट्रों में एकीकृत मुद्रा 'यूरो' (Euro) का चलन 1 जनवरी 2002 ई. से प्रारम्भ हो गया था। इन राष्ट्रों में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस (यूनान) आयरलैण्ड, इटली, लक्जेंबर्ग, नीदरलैण्ड, पुर्तगाल व स्पेन शामिल हैं। यूरो चलन वाले राष्ट्रों के लगभग 30 करोड़ जनसंख्या वाले इस क्षेत्र को यूरो जोन (Euro zone) कहा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या : यूरो एक सम्भावित समाधान

(International Liquidity Problem: Euro is a Potential Solution)

विश्व पटल पर दिन-प्रतिदिन विषम होती अन्तर्राष्ट्रीय सरलता (International Liquidity) की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विविध विस्तार में अवरोध बनकर सामने आती रही है। अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के परिमाणत्मक पहलू के साथ-साथ इस समस्या का गुणात्मक पहलू भी विश्व मौद्रिक बाजार में एक अवरोधक घटक रहा है। इस गुणात्मक पहलू का सम्बन्ध रिजर्व के रूप में अमेरिकी डॉलर और ब्रिटिश पौण्ड स्टर्लिंग के प्रयोग से है, क्योंकि ये दोनों विश्व पटल पर लम्बे समय तक आधार मुद्राएँ रही हैं, यद्यपि यह स्थित विगत कुछ समय से जापानी येन तथा जर्मन मार्क को भी प्राप्त हो गई थी।

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के कुछ विशिष्ट देशों की मुद्रा के साथ बँधे रहने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय व्यवस्था में एकाधिकारी प्रवृत्तियों ने जन्म लिया। इसी समस्या के सम्यक् समाधान की दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा 1971 ई. से विशेष आहरण अधिकार (SDR) की योजना, जिसे कागजी स्वर्ण (Paper Gold) के नाम से भी जाना जाता है, आरम्भ की गई। SDR के मूल्य निर्धारण में वर्ष 1991 ई. के दौरान मुद्राओं की पिटारी (Basket of currencies) में अमेरिकी डॉलर (भार 40%) जर्मन मार्क (भार 21%), जापानी येन (भार 17%), ब्रिटिश पौण्ड (भार 11%) तथा फ्रांसीसी फ्रैंक (भार 11%) को सम्मिलित किया गया।

अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व विशेष आहरण अधिकार (SDR) पर भी हावी है और इसी का परिणाम है वर्तमान में अमेरिका का IMF के पास सर्वाधिक कोटा। अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय बाजारों में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व और अन्य मुद्राओं की सापेक्षिक उपेक्षा ने यूरोप में मौद्रिक एकीकरण की प्रक्रिया को गति दी और यूरोप के देश चल पड़े आर्थिक एवं मौद्रिक एकीकृत मुद्रा 'यूरो' को अपनाने के लिए और वह भी इस आशा के साथ कि यूरो अन्तर्राष्ट्रीय वित्त बाजार में डॉलर की सम्प्रभुता को चुनौती देगा और अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के समाधान का एक नया मार्ग प्रशस्त होगा।

यूरो और भारत (Euro and India)

भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण के दौर में आगे बढ़ रही है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त बाजार में यूरो का उदय भारतीय व्यापार को निःसन्देह प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वर्तमान में यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2004-05 के दौरान यूरोपीय संघ के देशों को '77489 करोड़ (17246 मिलियन डॉलर) का भारत से निर्यात किया गया जो

कुल निर्यातों का 22% था। इसी प्रकार इसी वर्ष 2004-05 में यूरोपीय संघ के देशों को भारत से '81105 करोड़ (18051 मिलियन डॉलर) का आयात किया गया जो कुल आयातों का 16.86% था।

इसके अतिरिक्त एकल साझी मुद्रा यूरो के साथ भारत के रूप की विनिमय दर में अब पहले की तुलना में विनिमय स्थिरता आ रही है जिससे यूरोलैण्ड के साथ भारत का विदेशी व्यापार सहज एवं विस्तृत होगा। यूरोलैण्ड के साथ 'यूरो' में किया गया भारतीय व्यापार भारत की अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को घटा रहा है और साथ ही यूरोलैण्ड के साथ विनिमय स्थिरता के कारण भारतीय उत्पाद यूरोलैण्ड में अधिक सस्ते पड़ रहे हैं। यह बिन्दु निःसन्देह भारतीय निर्यातों को बढ़ाने का एक प्रमुख मार्ग खोलेगा।

इस प्रकार निःसन्देह यूरो का उदय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है।

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank)

एशियाई देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग की सिफारिश पर इस बैंक की स्थापना दिसम्बर 1966 ई. में की गई थी। 1 जनवरी 1967 ई. को एशियाई विकास बैंक ने कार्य प्रारम्भ कर दिया। इस बैंक का मुख्यालय फिलीपीन्स की राजधानी मनीला में है। भारत इस बैंक के संस्थापक देशों में से एक है।

इस बैंक का उद्देश्य एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास को तेज करना है। वर्तमान में जापान के हारुहिको कुरोडा ADB के चेयरमैन हैं। उल्लेखनीय है कि ADB का अध्यक्ष पद किसी जापानी को ही दिया जाता रहा है, जबकि इसके तीन उपाध्यक्षों में से एक अमेरिका का, एक यूरोप का व एक अन्य एशिया का प्रतिनिधि होता है। वर्तमान में ADB की सदस्य संख्या बढ़कर 67 हो गई है।

ADB के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं-

1. विकास परियोजनाएँ और कार्यक्रम तथा परामर्श सेवाएँ तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
2. विकासशील सदस्य देशों में समन्वयकारी विकास नीतियों और योजनाओं में सहायता के अनुरोधों पर कार्यवाही करना।
3. अपने विकासशील सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए ऋण और ईक्विटी निवेश उपलब्ध कराना।
4. समन्वयकारी विकास नीतियों और योजनाओं के विकासशील सदस्य देशों के सहायता अनुरोधों पर कार्यवाही करना।

31 दिसम्बर, 2004 ई. तक बैंक के पूँजी स्टॉक में भारत का अंशदान सभी सदस्य देशों के अंशदान का 6.424 प्रतिशत था।

भारत बैंक के निदेशक मण्डल का कार्यकारी निदेशक है। इसके अधिकार क्षेत्र में भारत, बांग्लादेश, भूटान, लाओस पीडीआर और तजाकिस्तान शामिल हैं। वित्त मंत्री एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भारत के गवर्नर हैं और सचिव (विदेश विभाग) इसके वैकल्पिक गवर्नर हैं। इस समय भारत में एशियाई विकास बैंक की सहायता वाली 27 परियोजनाएँ तथा 49 तकनीकी परियोजनाएँ चल रही हैं। ADB ने भारत में ग्रामीण साख व्यवस्था के सृद्धीकरण हेतु 1 अरब डॉलर का ऋण दिसम्बर 2006 ई. में प्रदान किया था।

विश्व बैंक द्वारा गरीबी की रेखा के मानक में परिवर्तन (Changes In The Standard Of Poverty Line By The World Bank)

गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या के आकलन हेतु विश्व बैंक द्वारा अभी तक एक डॉलर प्रतिदिन की आय को आधार माना जाता था। इस मानक में सुधार करते हुए विश्व बैंक ने इसे अब 1.25 डॉलर प्रतिदिन कर दिया है। इससे भारत व अनेक अन्य देशों में गरीबी की रेखा के नीचे (Below Poverty Line or BPL) के लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। विश्व बैंक द्वारा 26 अगस्त, 2008 ई. को जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 1981 ई. में भारत में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या 42.1 करोड़ थी, जो बढ़कर 2005 ई. में 45.6 करोड़ रही है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या में वृद्धि को विश्व बैंक ने देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बताया है।

न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank)

न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता था। ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किए गए एक नए विकास बैंक का आधिकारिक नाम है। 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में 100 अरब डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ नए विकास बैंक की स्थापना का निर्णय किया गया।

न्यू डेवलपमेंट बैंक पांच उभरते बाजारों के बीच अधिक से अधिक वित्तीय और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। साथ में, 2014 की गणनानुसार चार मूल। ब्रिक्स देशों में 3 अरब लोग या दुनिया की आबादी का 41.4 प्रतिशत शामिल है, तीनों महाद्वीप दुनिया की भूमि क्षेत्र के एक चौथाई से अधिक को घेरते हैं, और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत से अधिक के लिए उत्तरदायी है। बैंक का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। विश्व बैंक के विपरीत यह पूंजी शेयर के आधार पर वोट प्रदान करता है। ब्रिक्स बैंक में प्रत्येक भागीदार देश को एक वोट आवंटित किया गया है। और भागीदार देशों में से किसी के पास वीटो का अधिकार नहीं होगा।

ब्रिक्स (Bricks)

ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। इसके घटक राष्ट्र ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। इन्हीं देशों के अंग्रेज़ी नाम के प्रथमाक्षरों B, R, I, C व S से मिलकर इस समूह का यह नामकरण हुआ है। मूलतः 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने से पहले इसे 'ब्रिक' के नाम से जाना जाता था। रूस को छोड़कर, ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील या नव औद्योगिक देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। ये राष्ट्र क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। वर्ष 2013 तक, पाँचों ब्रिक्स राष्ट्र दुनिया के लगभग 3 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक अनुमान के अनुसार ये राष्ट्र संयुक्त विदेशी मुद्रा भंडार में 4 खरब अमेरिकी डॉलर का योगदान करते हैं। इन राष्ट्रों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 15 खरब अमेरिकी डॉलर का है। वर्तमान में, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts About International Organizations)

संगठन	स्थापना वर्ष	मुख्यालय	सदस्य
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	1945	वाशिंगटन डी.सी.	188
विश्व बैंक (पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD), अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) तथा बहुपक्षीय निवेश गारन्टी एजेंसी (MIGA) विश्व बैंक से ही सम्बद्ध संस्थाएँ हैं। मूलतः स्थापित संस्था IBRD है जिसकी स्थापना 1945 में हुई। IFC की स्थापना 1956 में व IDA की स्थापना 1960 में हुई,)	1945	वाशिंगटन डी.सी.	188
एशियाई विकास बैंक	1966	मनीला	67
विश्व व्यापार संगठन (WTO)	1995	जेनेवा	155
दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ (ASEAN)	1967	जकार्ता	10 (इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स, मलेशिया, सिंगापुर, थाइलैण्ड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कम्बोडिया)
नाफ्टा (NAFTA)	1992		3 (अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको)
एपेक (APEC)	1989		21 (आस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, चीन, मेक्सिको, हांगकांग, ताइवान, द. कोरिया, जापान, इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, थाइलैण्ड, पपुआ न्यूगिनी, न्यूजीलैण्ड, चिली, पेरू, रूस तथा वियतनाम)
यूरोपियन संघ	1958 में स्थापित EEC का परिवर्तित रूप	ब्रूसेल्स	27 (फ्रांस, लक्जमबर्ग, डेनमार्क, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, आयरलैण्ड, हॉलैण्ड, इटली, स्पेन, ग्रीस, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, फिनलैण्ड, स्वीडन, पोलैण्ड, हंगरी, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, चैक गणराज्य, एस्टोनिया, लाटविया, साइप्रस, माल्टा, बुल्गारिया तथा रोमानिया)
मर्कोसुर (Mercosur)	1995		5 (ब्राजील, अर्जेन्टीना, पराग्वे, उरूग्वे व वेनेजुएला)
ओपेक (OPEC)	1960	वियना (ऑस्ट्रिया)	11 (ईरान, अंगोला, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, कतर, लीबिया, इक्वेडोर, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया व नाइजीरिया)
दक्षेस (SAARC)	1985	काठमाण्डू	8 (भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान)
जी-15 (19 विकासशील देशों का संगठन)	1989	जेनेवा	19 (भारत, मेक्सिको, जर्मनी, वेनेजुएला, पेरू, ब्राजील, अर्जेन्टीना, सेनेगल, अल्जीरिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, मिस्र, मलेशिया, इण्डोनेशिया, चिली कीनिया, श्रीलंका कोलम्बिया व ईरान)
आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)	1948 में स्थापित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का परिवर्तित रूप	पेरिस (फ्रांस)	30 (ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चैक रिपब्लिक, हंगरी, कोरिया (रिपब्लिक), मेक्सिको, पोलैण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैण्ड, फ्रांस, ग्रीस, आइसलैण्ड, आयरलैण्ड, इटली, जापान, लक्जमबर्ग, नीदरलैण्ड्स, न्यूजीलैण्ड, नॉर्वे, स्लोवाकिया, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विजरलैण्ड, टर्की, यू.के. तथा यू.एस.ए.)
एसेम (ASEM)	1996		45 (यूरोपीय संघ के 27 व आसियान के 10 तथा 8 अन्य देशों को शामिल करते हुए एशिया के 18 देश)
एशियाई क्लियरिंग यूनियन (ACU)	1975	तेहरान	8 (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, भूटान व म्यांमार)
संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO)	1945	न्यूयॉर्क	193

भारतीय वित्तीय एवं पूँजी बाजार

(Indian Financial and Capital Market)

भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market)

- शेयरों और अंश पत्रों का क्रय-विक्रय जिस बाजार में होता है उसे शेयर बाजार कहा जाता है।
- ये शेयर बाजार कुछ निश्चित एवं नियत स्थानों पर ही होते हैं जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है।
- पब्लिक इश्यू जारी करके संसाधन एकत्रित करने वाली कंपनियों को यहाँ पंजीकरण कराना होता है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI)

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) की स्थापना 12 अप्रैल, 1988 को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत पूँजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। 30 जनवरी, 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया है। सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी, 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए। सेबी के अध्यक्ष पद पर सामान्यतः कार्यकाल तीन वर्ष का होता है, किन्तु अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही कोई व्यक्ति इस पद पर रह सकता है। SEBI का प्रबन्ध 6 सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें एक चेयरमैन होता है जो केन्द्र सरकार द्वारा नामित होता है।
- 1988 में सेबी की प्रारम्भिक पूँजी 7.5 करोड़ रूपए थी जो कि प्रवर्तक कंपनियों (IDBI, ICICI तथा IFCI) द्वारा दी गई थी। इसी राशि के ब्याज की आय से सेबी के दिन-प्रतिदिन के कार्य सम्पन्न होते हैं।
- भारतीय पूँजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियाँ अब सेबी को ही प्राप्त हैं।
- नए प्रावधानों के अनुसार अब किसी भी शेयर बाजार (Stock Exchange) को मान्यता प्रदान करने का अधिकार सेबी को है। शेयर बाजार के किसी सदस्य के किसी बैठक में मताधिकार के सम्बन्ध में नियम बनाने तथा उसे संशोधित करने का भी अधिकार सेबी को ही है।
- सेबी (संशोधन) विधेयक 2002 के तहत 'इनसाइडर ट्रेडिंग' के लिए 25 करोड़ रूपए तक जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है। इसी विधेयक में लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में एक लाख रूपए प्रतिदिन की दर से एक करोड़ रूपए जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान किया गया है।

भारत के प्रमुख शेयर बाजार

(India's Leading Stock Exchange)

1. **राष्ट्रीय शेयर बाजार (National Stock Exchange) :** राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति 1991 में फेरवानी समिति ने की थी। 1992

में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) को इस बाजार (exchange) की स्थापना का कार्य सौंपा IDBI ही राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है। राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE) की प्रारम्भिक अधिकृत पूँजी 25 करोड़ रूपए है। इसका मुख्यालय दक्षिण मुम्बई में वर्ली में है।

2. **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) :** इसकी स्थापना 1875 ई. में स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे के नाम से किया गया था जिसे 2002 में बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) कर दिया गया। 19 अगस्त, 2005 से BSE एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपान्तरित हो गया है। इसमें वर्तमान में 4800 से भी अधिक भारतीय कंपनियाँ पंजीकृत हैं।

3. **ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इण्डिया (OTCEI) :** इसकी स्थापना नवम्बर, 1992 में मुम्बई में की गई। यह भारत में सर्वप्रथम ऑन लाइन ट्रेडिंग सुविधा सम्पन्न कम्प्यूटराइज्ड एक्सचेंज 'नैस्डेक' के आधार पर की गई है। OTCEI में उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनकी पूँजी का स्तर 30 लाख रूपए से 25 करोड़ रूपए तक हो।

विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में स्थापित किया गया था।

- स्टॉक एक्सचेंजों में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। इसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) अधिकतम 26% तथा शेष 23% संस्थागत विदेशी निवेश (FII) हो सकता है।
- न्यूयॉर्क एटॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारत की आठ कंपनियाँ हैं-
(i) डॉ. रेड्डी लेबोरेटरीज (ii) HDFC (iii) ICICI (iv) MTNL (v) सत्यम कम्प्यूटर्स (vi) विदेश संचार निगम लिमिटेड (VSNL) (vii) विप्रो (WIPRO) (viii) टाटा मोटर्स।
- भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक कंपनी को पूँजी के लिए अंशों के निर्गमन का अधिकार होता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूँजी अंश पूँजी या शेयर कहलाती है।
- शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं।

विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजार (World Famous Stock Market)

शेयर मूल्य सूचकांक	स्टॉक एक्सचेंज
डो जॉन्स (Dow Jones)	न्यूयॉर्क
निक्की (Nikkei)	टोकियो
मिड डेक्स (MID DAX)	फैंकफर्ट
हांग सेंग (HANG SENG)	हांगकांग
सिमेक्स (SIMEX)	सिंगापुर



कोस्पी (KOSPI)	कोरिया
सेट (SET)	थाइलैंड
तेन (TAIEN)	ताईवान
शंघाई कॉक (SHANGHAI COM)	चीन
नैसडैक (NASDAQ)	USA
एम. एण्ड पी. (S. & P.)	कनाडा
बोवेस्पा	ब्राजील
मिब्टेल	इटली
आई पी सी (I.P.C.)	मैक्सिको
जकार्ता कम्पोजिट	इण्डोनेशिया
KLSE कम्पोजिट	मलेशिया
सियोल कम्पोजिट	दक्षिण कोरिया
FTSE-100	लंदन

भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक (India's Main Stock Price Index)

1. **BSE SENSEX** : यह मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज (The Stock Exchange Mumbai) का संवेदी शेयर सूचकांक है। यह 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1978-79 ई. है।
2. **BSE 200** : यह मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1989-90 ई. है।
3. **NSE-50** : राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दिल्ली से सम्बन्धित इस सूचकांक का नाम बदलकर S & P CNX Nifty रखा गया है।

बीमा उद्योग (Insurance Industry)

- भारत की प्रथम जीवन बीमा कंपनी ओरिएण्टल सोसाइटी (1818) थी।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की स्थापना 1 सितम्बर, 1956 को हुई थी।
- इसके सात क्षेत्रीय कार्यालय हैं जबकि इसका केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई में स्थित है।
- भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC) ने 1 जनवरी, 1973 से काम करना प्रारम्भ किया। इसकी चार सहायक कंपनियाँ हैं:
 1. नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लि.
 2. न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी लि.
 3. ओरिएण्टल इन्श्योरेन्स कंपनी लि.
 4. यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी लि.
- बीमा क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

मुद्रा बैंक (Mudra Bank)

Micro Units Development and Re-finance Agency

मुद्रा बैंक की स्थापना 8 अप्रैल 2015 को हो गयी। यह वास्तव में एक बैंक नहीं बल्कि यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान होगी। यह उपभोक्ता एवं निवेशकों को प्रत्यक्ष तौर पर ऋण नहीं प्रदान करेगी। यह उन सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करेगी जो कुटीन उद्योगों को ऋण प्रदान करेंगे। अतः इससे सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की निर्भरता खत्म हो जायेगी एवं उन्हें कम ब्याज दर पर उन्हें ऋण की प्राप्ति होगी। प्रारम्भ में मुद्रा बैंक सिडबी (SIDBI- Small Industries Development Bank of India) के रूप में करेगी। भविष्य में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों का नियन्त्रण मुद्रा बैंक के अधीन कर दिया जायेगा।

कुटीर उद्योगों की स्थापना, आकार एवं विस्तार में आधार पर वर्गीकृत किया जायेगा- शिशु, किशोर एवं तरुण। जो कुटीर उद्योग अभी स्थापित ही हो रहे हैं वो शिशु की श्रेणी में आये एवं उन्हें ₹ 50,000 हजार तक के ऋण की प्राप्ति होगी। किशोर, अवस्था में जो कुटीर उद्योग होंगे उन्हें ₹ 5 लाख तक के ऋण की प्राप्ति होगी एवं बूढ़े कुटीर उद्योग जो विस्तार कर रहे होंगे। तरुण अवस्था में कहलायेंगे एवं उन्हें ₹ 10 लाख तक के ऋण की प्राप्ति होगी। आने वाले समय में मुद्रा बैंक की भूमिका देश के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में अत्यधिक हो जायेगी। अनुमानित आँकड़ों के अनुसार देश में लगभग 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि पूंजी के अभाव से ग्रसित हैं। अतः यदि उन्हें उचित मात्रा में सहयोग प्राप्त हो तो गरीबी एवं बेरोजगारी दोनों का निवारण हो सकता है और साथ ही ये देश की आर्थिक समृद्धि में भी योगदान करेंगे।

विदेशी व्यापार (Foreign Trade)

- विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा मात्र 1.4% है।
- भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में अभियान्त्रिकीय वस्तुओं (इन्जीनियरिंग गुड्स) का सर्वाधिक भाग (33%) है।
- भारत के आयात में सर्वाधिक हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थों का है।
- देश का पहला निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क सीतापुर में स्थापित किया गया है।
- एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण केन्द्र काण्डला में (1965) स्थापित किया गया था।

भारत का प्रमुख क्षेत्रों के साथ निर्यात (Export with major areas of India)

1. विकासशील देश	44%
2. OECD देश	34%
3. एशियन देश	31%
4. OPEC देश	21%
5. यूरोपियन देश	18%



भारत के प्रमुख देशों के साथ निर्यात (Export With Major Countries of India)

1. संयुक्त अरब अमीरात	11.6%
2. अमेरिका	10.4%
3. सिंगापुर	8.0%
4. चीन	5.1%
5. इण्डोनेशिया	3.0%

भारत के प्रमुख निर्यातक राज्य (India's Leading Exporter State)

1. महाराष्ट्र	24%
2. गुजरात	22%
3. तमिलनाडु	9%
4. कर्नाटक	5.1%
5. आन्ध्र प्रदेश	4.8%

विदेश व्यापार : दस स्वायत्तशासी निकाय (Foreign Trade : Ten Autonomous Body)

- कॉफी बोर्ड
- रबर बोर्ड
- चाय बोर्ड
- तम्बाकू बोर्ड
- मसाला बोर्ड
- निर्यात निरीक्षण परिषद्
- भारत विदेश व्यापार संस्थान
- भारतीय पैकेजिंग संस्थान
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

भारत का प्रमुख देशों एवं समूहों के साथ आयात (अप्रैल-सितम्बर 2011)

(Import With Major Countries And Groups of India)

1. OPEC	35%
2. विकासशील देश	32%
3. OECD	31%
4. एशिया	26%
5. यूरोपिय संघ	12%
• वर्ष 2001 में भारत का सर्वाधिक आयात (11.5%) चीन के साथ हुआ।	

भुगतान सन्तुलन (Balance Of Payments)

- एक वित्त वर्ष के दौरान विश्व के अन्य देशों के साथ किए जाने वाले लेन-देन को भुगतान सन्तुलन प्रदर्शित करता है।
- भुगतान सन्तुलन के अन्तर्गत चालू खाते व पूँजी खाते के लेन-देन शामिल किए जाते हैं।
- भुगतान सन्तुलन में सुधार हेतु रिजर्व बैंक द्वारा 19 अगस्त, 1944 को रूपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय (एस तारापोर समिति की सिफारिश पर) घोषित कर दिया गया।

- चालू खाते में आयात-निर्यात के साथ-साथ बीमा, पर्यटन, उपहार एवं परिवहन जैसी अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है।
- पूँजीगत खाते में ऋणों की प्राप्ति, अदायगियों, स्वर्ण करेंसी आदि के मामले शामिल किए जाते हैं।
- अप्रैल-सितम्बर 2011 में चालू खाते का घाटा 32.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि कुल जीडीपी का 3.6% था।
- भारत के विदेशी विनिमय के माध्यम निम्नलिखित हैं
 - विदेशी मुद्रा विनिमय
 - विशेष आहरण अधिकार (SDRs)
 - सोना
 - रिजर्व ट्रेंच पोजीशन (RTP)
- भारत द्वारा अमेरिकी डॉलर एवं यूरो मुद्रा, निवेश की मुद्राओं के रूप में स्वीकृत हैं।
- विदेशी मुद्रा भण्डार की दृष्टि से भारत, चीन, जापान एवं रूस के बाद चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भण्डार वाला देश है।

प्रमुख क्षेत्रीय संगठन (Major Regional Organizations)

संगठन/समझौता	उद्देश्य
भारत-श्रीलंका आर्थिक सहयोग (1998)	भारत ने सर्वप्रथम श्रीलंका के साथ सीपा (CEPA) व्यापार समझौता किया
भारत-थाइलैण्ड आर्थिक समझौता (2001)	82 वस्तुओं पर टैरिफ को कम करना
भारत-सिंगापुर आर्थिक सहयोग (2005)	दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार स्थापित करना
भारत-यूरोपीय संघ समझौता (2007)	भारत एवं यूरोपियन संघ के बीच व्यापार एवं निवेश को बढ़ाना
भारत-जापान आर्थिक समझौता (2007)	2015 तक द्विपक्षीय व्यापार को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना
एशिया-पैसिफिक व्यापार समझौता (2007)	एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ आपसी व्यापार बढ़ाना
भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (2008)	सन् 2015 तक द्विपक्षीय व्यापार को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना
भारत-बिमस्टेक आर्थिक सहयोग (2008)	2012 से टैरिफ में छूट तथा बहुपक्षीय व्यापार बढ़ाना
भारत-दक्षिण कोरिया आर्थिक समझौता (2009)	द्विपक्षीय व्यापार में ट्रिप्स टैरिफ सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करके व्यापार बढ़ाना
भारत-आसियान समूह समझौता (2009)	टैरिफ को 80% तक कम करके, व्यापार बढ़ाना

- विश्व बैंक की ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस रिपोर्ट 2012 के अनुसार 20 विकासशील देशों के समूह में चीन, रूस, ब्राजील एवं टर्की के बाद पाँचवाँ सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश भारत है।
- भारत का बाहरी ऋण कुल जीडीपी का 16.9% है, जबकि ऋण सेवा अनुपात 5.6% है। (2010-11)

विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone)

- एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण केन्द्र काण्डला में 1965 ई. में स्थापित किया गया था।
- पहली सेज (SEZ) नीति अप्रैल, 2000 में घोषित की गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अधोसंरचना का विकास करके आर्थिक वृद्धि को गति देना है।
- सेज (SEZ) अधिनियम 2005 को 10 फरवरी, 2006 से लागू किया गया था।
- सभी 8 निर्यात प्रसंस्करण केन्द्रों को सेज में बदल दिया गया है, जो निम्न है:
 - काण्डला (गुजरात)
 - सूरत (गुजरात)
 - सान्ताक्रुज (महाराष्ट्र)
 - कोचीन (केरल)
 - चेन्नई (तमिलनाडु)
 - विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश)
 - फाल्टा (प. बंगाल)
 - नोएडा (उत्तर प्रदेश)

सेज (SEZ) अधिनियम 2005 के प्रावधान (Provision of SEZ Act 2005)

- सेज द्वारा किए जाने वाले निर्यात पर 100% की कर छूट
- कर मुक्त आयात की स्वतन्त्रता
- केन्द्रीय व्यापार कर एवं सेवा कर में छूट
- एकल खिड़की योजना के तहत सेज स्थापित करने की नीति

भारत एवं विश्व व्यापार संगठन (India and World Trade Organization)

- दोहा समझौता (2001) विकासशील देशों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा।
- इस समझौते में दोहा विकास एजेण्डा पारित किया गया, जिससे विकासशील देशों को अधिक सुविधाएँ प्रदान की गईं।
- दोहा विकास एजेण्डा में विकसित देशों द्वारा कृषि सब्सिडी को कम करना, ट्रिप्स समझौता तथा सर्वाजनिक सेवाओं के लिए विशेष अनुदानों पर विस्तृत विवेचना की गई थी।
- भारत का चार देशों- सिंगापुर, दक्षिण, कोरिया, जापान एवं मलेशिया- के साथ सिका (CECA) समझौता है।

भारत के अब तक के वित्त मन्त्री (India's Finance Minister till Now)

वर्ष	वित्त मन्त्री	वर्ष	वित्त मन्त्री
1947-49	आर.के. षण्मुगम चेट्टी	1980-82	आर. वेंकटरमण
1949-51	जॉन मथाई	1982-85	प्रणव मुखर्जी
1951-57	सी.डी. देशमुख	1985-87	वी.पी. सिंह
1957-58	टी. टी. कृष्णामाचारी	1988-89	नारायण दत्त तिवारी
1958-59	जवाहर लाल नेहरू	1989-90	एस.बी. चह्माण
1959-64	मोरारजी देसाई	1990-91	मधु दण्डवते
1966-67	सर्चींद्र चौधरी	1990-91	यशवंत सिन्हा
1967-70	मोरारजी देसाई	1992-96	मनमोहन सिंह
1970-71	इन्दिरा गाँधी	1996-98	पी. चिदम्बरम
1971-75	यशवन्तराज बी. चह्माण	1998-2003	यशवन्त सिन्हा
1975-77	सी. सुब्रह्मण्यम	2003-2004	जसवन्त सिंह
1977-78	एच.एम. पटेल	2004-2008	पी. चिदम्बरम
1979-80	चरण सिंह	2009-2012	प्रणव मुखर्जी
		2012 से अब तक	पी. दिसम्बरम

विविध (Miscellaneous)

पंचवर्षीय योजना (Five Year Plane)

पहली पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plan) 1951-1956

- इस योजना के लक्ष्य थे : शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्नों के मामले में कम-से-कम सम्भव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण करना। इसके साथ-साथ इस योजना में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया आरम्भ की गयी, जिससे राष्ट्रीय आय के लगातार बढ़ने का आश्वासन दिया जा सके। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गयी।

दूसरी पंचवर्षीय योजना (Second Five Year Plan) 1956-1961

- प्रो. पी. सी. महालनोबिस के मॉडल पर आधारित इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकीकरण था। इसके लिए भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। इन मूल महत्व के उद्योगों अर्थात् लौह एवं इस्पात, अलौह धातुओं, भारी रसायन, भारी इंजीनियरिंग और मशीन-निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने का दृढ़ निश्चय किया गया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (Third Five Year Plan) 1961-66

- तीसरी योजना ने अपना लक्ष्य आत्मनिर्भर एवं स्वयं-स्फूर्ति अर्थव्यवस्था की स्थापना करना रखा। इस योजना ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की, परन्तु इसके साथ-साथ इसने बुनियादी उद्योगों के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया जो कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक था।

तीन वार्षिक योजनाएँ (Three Year Schemes) 1966-67 से 1968-69

- वर्ष 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध से पैदा हुई स्थिति, दो साल तक लगातार भीषण सूखा पड़ने, मुद्रा का अवमूल्यन होने, कीमतों में हुई वृद्धि तथा योजना उद्देश्यों के लिए संसाधनों में कमी होने के कारण चौथी योजना को अन्तिम रूप देने में देरी हुई। इसलिए इसके स्थान पर चौथी योजना के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए 1966 से 1969 तक तीन वार्षिक योजनाएँ बनायी गयीं। इस अवधि को 'योजना अवकाश' (Plan Holiday) कहा गया है।

चौथी पंचवर्षीय योजना (Fourth Five Year Plan) 1969-1974

- चौथी योजना के मूल उद्देश्य थे- स्थिरता से साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। चौथी योजना में राष्ट्रीय आय की 5.5% वार्षिक औसत वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, बाद में इसमें सामाजिक न्याय के साथ विकास और 'गरीबी हटाओ' जोड़ा गया।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (Fifth Five Year Plan) 1974-1978

- इसमें दो मुख्य उद्देश्यो अर्थात् गरीबी की समाप्ति और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए वृद्धि की उच्च दर को बढ़ावा देने के अलावा आय का बेहतर वितरण और देशीय बचत दर में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की नीति

अपनाई गयी। मार्च, 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने चार वर्षों के पश्चात ही पाँचवी योजना को समाप्त कर दिया।

छठीवीं पंचवर्षीय योजना (Sixth Five Year Plan) 1980-1985

- छठी योजना दो बार तैयार की गयी। जनता पार्टी द्वारा (1978-83 की अवधि हेतु) 'अनवरत योजना' बनायी गयी। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र में रोजगार का विस्तार करना, जन-उपभोग की वस्तुएँ तैयार करने वाले कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा निम्नतम आय वर्गों की आय बढ़ाना था। परन्तु जब कांग्रेस सरकार ने नयी छठी योजना (1980-85) तैयार की, तब विकास के नेहरू मॉडल को अपनाया गया, जिसका लक्ष्य एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार करना था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (Seventh Five Year Plan) 1985-1990

- सातवीं योजना में खाद्यान्नों की वृद्धि, रोजगार के क्षेत्रों का विस्तार एवं उत्पादकता को बढ़ाने वाली नीतियों एवं कार्यक्रमों पर बल देने का निश्चय किया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (Eighth Five Year Plan) 1992-1997

- केन्द्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण आठवीं योजना दो वर्ष देर से प्रारम्भ हुई। आठवीं योजना का विवरण उस समय स्वीकार किया गया, जब देश एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसके मुख्य कारण थे- भुगतान संतुलन का संकट, बढ़ता हुआ ऋण भार, लगातार बढ़ता बजट-घाटा, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति और उद्योगों में प्रतिसार। नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक सुधारों के साथ राजकोषीय सुधारों की भी प्रक्रिया जारी की, ताकि अर्थव्यवस्था को एक नयी गति प्रदान की जा सके। आठवीं योजना का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना था।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (Ninth Five Year Plan) 1997-2002

- इसमें विकास का 15 वर्षीय परिप्रेक्ष्य शामिल किया गया। नौवीं योजना का प्रमुख लक्ष्य 'वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय और समानता' था। नौवीं योजना के विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित हैं-

नौवीं योजना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 6.5 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि केवल 5.4 प्रतिशत रही। अतः नौवीं योजना अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही।

नौवीं योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर के 3.9 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि केवल 2.1 प्रतिशत रही।

विनिर्माण क्षेत्र में भी उपलब्धि 3.9 प्रतिशत रही, जबकि इसका लक्ष्य 8.2 प्रतिशत था।

नौवीं योजना के 14.5 प्रतिशत के निर्यात लक्ष्य के विरुद्ध योजना के पाँच वर्षों के दौरान निर्यात की औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रही। इसी

प्रकार आयात के 12.2 प्रतिशत के विरुद्ध उपलब्धि केवल 6.6 प्रतिशत रही।

केवल निर्माण, सार्वजनिक, सामुदायिक एवं वैयक्तिक सेवाओं में उपलब्धि लक्ष्य से अधिक थी।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (Tenth Five Year Plan) 2002-2007

लक्ष्य (Target)

- योजना काल के दौरान जी.डी.पी. में वृद्धि दर 8 प्रतिशत पहुँचाना।
- निर्धनता अनुपात को वर्ष 2007 तक कम करके 20 प्रतिशत और वर्ष 2012 तक कम करके 10 प्रतिशत तक लाना।
- वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा की पहुँच को सर्वव्यापी बनाना।
- वर्ष 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या की दसवर्षीय वृद्धि दर को 16.2 प्रतिशत तक कम करना।
- साक्षरता में वृद्धि कर इसे वर्ष 2007 तक 72 प्रतिशत और वर्ष 2012 तक 80 प्रतिशत करना।
- वर्ष 2007 तक वनों से घिरे क्षेत्र को 25 प्रतिशत और वर्ष 2012 तक 33 प्रतिशत तक बढ़ाना।
- वर्ष 2012 तक पीने योग्य की पहुँच सभी ग्रामों में कायम करना।
- सभी मुख्य नदियों को वर्ष 2007 तक और अन्य अनुसूचित जल क्षेत्रों को वर्ष 2012 तक साफ करना।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (Eleventh Five Year Plan) 2007-2012

लक्ष्य (Target)

- जीडीपी वृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% करना और इसे 12वीं योजना के दौरान 10% पर बरकरार रखना ताकि 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया जा सके।
- कृषि आधारित वृद्धि दर को 4% प्रतिवर्ष तक बढ़ाना।
- रोजगार को 700 लाख नए अवसर पैदा करना।
- साक्षर बेरोजगारी की दर को 5% से नीचे लाना।
- 2011-12 तक प्राथमिक स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर में 2003-04 के 52.2% के मुकाबले 20% की कमी करना।
- 7 वर्षीय या अधिक के बच्चों व व्यक्तियों की साक्षरता दर को 85% तक बढ़ाना।
- बाल मृत्युदर को घटाकर 28 प्रति 1000 व मातृ मृत्यु दर को 1 प्रति 1000 करना।
- प्रजनन दर को घटाकर 2.1 के स्तर पर लाना।
- 2009 तक सभी के लिए पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (Twelfth Five Year Plan) 2012-2017

- राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने 2012-17 तक चलने वाली 12वीं योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 27 दिसंबर को 57वीं एनडीसी की बैठक में यह योजना दी गई। इस योजना में वृद्धि का लक्ष्य 8.2 फीसदी से घटाकर 8.0 फीसदी किया गया है। योजना

के पांच साल में पांच करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने और बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। योजना दस्तावेज में कृषि, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। 12वीं योजना में केंद्र का सकल योजना आकार 43 लाख 33 हजार 739 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सकल योजना व्यय 37 लाख 16 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

- इससे पहले 12वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में 9.0 फीसदी आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखने का सुझाव था। लेकिन, वैश्विक आर्थिक चिंताओं और घरेलू अर्थव्यवस्था में गहराती सुस्ती के चलते सितंबर 2012 में इसे कम करके 8.2 फीसदी कर दिया गया था। चालू वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आर्थिक वृद्धि 5.7 से 5.9 फीसदी के दायरे में रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले एक दशक में यह सबसे कम आर्थिक वृद्धि होगा।
- मार्च 2011 में समाप्त हुई 11वीं योजना में औसत वार्षिक वृद्धि 7.9 फीसदी रही थी।

12वीं योजना के लक्ष्य (Goals of Twelfth Plan)

- सरकारी कामकाज के ढंग सुधारे जाएँगे इसके लिए नए सिरे से तय किए जाएँगे सरकारी कार्यक्रम
- शत-प्रतिशत वयस्क साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य
- स्वास्थ्य और शिक्षा पर किया जाएगा फोकस, स्वास्थ्य पर खर्च को जीडीपी के 1.3 से बढ़ाकर किया जाएगा 2-2.5 फीसदी
- एफडीआई नीति के उदार बनाकर मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को नई गति प्रदान करने पर जोर

पंचवर्षीय योजनाओं में विकास

(Development In Five Year Plans)

कालावधि	लक्ष्य	वास्तविक
पहली योजना (1951-56)	2.1	3.61
दूसरी योजना (1956-61)	4.5	4.27
तीसरी योजना (1961-66)	5.6	2.84
चौथी योजना (1969-74)	5.7	3.30
पाँचवीं योजना (1974-78)	4.4	4.80
छठी योजना (1980-85)	5.2	5.66
सातवीं योजना (1985-90)	5.0	6.01
आठवीं योजना (1992-97)	5.6	6.50
नौवीं योजना (1997-2002)	6.5	5.40
दसवीं योजना (2002-2007)	8.0	7.2
ग्यारहवीं योजना (2007-2012)		

बजट (Budget)

परिणाम बजट एवं निष्पादन बजट

(Outcome Budget & Performance Budget)

इन दोनों को भारत में 2005 में लागू किया गया बजट तैयार कर इसे लागू करना जितना महत्वपूर्ण होता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उस बजट की समीक्षा है। बजट के माध्यम से तय किये गये लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं या नहीं एवं साथ ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित साधन एवं संसाधन पर्याप्त हैं या नहीं इनकी समीक्षा के उद्देश्य से बजट लागू होने के 6 महीने बाद परिणाम बजट तैयार किया जाता है एवं इसके आधार पर वांछनीय संशोधन किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में जब वर्तमान बजट की सफलता एवं असफलता की समीक्षा की जाती है तो इसे निष्पादन बजट कहते हैं। वह अगले वित्तीय वर्ष के बजट के लिए दिशा निर्देश का कार्य करती है।

शून्य आधार बजट (Zero Base budget)

इस प्रक्रिया को भारत में अमेरिका से अपनाया गया। प्रारम्भ से इसे रक्षा मंत्रालय में लागू किया गया (1984)। तत्पश्चात् 1987 में इसे हर सरकारी विभाग एवं मंत्रालयों में लागू कर दिया गया। यह सरकार के गैर-अनिवार्य खर्चों को कम करने का एक उपाय है। इसके अंतर्गत किसी भी सरकारी योजना अथवा परियोजना की समीक्षा प्रतिवर्ष की जाती है। इस समीक्षा के दौरान यह देखा जाता है कि क्या यह परियोजना आर्थिक अथवा सामाजिक रूप से भविष्य में उपयोगी होगी। यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि भविष्य में इस परियोजना से किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा तो उसी दिन से उस परियोजना अथवा योजना के राजस्व घाटे में से राज्यों को दिये गये अनुदान का यही हिस्सा, जिसे राज्य पूंजीगत निर्माण में प्रयोग कर लेते हैं, घटा दिया जाता है तो बचा हुआ राजस्व घाटा केन्द्र का प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है। इस FRBM Act - 2003 को संशोधित कर वित्तीय वर्ष 2011-12 में लागू किया गया।

राजकोषीय उत्तदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003

(Fiscal Responsibility and Budget Management Act - 2003)

➤ 1980 एवं 90 के दशक में सरकार का राजकोषीय स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। अतः घाटों को विधिवत रूप से निरंतर कम करने के उद्देश्य से विजय केलकर के नेतृत्व में एक समिति गठित की गयी इसी समिति ने राजकोषीय घाटे एवं राजस्व घाटों को कम करने के उद्देश्य से कुछ लक्ष्य प्रदान किये। इन लक्ष्यों को संसद में FRBM Act - 2003 के रूप में पारित किया गया। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्न थे-

- सरकार अपने गैर-जिम्मेदाराना खर्चों को कम कर व्यय में कटौती करके इसके साथ-साथ कर के आधार को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त का प्रयास करे।
- वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रतिवर्ष राजस्व घाटे को 5% की दर से कम किया जाये।
- 31 मार्च 2009 तक घाटे को घटा कर शून्य कर दिया जाये।

- वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रतिवर्ष राजकोषीय घाटे को 0.3% के दर से कम किया जाये।
- 31 मार्च 2009 तक राजकोषीय को घटाकर GDP के 3% तक लाया जाये।
- विगत वर्ष के मुकाबले किसी भी वर्ष सरकार के ऋण में 9% से ज्यादा की बढ़ोतरी न हो।
- प्रत्येक तिमाही के आधार पर राजकोषीय स्वास्थ्य की पूर्ण जानकारी संसद में प्रस्तुत की जाये।
- किसी आपात कालीन स्थिति में सरकार इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में चूक सकती है।

अर्थोपाय अग्रिम (WMA) (Wages and means Advantages)

जब देश में हीनार्थ प्रबंधन की व्यवस्था लागू थी तब भारत सरकार ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से आर.बी.आई. को प्रतिभूति जारी कर देती थी यदि वे प्रतिभूतियाँ खत्म हो जाती थी तो अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ (Ad-hoc treasury bills) जिनकी परिपक्वता की अवधि मात्र 91 दिनों की होती थी, जारी करके बेची जाती थी। यदि वे प्रतिभूतियाँ भी खत्म हो जाती थी अथवा बाजार से ऋण उठाना संभव नहीं रह जाता था तो आर.बी.आई. नये नोट जारी करती थी।

अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा के अंतर्गत ये अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ जारी करने की प्रक्रिया खत्म कर दी गयी। साथ ही यह सुनिश्चित कर दिया गया कि सरकार के खर्चों को पूरा करने के लिए नये नोट जारी नहीं किये जायेंगे। इस सुविधा के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही, भारत सरकार एवं आर.बी.आई. यह सुनिश्चित कर लेती है कि घाटे की भरपाई के लिए अधिकतम कितनी प्रतिभूतियाँ जारी की जायेंगी। साथ ही एक राशि सुनिश्चित की जाती है जो प्रतिभूतियाँ को बेचने के उपरान्त अतिरिक्त रूप से आर.बी.आई. सरकार को प्रदान करने का आश्वासन देती है। यदि प्रतिभूतियों को बेचने के उपरान्त भी यदि घाटा-बरकरार रहे, तो आर.बी.आई. सरकार के खर्चों के लिए उसी पूर्व निर्धारित राशि में से अपने संसाधनों के माध्यम से 90 दिनों तक के लिए ऋण प्रदान करती है जिसकी ब्याज दर बैंक दर से 2 प्रतिशत ज्यादा होती है। इसी सुविधा को अर्थोपाय अग्रिम कहते हैं। यदि यह राशि भी खत्म हो जाये तो आर.बी.आई. सरकार को 10 दिनों के लिए अधिविकृष की सुविधा केन्द्र के अलावा आर.बी.आई. 23 अन्य राज्यों को भी प्राप्त कराती है। ये वो राज्य हैं जिनका खाता आर.बी.आई. के पास चलता है।

सरकार के विभिन्न प्रकार के घाटे

(Different Types Of Government Losses)

सरकार के आय और व्यय के बीच के अंतर को दर्शाने के लिए अलग-अलग उद्देश्य से अलग-अलग प्रकार के घाटों की गणना की जाती है। ये प्रमुख घाटे निम्नलिखित हैं-

- राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)
- राजस्व घाटा (Revenue Deficit)
- प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)
- मौद्रिक घाटा (Monetised Deficit)
- प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit)

(i) राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

यह सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। परन्तु इसकी गणना में लिये गये ऋण को आय का हिस्सा नहीं रखते। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि सरकार का राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में लिए गये कुल ऋण के बराबर होता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.1% रखा गया था जोकि वास्तव में मात्र 4% ही रहा। वित्तीय वर्ष 2015 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.9% का रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 3.5% एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3% का रखा गया है।

राजकोषीय घाटा आय में बढ़ोत्तरी के कारण तथा व्यय में कटौती के कारण भी कम होता है। यदि घाटा उतना ही रहे परन्तु सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोत्तरी हो जाये तो प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में घाटा कम दिखता है।

(ii) राजस्व घाटा (Revenue Deficit)

यह सरकार के राजस्व आय एवं राजस्व व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। यदि राजस्व व्यय अत्यधिक हो जिससे राजस्व घाटा बढ़ रहा हो तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अथवा सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए अच्छा सूचक नहीं है। यह दर्शाता है कि देश में उपभोग के उद्देश्य से सरकार का व्यय ज्यादा है जिसके कारण सरकार के पास पूंजीगत निर्माण के लिए संसाधनों की कमी उत्पन्न हो सकती है।

(iii) प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)

किसी भी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान सरकार के व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ब्याज का यह भुगतान विगत वर्षों में लिये गये ऋण के ऊपर होता है। अतः यह देखने के उद्देश्य से कि विगत वर्षों में लिये गये ऋण के ऊपर होता है। अतः यह देखने के उद्देश्य से कि विगत वर्षों में यदि ऋण न लिये गये होते एवं ब्याज का भुगतान का सरकार के व्यय में कोई भूमिका नहीं होती तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल घाटा कितना होता, प्राथमिक घाटे की गणना की जाती है। अतः प्राथमिक घाटे की गणना के लिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान वाला हिस्सा घटा देते हैं।

(iv) मौद्रिक घाटा (Monetised Deficit)

इसकी गणना 1997 के बाद से नहीं की जाती है। यह सरकार के घाटे का वह हिस्सा हुआ करता था जिसकी भरपाई आर.बी.आई. नये नोट जारी करके करती थी। चूंकि अब सरकार के घाटे की भरपाई के लिए नये नोट जारी नहीं किये जाते, मौद्रिक घाटे की गणना अब नहीं होती।

(v) प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit)

सरकार के कुल व्यय में से राज्यों को दिया गया अनुदान केन्द्र के राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। परन्तु प्राप्त किये गये इस अनुदान में से एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्य सरकारें पूंजीगत निर्माण के उद्देश्य से खर्च कर देती है।

राजकोषीय प्रणाली (FISCAL SYSTEM)

➤ यह सरकार की कुल आय एवं व्यय से सम्बन्धित है। सरकार की आय को बढ़ाने से एवं व्यय को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से जो नीतियाँ बनायी

जाती हैं, उन्हें राजकोषीय नीति कहते हैं। यह नीतियाँ वित्तीय मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के कुल आय एवं व्यय का सम्पूर्ण लेखा जोखा तथा आगामी वित्तीय वर्ष की कुल आय एवं व्यय का अनुमानित लेखा जोखा संसद में राष्ट्रपति के नाम पर बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

- सरकार की आय को मुख्यतः दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है-
 - (i) राजस्व आय
 - (ii) पूंजीगत आय
- उसी प्रकार सरकार के व्यय को भी दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है-
 - (i) राजस्व व्यय
 - (ii) पूंजीगत व्यय

राजस्व आय (Revenue Receipt)

- ये सरकार की वैसी आय है जो न तो किसी परिसम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के रूप में होती है एवं न ही किसी सम्पत्ति की बिकवाली से प्राप्त की जाती है। इनमें निम्नलिखित आय सम्पत्ति है-
 - (i) कर (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)
 - (ii) ब्याज की प्राप्ति
 - (iii) सरकारी कम्पनियों से लाभांश की प्राप्ति
 - (iv) जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, यातायात, संचार इत्यादि जैसी सेवाओं से होने वाले राजस्व की प्राप्ति
 - (v) जुर्माना
 - (vi) किराये से होने वाला लाभ इत्यादि।

पूंजीगत आय (Capital Receipt)

- यह वैसी आय है जो कि किसी सम्पत्ति की बिकवाली से अथवा स्वयं किसी परिसम्पत्ति के रूप में होती है। इसमें निम्नलिखित आय सम्मिलित हैं-
 - (i) विनिवेश
 - (ii) निजीकरण
 - (iii) भूमि, कार्यालय, रक तदान, गृह इत्यादि जैसी सम्पत्तियों की बिकवाली
 - (iv) ऋण की प्राप्ति
 - (v) दिये गये ऋण के मूलधन की वसूली

राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)

- ये सरकार के वैसे व्यय हैं जिससे न तो किसी सम्पत्ति का निर्माण होता है और न किसी सम्पत्ति अथवा परिसम्पत्ति के रूप में होते हैं। इसमें सरकार के निम्नलिखित व्यय सम्मिलित हैं-
 - (i) लिए गये ऋण पर ब्याज का भुगतान
 - (ii) सरकार द्वारा प्रदान किये गये परिदान
 - (iii) सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन का भुगतान

- (iv) रक्षा के लिए किया गया व्यय
- (v) राज्यों को दिया गया वह अनुदान जिसकी नहीं की जा सकती
- (vi) कानून व्यवस्था एवं लोक प्रशासन
- (vii) प्राकृतिक आपदाओं से पिटने के लिए किया गया व्यय
- (viii) समाजकल्याण से सम्बंधित योजनाएँ

पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure)

- ये वैसे व्यय है जिनसे या तो सम्पत्ति का निर्माण होता है या वे स्वयं सम्पत्ति के रूप में अथवा परिसम्पत्ति के रूप में होते हैं। इसमें निम्नलिखित व्यय सम्मिलित है-
 - (i) बुनियादी निर्माण जैसे कि सड़क निर्माण, पुल निर्माण, बांध निर्मा इत्यादि।
 - (ii) सामाजिक बुनियादी निर्माण जैसे कि विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल इत्यादि का निर्माण।
 - (iii) कारखानों की स्थापना
 - (iv) भवन अथवा कार्यालयों का निर्माण, रेलवे स्टेशन बंदरगाह इत्यादि का निर्माण
 - (v) भूमि अधिग्रहण
 - (vi) सरकार द्वारा दिया गया ऋण
- राजस्व व्यय में ऐसे कई व्यय हैं जिससे पूँजी व्यय भी सम्मिलित होते हैं। अतः गणना के दौरान इन दोनों व्यय को अलग कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर रक्षा के क्षेत्र में लड़ाकू विमान, युद्ध पोत इत्यादि का अधिग्रहण पूँजीगत व्यय में आयेगा। इन सभी प्रकार के व्ययों में से जिन खर्चों को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पूर्व नियोजित किया जाता है। उन्हें नियोजित व्यय कहते हैं एवं अन्य सभी व्ययों को अनियोजित व्यय कहते हैं (राज्यों को दिये गये अनुदान के अलावा सरकार का सर्वाधिक व्यय व्याज के भुगतान में होता है।)

हीनार्थ प्रबंधन (Hinarth Management)

- यदि सरकार की आय उसके व्यय से कम रह जाये, तो सरकार घाटे में कहलाती है। इस घाटे की भरपाई के लिए सरकार घरेलू बाजार से ऋण प्राप्त करती है। सरकार के घाटे की इस भरपाई के लिए बाजार से ऋण उठाने का कार्य आर.बी.आई. करती है। इस पूरी प्रक्रिया में आर.बी.आई. बाजार में बिल तथा बॉण्ड दोनों ही रूपों में प्रतिभूतियाँ बेचकर ऋण प्राप्त करती है।

राजकोषीय शुद्धिकरण (Fiscal Consolidation)

किसी भी देश में, उस देश के राजकोषीय स्वास्थ्य का उस देश की साख पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। राजकोषीय घाटों के कारण साख पर नकारात्मक पड़ता है। ऐसे में उस देश में विदेशी निवेश तथा उस देश के लिए किसी अन्य विदेशी स्रोत से ऋण लेना कठिन हो जाता है।

भारत एक विकासशील देश है जिसमें सरकार की भूमिका अत्यधिक रही है। आजादी के समय से ही निजी निवेश के आभाव के कारण सरकार को औद्योगिकरण की प्रक्रिया में भी निवेश करना पड़ा। इसके साथ-साथ अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण परियोजनाओं के माध्यम से अथवा समाज कल्याण योजनाओं के माध्यम से समाज के निम्न वर्ग को मुख्यधारा में लाने के प्रयास भी किया गया। सरकार की भूमिका आधारभूत बुनियादी निर्माण में भी रही। अतः सरकार के व्यय में बढ़ोत्तरी बरकरार रही, देश में बेरोजगारी एवं गरीबी के कारण राजस्व की प्राप्ति निम्न रही। जागरूकता की कमी के कारण कर की प्राप्ति में भी कमी देखी गयी ऐसे में राजकोषीय एवं राजस्व घाटे का बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। अतः राजकोषीय शुद्धिकरण के उद्देश्य से सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है-

- (i) अधिकारी तन्त्र के आकार में कमी
- (ii) मंत्रालयों के आकार में कमी
- (iii) सरकार द्वारा प्रदान किये गये परिदान में कटौती
- (iv) गैर-अनिवार्य योजनाओं एवं परियोजनाओं की समाप्ति
- (v) धन के आवंटन से सम्बंधित भ्रष्टाचार एवं दुरुपयोग की रोकथाम
- (vi) सरकार द्वारा किये गये लाभ का उपभोगों तक प्रत्यक्ष हस्तान्तरण
- (vii) जन वितरण प्रणाली जैसे खाद्य सुरक्षा सम्बन्धित व्यवस्था को दुरुस्त करना

राजकोषीय शुद्धिकरण राजकोषीय स्वास्थ्य को दुरुस्त करने की प्रक्रिया को सम्बोधित करता है। इस संदर्भ में जो सुनहरा नियम है वह यह प्रतिपादित करता है कि सरकार के राजस्व घाटे शून्य किये जाये एवं ऋण की प्राप्ति मात्र पूँजीगत निर्माण के उद्देश्य से ही की जाये।

भारतीय कृषि (Indian Agriculture)

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका (Role of Agriculture in the National Economy)

1. राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा (Share of Agriculture in National Income)

- वर्तमान में कृषि क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14% का योगदान करता है। 1950-51 में यह जी.डी.पी. का 55.4% था।
- राष्ट्रीय आय में कृषि तथा सम्बद्ध उद्योगों का हिस्सा काफी अधिक है। हालांकि यह धीरे-धीरे कम होता जा रहा है।

2. रोजगार का स्रोत (Source of Employment)

- भारत में श्रम शक्ति का लगभग 55% भाग कृषि से जीविका पाता है।
- यह बहुत निराशाजनक है कि 1951-2001 के दौरान, कृषि श्रमिकों का अनुपात 20% से बढ़कर 27% हो गया; जबकि कृषकों की मात्रा 50% से घटकर 32% हो गई।

3. औद्योगिक विकास का स्रोत (Source of Industrial Development)

- कृषि से प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। सूती और पटसन वस्त्र, उद्योग, चीनी, चाय, वनस्पति तथा बागान उद्योग, ये सब कृषि पर निर्भर है। हस्तकरघा बुनाई, तेल निकालना, चावल कूटना आदि बहुत से लघु और कुटीर उद्योगों को भी कृषि से कच्चा माल मिलता है।
- विनिर्माण-क्षेत्र में उत्पन्न आय का 50% इस क्षेत्र से आता है।

4. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि की महत्ता (Importance of Agriculture in International Trade)

- भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मुख्यतः कृषि वस्तुएँ हैं।
- मोटे तौर पर कुल निर्यात में कृषि वस्तुओं का अनुपात लगभग 10-15% है तथा कृषि से बनी वस्तुओं का अनुपात 20% है।

5. आर्थिक आयोजन में कृषि की भूमिका (Role of Agriculture in Economic Planning)

- कृषि भारत की परिवहन-व्यवस्था का मुख्य अवलम्ब है क्योंकि रेलवे और सड़क मार्ग का अधिकांश व्यापार कृषि वस्तुओं को लाना व ले जाना है।
- अन्तर्देशीय व्यापार की वस्तुएँ भी मुख्यतः कृषि वस्तुएँ ही हैं।
- अच्छी फसल होने पर किसानों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है जिससे उद्योग-निर्मित वस्तुओं की माँग और कीमतें बढ़ जाती हैं। परिणामतः उद्योगों की प्रगति होने लगती है।
- ☞ भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है।
- ☞ अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत सकल उर्वरक उपभोग में विश्व में चौथा स्थान रखता है।
- ☞ भारत में खाद्यान्न फसलों की अधिकता है। वर्तमान में कृषि में प्रयुक्त भूमि का 65.8% भाग खाद्यान्न फसलों में तथा शेष 35.2% भाग व्यापारिक फसलों में प्रयोग किया जा रहा है।
- ☞ दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत में 110.5 मिलियन मी. टन प्रति वर्ष से अधिक दुग्ध उत्पादन होता है।
- ☞ भारत में कृषि उत्पादन में पशुपालन उत्पाद का हिस्सा 26% है।
- ☞ हरित क्रान्ति का सम्बन्ध कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीक के सुधार एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने से है। इस क्रान्ति का श्रेय अमेरिका के डॉ. नॉर्मन बोरलॉग और भारत के डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन को जाता है।
- ☞ दुध के क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रमों को ही **श्वेत क्रान्ति** का नाम दिया गया। श्वेत क्रान्ति गति को और तेज करने के उद्देश्य से 'आपरेशन फ्लड' नामक योजना आरम्भ की गयी। इस क्रान्ति का रेय भारत के डॉ. वर्गीस कुरियन को जाता है।

■ कृषि उत्पादक बोर्ड (Agriculture Producer Board)

बोर्ड	मुख्यालय
टी बोर्ड	कोलकाता
तम्बाकू बोर्ड	गुंटुर
मसाला बोर्ड	कोच्चि
कॉफी बोर्ड	बंगलौर
रबड़ बोर्ड	कोट्टायम
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड	आनंद

■ उत्पादन सम्बन्धित क्रान्तियाँ (Production Related Revolution)

हरित	खाद्यान्न (अनाज-गेहूँ, चावल, मक्का आदि) उत्पादन
काली	पेट्रोलियम उत्पादन
नीली	मछली उत्पादन
भूरी	चमड़ा/गैर-परंपरागत ईंधन/ कोको उत्पादन
सुनहरी	बाग (उद्यान)/शहद उत्पादन
सुनहरा रेशा	जूट उत्पादन
सलेटी	खाद (उर्वरक) उत्पादन
गुलाबी	प्याज/औषधि/झींगा उत्पादन
लाल	मॉस/टमाटर उत्पादन
वृत्ताकार	आलू उत्पादन
चमकीला रेशा	कपास उत्पादन
चमकीला	अंडा/कुक्कुट उत्पादन
श्वेत	दुग्ध उत्पादन
पीली	खाद्य तेल उत्पादन
सदाबहार	कृषि

भारतीय के प्रमुख उद्योग (Main Industries of India)

■ प्रमुख उद्योगों की स्थापना (Establishment of Main Industries)

उद्योग	आधुनिक तरीके के प्रथम कारखाने का स्थापना वर्ष एवं स्थान
सूती वस्त्र	1818, कोलकाता
जूट	1855, शिक्षा (प. बंगाल)
लोहा इस्पात	1870, कुल्टी (प. बंगाल)
चीनी उद्योग	1900, बिहार
सीमेण्ट	1904, चेन्नई (मद्रास)
साइकिल	1918, कोलकाता
कागज	1812, सेरामपुर (प. बंगाल)
उर्वरक	1906, तमिलनाडु

■ **सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने (Public Sector Steel Factories)**

स्थान	तथ्य
राउरकेला (उड़ीसा)	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। 1959 ई. में उत्पादन शुरू हुआ।
भिलाई (मध्य प्रदेश)	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया। 1959 ई. में उत्पादन शुरू हुआ।
दुर्गापुर (प. बंगाल)	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। वर्ष 1962 ई. में उत्पादन शुरू हुआ।
बोकारो (झारखण्ड)	एशिया का सबसे बड़ा संयन्त्र। इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया। वर्ष 1973 ई. में उत्पादन आरम्भ हुआ।
बर्नपुर (प. बंगाल)	निजी क्षेत्र संयन्त्र के राष्ट्रीयकरण द्वारा अधिगृहीत यह संयन्त्र रूस की सहायता से स्थापित हुआ।
विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश)	चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 2256 करोड़ रुपये की सरकारी लागत से रूस की सहायता से स्थापित किया गया।
सलेम (तमिलनाडु)	चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत किया गया।
भद्रावती (कर्नाटक)	चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत किया गया।
विजयनगर (कर्नाटक)	चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया।

■ **विभिन्न उद्योगों से जुड़े प्रमुख स्थान (Major Locations Associated With Different Industries)**

स्थान	महत्वपूर्ण उद्योग
असम घाटी	स्थानीय चाय, चावल, तिलहन का प्रसंस्करण
दार्जिलिंग क्षेत्र	स्थानीय चाय का प्रसंस्करण
उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से सटा उत्तर बिहार	स्थानीय गन्ने से चीनी का निर्माण
दिल्ली-मेरठ	स्थानीय गन्ने से चीनी का निर्माण, कुछ वस्त्र, रसायन एवं इंजीनियरिंग सामान

इन्दौर-उज्जैन	स्थानीय बाजार के लिए सूती वस्त्र, हस्तशिल्प
नागपुर-वर्धा	लघु कपास वस्त्र, लौह ढलाई खाना, रेलवे एवं सामान्य इंजीनियरिंग सामान, काँच एवं मिट्टी निर्माण
धारवाड़-बेलगाम	स्थानीय एवं अन्य बाजार के लिए सूती वस्त्र, रेलवे एवं सामान्य इंजीनियरिंग सामान
गोदावरी-कृष्णा डेल्टा	स्थानीय तम्बाकू, गन्ना, चावल एवं तेल, सीमेन्ट, लघु वस्त्र
कानपुर	वस्त्र एवं पोशाक, वृहद् आधुनिक चर्म उद्योग, चर्म कर्म, जूता निर्माण, सैनिकों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए इन सभी की स्थापना की गई है।
चेन्नई	वस्त्र, हल्की इंजीनियरिंग वस्तुएँ, विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता सामग्री
मालाबार-कोल्लम-त्रिचूर	काजू प्रसंस्करण, नारियल एवं तिलहन प्रसंस्करण, नारियल के छिलके से वस्तु निर्माण, साबुन, वस्त्र, विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प
शोलापुर वस्त्र निर्माण	स्थानीय मिट्टी से उत्पादित कपास पर आधारित महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग केन्द्र

■ **सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम (Public Sector Industrial Undertakings)**

नाम	स्थान
हिन्दुस्तान कार्बनिक रसायन लिमिटेड	रसायनी (महाराष्ट्र)
भारतीय दवा एवं औषधि लिमिटेड	
■ एण्टीबायोटिक संयन्त्र (आई. डी. पी. एल.)	ऋषिकेश (उत्तराखंड)
■ संश्लेषित दवा परियोजना	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
■ सर्जरी उपकरण संयन्त्र	चेन्नई
हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक लिमिटेड	पिम्परी (महाराष्ट्र)
हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड	अवलाय (केरल) एवं दिल्ली
भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड	नंगल (पंजाब), सिन्दरी (झारखण्ड), ट्राम्बे (महाराष्ट्र), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), नामरूप (असम), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)

भारी जल संयन्त्र	नेवेली, (तमिलनाडु), नाहरकटिया (असम), राउरकेला (ओडिशा), ट्राम्बे (महाराष्ट्र)
भारत डायनामिक्स लिमिटेड	हैदराबाद
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	जलाहाली (कर्नाटक), गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	रानीपुर (उत्तराखण्ड), रामचन्द्रपुर (आन्ध्र प्रदेश), तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु), भोपाल (मध्य प्रदेश)
भारत हैवी प्लेट एवं वैसेल्स लिमिटेड	विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश)
सेन्ट्रल मशीन टूल्स	बंगलौर
चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स	चितरंजन (पश्चिम बंगाल)
कोचीन शिपयार्ड	कोच्चि
डीजल लोकोमोटिव वर्क्स	मरवाडीह, वाराणसी (उ. प्र.)
गार्डेन रीच वर्कशाप लिमिटेड	कोलकाता
हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	बंगलौर
हैवी इलेक्ट्रिकल्स (भारत) लिमिटेड	भोपाल
भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड	राँची
भारी मशीन निर्माण संयन्त्र	राँची
भारी वाहन कारखाना	अवाड़ी (तमिलनाडु)
हिन्दुस्तान केबल्स कारखाना	रूपनारायणपुर (पश्चिम बंगाल)
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	जलाहाली (कर्नाटक) बंगलौर के समीप, पिंजौर (हरियाणा), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), कलामसारी (केरल)
हिन्दुस्तान शिपयार्ड	विशाखापट्टनम एवं कोच्चि
भारतीय टेलीफोन उद्योग	बंगलौर, नैनी (उत्तर प्रदेश), रायबरेली (उत्तर प्रदेश), मानकपुर, गोंडा (उत्तर प्रदेश)
इंस्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड	कोटा (राजस्थान), पालक्कड़ (केरल)
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री	पेरम्बूर (तमिलनाडु), कोटकपूरा (पंजाब)
भारतीय मशीन टूल निगम	अजमेर (राजस्थान)

मशीन टूल मॉडल कारखाना	अम्बरनाथ, मुम्बई
मझगाँव डॉक्स लिमिटेड	मुम्बई
खनन एवं सम्बद्ध उपकरण निगम लिमिटेड	दुर्गापुर
नाहन ढलाईखाना	सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)
राष्ट्रीय उपकरण कारखाना	कोलकाता
प्राग टूल्स कांफोरिशन	हैदराबाद निगम लिमिटेड
तुंगभद्रा इस्पात उत्पादन लिमिटेड	तुंगभद्रा (कर्नाटक)
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	हैदराबाद
हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	उदयपुर (राजस्थान)
भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	कोरेबा (मध्य प्रदेश), रत्नागिरी (महाराष्ट्र)
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	अग्निगुडला (आन्ध्र प्रदेश), दारिबा (राजस्थान), मलाजखण्ड (मध्य प्रदेश), राखा (झारखण्ड)
भारत रसोई कोयला लिमिटेड	धनबाद (झारखण्ड)
भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	कोलार (कर्नाटक)
कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड	कोलकाता
नेवेली लिग्नाइट निगम	नेवेली (तमिलनाडु)
जस्ता प्रगलक	जवार (राजस्थान)
राष्ट्रीय अखबारी कागज कारखाना लिमिटेड	नेपानगर (मध्य प्रदेश)
भारतीय तेलशोधक लिमिटेड	बरौनी (बिहार)
	नूनमाटी (असम)
कोचीन तेलशोधक कारखाना	कोच्चि (केरल)
कोयली तेलशोधक कारखाना	कोयली (गुजरात)
भारतीय विस्फोटक कारखाना	गोमिया, हजारीबाग (झारखण्ड)
हिन्दुस्तान फोटोफिल्म निर्माण कम्पनी लिमिटेड	ऊटकमण्ड, (तमिलनाडु)

नई औद्योगिक नीति के तहत आरक्षित की संख्या 3 है- (i) परमाणु ऊर्जा (ii) रेल परिवहन एवं (iii) परमाणु ऊर्जा की अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज। 9 मई 2001 के मंत्रीमण्डलीय निर्णय के अनुसार सरकार ने सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसके लिए कम्पनी को रक्षा मंत्रालय से लाइसेंस लेना पड़ता है।

- संसाधन जुटाने तथा कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से, सार्वजनिक उद्यमों के सम्बन्ध में विनिवेश की नई नीति वर्ष 1991-92 से अपनाई गई है।
- 100 प्रतिशत निर्यात मूलक इकाइयों में 100% विदेशी पूँजी निवेश की अनुमति दी गई है।
- विनिवेश या अपनिवेश (disinvestment) का अर्थ उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना है।
- सन् 1996 ई. में विनिवेश मुद्दे पर समीक्षा, तथा विनियमन के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष जी. वी. रामकृष्ण थे।

औद्योगिक क्षेत्र	विदेशी निवेश की सीमा
सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र	49%
निजी बैंकिंग क्षेत्र	74%
गैर बैंकिंग वित्तीय कं.	100%
बन्दरगाह निर्माण	100%
विद्युत् एवं ऊर्जा (परमाणु ऊर्जा छोड़कर)	100%
पर्यटन	100%
दूरसंचार	74%
लघु उद्योग क्षेत्र	100%
पेट्रोलियम (रिफाइनिंग नई इकाईयाँ)	100%
दवा उद्योग	100%
नागरिक उड्डयन	49%
बीमा क्षेत्र	49%
कोयला खनन	100%
पेंशन	49%

■ निजीकृत की गई सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ (Personalized Public Sector Companies)

सार्वजनिक कम्पनी	निजी क्षेत्र की कम्पनी, जिसे बेचा गया
मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
बाल्को	स्टारलाइट इंडस्ट्रीज
हिन्दू टेलीप्रिन्ट्स	एचएफसीएल
विदेश संचार निगम लिमिटेड	टाटा समूह की पैनाटोन फिनवैस्ट
सीएससी	टाटा संघ
पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड	जुआरी मारोक फॉस्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड

आयल कॉर्पोरेशन (Oil Corporation)

1. इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आई.ओ.सी.)

- 1964 में इण्डियन रिफाइनरी लि. तथा इण्डियन ऑयल कं. को शामिल करके स्थापित की गई।

2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बी.पी.सी.)

- बर्मा शैल का अधिग्रहण करके 1976 में स्थापित की गई।

3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एच.पी.सी.)

- ई. एम.एस. ओ. तथा कालटैक्स को मिलाकर 1974 में स्थापित की गई।

प्रमुख तेल क्षेत्र (Main Oil Sector)

- गुजरात कैम्बे, अंकलेश्वर, अलपद, समन्द, कलौरी, विनाद
- असम डिग्बोई, रूद्रसागर तथा सिबसागर
- पंजाब-आदमपुर, जनोंरी तथा ज्वालामुखी

महत्वपूर्ण तेल उत्पादन क्षेत्र (Important Oil Production Area)

- असम, त्रिपुरा, मणिपुर, पं. बंगाल, गंगा घाटी, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, आन्ध्र प्रदेश तथा समुद्र की ओर बॉम्बे हाई, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा गुजरात।

उद्योगों से जुड़े विभिन्न संगठन

(Different Organizations Related to Industries)

1. भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.)

- यह भारतीय उद्योगों के उत्पादों के लिए मानक तैयार करने हेतु एक अर्द्ध सरकारी संस्था है। इसे वर्ष 1947 में स्थापित किया गया और यह विभिन्न उत्पादों पर गुणवत्ता चिह्न अर्थात् आई. एस. आई. चिह्न आवंटित करता है।

2. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (एन.पी.सी.)

- यह एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना 1958 में उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई थी। यह उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियों एवं तकनीकों का उपयोग कर उत्पादन सम्बन्धी जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है। उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक उत्पादकता के लिए एन.पी.सी. पुरस्कार दिए जाते हैं।

औद्योगिक रूग्णता (Industrial Sickness)

- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक औद्योगिक इकाई उस स्थिति में रूग्ण (sick) मानी जाएगी जब इसे एक वर्ष नकद हानियाँ हो जाती हैं और आगामी दो वर्षों में भी नकद हानियाँ जारी रहने की सम्भावना होती है।



औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड

(Board for Industrial and Financial Reconstruction)

- 1985 में औद्योगिक रूग्णता की समस्या पर विचार हेतु गठित तिवासी समिति की सिफारिशों के आधार पर रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम [Sick Industrial Companies (Special Provision) Act-SICA 1985] पारित किया गया।
- इसके बाद बृहत् और मध्यम क्षेत्र की बीमार और सम्भावित बीमार कम्पनियों के पुनरुत्थान, उधार उपचार, पुनर्संगठन, पुनर्स्थापन आदि के उद्देश्य से 12 जनवरी, 1987 को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संगठन बोर्ड (Board for Industrial and Financial Reconstruction) की स्थापना बीमार औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम के अन्तर्गत की गई।

औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाले प्रमुख संस्थान

(Main Institutions For Providing Industrial Finance)

- स्वतन्त्रता के पश्चात् उद्योगों के विकास के लिए विकास बैंकों की स्थापना की गई। वर्तमान के उद्योगों के विकास के लिए छः विकास बैंक कार्यरत हैं। ये विकास बैंक निम्नलिखित हैं-
 - भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)
 - भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI)
 - भारतीय औद्योगिक ऋण एवं विनियोग निगम (ICICI)
 - भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (IRCI)
 - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)
 - भारतीय शिपिंग ऋण एवं निवेश कम्पनी (SCICI)

नवरत्न (Navratnas)

- विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले देश के कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को सरकार ने देश के 'नवरत्नों' के रूप में मान्यता दी है।
- इन्हें 1,000 करोड़ रुपये या अपनी नेटवर्थ के 15% तक के सौदे करने की स्वायत्तता सरकार द्वारा दी गई है-
 - नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन
 - ऑयल इंडिया लिमिटेड
 - राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
 - हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)
 - भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)
 - नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO)
 - महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL)
 - भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BEL)
 - हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड (HAL)
 - पावर फाइनेंस लिमिटेड (PFC)
 - नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NMDC)
 - पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
 - रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 - शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

- इसके अतिरिक्त 3 अक्टूबर, 1997 को सरकार ने लाभ में चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के 97 उपक्रमों को मिनी-रत्न अथवा लघु रत्न का दर्जा प्रदान किया। अब यह संख्या 62 हो गई है।

महारत्न (Maharatna)

- महारत्न योजना का मुख्य उद्देश्य बड़े सरकारी उपक्रमों को शक्ति प्रदान करना है ताकि वे अपने परिचालन का विस्तार कर सकें और वैश्विक स्तर की प्रमुख कंपनियां बन सकें। महारत्न कंपनियों के निदेशक मंडल के पास नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीबीएसई) को मिली सभी शक्तियों के अलावा संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनियों में निवेश और निदेशक मंडल से नीचे के स्तर पर नए पदों के निर्माण का अधिकार होगा। महारत्न का दर्जा हासिल होने से कंपनी का निदेशक मंडल बिना सरकारी मंजूरी के 5,000 करोड़ रुपये तक के निवेश का फैसला ले सकेगा जबकि फिलहाल यह सीमा 1,000 करोड़ रुपये की है।
- महारत्न का दर्जा हासिल करने के लिए कंपनी का पिछले तीन साल में सालाना शुद्ध मुनाफा 5,000 करोड़ रुपये होना जरूरी है। इसके अलावा कंपनी का निवल मूल्य 15,000 करोड़ और कारोबार 25,000 करोड़ रुपये का होना आवश्यक है। साथ ही कंपनी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध भी होनी चाहिए।
- निम्न कंपनियां सरकार द्वारा तय महारत्न की कसौटी पूरी करती हैं-
 - राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC)
 - तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC)
 - भारतीय इस्पात प्राधिकरण निगम (SAIL)
 - भारतीय तेल निगम (IOC)
 - कोल इण्डिया लिमिटेड (CIL)
 - भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL)
 - भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (GAIL)

बेरोजगारी और निर्धनता
(Unemployment And Poverty)

बेरोजगारी (Unemployment)

बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति की ओर इंगित करती है जिसमें किसी व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं होता अर्थात् वह कोई ऐसी गतिविधि नहीं करता जिसके बदले उसे पैसे अथवा वस्तु के रूप में आमदनी हो, और वह ऐसी गतिविधि की तलाश में होता है।

बेरोजगारी के प्रकार (Types of Unemployment)

- संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment)**
सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप कुछ उद्योगों का विस्तार होता है, जबकि कुछ अन्य उद्योग शनैः-शनैः संकुचित होते जाते हैं। यदि भौगोलिक एवं तकनीकी दृष्टि से श्रम पूर्णतः गतिशील हो तो संकुचित होने वाले उद्योगों के श्रमिक नए उद्योगों में खपाए जा सकते हैं,

परन्तु वास्तव में श्रम इन दृष्टियों से पूर्णतः गतिशील नहीं होता, जिसके कारण कुछ बेरोजगारी उत्पन्न होती है। औद्योगिक जगत् में इस प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है। मूलतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप इसी प्रकार का है।

- **अल्प रोजगार (Under-employment)** : इसके अन्तर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं, जिनको थोड़ा बहुत काम मिलता है और जिनके द्वारा वे कुछ अंशों तक उत्पादन में योगदान देते हैं, किन्तु इनको अपनी क्षमतानुसार काम नहीं मिलता या पूरा काम नहीं मिलता। इसमें कृषि में लगे श्रमिक भी आते हैं, जिन्हें करने के लिए कम काम मिलता है।
- **छिपी हुई बेरोजगारी अथवा अदृश्य बेरोजगारी (Disguised Unemployment)** : इसके अन्तर्गत श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं, किन्तु वास्तव में उन श्रमिकों की उस कार्य में आवश्यकता नहीं होती अर्थात् यदि उन श्रमिकों को उस कार्य से निकाल दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इन श्रमिकों की सीमान्त उत्पादकता शून्य अथवा नगण्य होती है। कृषि में इस प्रकार की अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता है।
- **खुली बेरोजगारी (Open Unemployment)** : इससे तात्पर्य उस बेरोजगारी से है, जिसके अन्तर्गत श्रमिकों को बिना किसी कामकाज के रहना पड़ता है। उन्हें थोड़ा बहुत भी काम नहीं मिलता है। भारत में बहुत से श्रमिक गाँवों से शहरों की तरफ काम प्राप्त करने के लिए जाते हैं, किन्तु काम उपलब्ध न होने के कारण वहाँ बेरोजगार पड़े रहते हैं। इसके अन्तर्गत मुख्यतः शिक्षित बेरोजगार तथा साधारण (अदक्ष) बेरोजगार श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है।
- **शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment)** : शिक्षित बेरोजगार ऐसे श्रमिक हैं जिनको शिक्षित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं तथा उनकी कार्यकुशलता (क्षमता) भी अन्य श्रमिकों से अधिक होती है, किन्तु उनको अपनी योग्यतानुसार कार्य नहीं मिलता तथा वे बेरोजगारी से ग्रसित हो जाते हैं। वर्तमान में देश के सामने शिक्षित बेरोजगारों की समस्या बहुत गम्भीर समस्या बनी हुई है।
- **मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)** : इसके अन्तर्गत किसी विशेष मौसम या अवधि में प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। भारत में कृषि में सामान्यतः 7-8 माह ही काम चलता है तथा शेष महीनों में खेत में व्यक्तियों को बेकार बैठना पड़ता है।
- **शहरी बेरोजगारी (Urban Unemployment)** : शहरी क्षेत्रों में प्रायः खुले किस्म की बेरोजगारी पायी जाती है। इसमें औद्योगिक बेरोजगारी तथा शिक्षित बेरोजगारी को सम्मिलित किया जा सकता है।
- **ग्रामीण बेरोजगारी (Rural Unemployment)** : इसे कृषिगत बेरोजगारी भी कहा जाता है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। इस प्रकार की बेरोजगारी के सही आँकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।

निर्धनता (Poverty)

- देश में निर्धनता अनुपात व निर्धनों की संख्या के संबंध में ताजा आँकड़े योजना आयोग द्वारा 19 मार्च, 2012 को जारी किए गए हैं। तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले के आधार पर 2009-10 के लिए यह आँकड़े जारी किए गए हैं। इससे पूर्व इस फॉर्मूले द्वारा निर्धनता संबंधी आँकड़े 2004-05 के लिए जारी किए गए थे। तेंदुलकर फॉर्मूले में निर्धनता रेखा का आकलन भोजन में कैलोरी की मात्रा के बजाए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर किया गया है तथा प्रत्येक राज्य में निर्धनता रेखा के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय अलग-अलग निर्धारित किया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 672.8 रुपए प्रति माह व शहरी क्षेत्रों में 859.6 रुपए प्रति माह के उपभोग को जहाँ 2009-10 में निर्धनता रेखा की पहचान के लिए निर्धारित किया गया है, वहीं अलग-अलग राज्यों में यह अलग-अलग निर्धारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में ओडिशा में जहाँ यह 567.1 रुपए (न्यूनतम) है, वहीं बिहार में 655.6 रुपए, छत्तीसगढ़ में 617.3 रुपए, पंजाब में 830 रुपए तथा नागालैंड में यह सर्वोच्च 1016.8 रुपए है। शहरी क्षेत्रों में भी यह न्यूनतम ओडिशा में 736 रुपए है जबकि उत्तर प्रदेश में यह 799.9 रुपए, दिल्ली में 1040.3 रुपए तथा नागालैंड में यह सर्वोच्च 1147.6 रुपए निर्धारित किया गया है।

■ न्यूनतम निर्धनता अनुपात वाले राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र (State With Lowest Poverty Ratio/Union Territory)

राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र		निर्धनता अनुपात (% में)	
अंडमान निकोबार		0.4	
पुदुचेरी		1.2	
लक्षद्वीप		6.8	
गोवा		8.7	
चंडीगढ़		9.2	
जम्मू-कश्मीर		9.4	
हिमाचल प्रदेश		9.5	
सर्वोच्च निर्धनता अनुपात वाले राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र		निर्धनों का सर्वाधिक संख्या वाले राज्य	
राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र	निर्धनता अनुपात (% में)	राज्य	निर्धनों की संख्या (लाख में)
बिहार	53.5	उत्तर प्रदेश	737.9
छत्तीसगढ़	48.7	बिहार	543.5
मणिपुर	47.1	महाराष्ट्र	270.8
झारखंड	39.1	मध्य प्रदेश	261.8
दादरा एवं नगर हवेली	39.1	पं. बंगाल	240.3

महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार कार्यक्रम (Important Poverty Alleviation And Program)

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana)

- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, गाँवों में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार की एक अकेली योजना 1 अप्रैल, 1999 को प्रारम्भ की गई। इस योजना में पूर्व से चल रही निम्नांकित 6 योजनाओं का विलय किया गया है- (1) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम (IRDP), (2) स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम (TRYSEM), (3) ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (DWCRA), (4) ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम (SITRA), (5) गंगा कल्याण योजना (GKY) तथा (6) दस लाख कुआँ योजना (MWS)
- अब उपर्युक्त कार्यक्रम अलग से नहीं चल रहे हैं। इस योजना में पहले के स्वरोजगार कार्यक्रमों की शक्तियों और कमजोरियों का ध्यान रखा गया है।

2. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (Prime Minister's Scheme)

- ग्रामीणों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से वर्ष 2000-01 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना घोषित की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के समग्र उद्देश्य सहित स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल आवास तथा ग्रामीण सड़कों जैसे पाँच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर विकास करने पर ध्यान देना इसका उद्देश्य है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) : वर्ष 2007 तक 500 व्यक्तियों से अधिक जनसंख्या सहित सभी ग्रामवासियों को सभी मौसमों में अच्छी रहने वाली सड़कों के माध्यम से सड़क सम्पर्क सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से यह योजना 25 दिसम्बर, 2000 को शुरू की गई।
- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) : ग्रामीण स्तर पर लोगों के स्थायी निवास को विकसित करने तथा ग्रामीण गरीबों की बढ़ती हुई आवास सम्बन्ध आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 25 लाख आवासों का निर्माण करने की योजना।
- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पेयजल आपूर्ति परियोजना) : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल आवंटन का कम-से-कम 25 प्रतिशत भाग सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मरू विकास कार्यक्रम/सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में जल संरक्षण, जल प्रबन्धन, जल भराई तथा पेयजल संसाधनों को कायम रखने के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के सम्बन्ध में उपयोग में लाया जाना है।

3. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (Sampoorna Grameen Rozgar Yojana)

- प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना की घोषणा 15 अगस्त, 2001 को लाल किले की प्राचीर से की गई थी, किन्तु इसका शुभारम्भ प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितम्बर, 2001 को फरह (जिला-मथुरा) से किया गया जिसके लिए

रोजगार आश्वासन योजना (EAS) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY) को एक में मिला दिया गया था। ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा संचालित की जाने वाली 10 हजार करोड़ रुपये वार्षिक की केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त एवं सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना भी है।

4. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (Swaran Jayanti Shahari Rozgar Yojana-SJSRY)

- स्वतन्त्रता के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में केन्द्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में निर्धनता निवारण की एक नई योजना प्रारम्भ की। स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना (SJSRY) नाम से प्रारम्भ यह योजना 1-12-1997 से लागू की गई। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में पहले से क्रियान्वित की जा रही तीन योजनाओं-नेहरू रोजगार योजना (NRY), निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएँ (Urban Basic Services for the Poor-UBSP) तथा प्रधानमंत्री की समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन योजना (Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Programme-PMIUPEP) को इसी नई योजना में शामिल कर दिया गया है।

5. अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana)

- प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसम्बर, 2000 को अपने 76वें जन्मदिवस के अवसर पर दो नई योजनाओं का शुभारम्भ किया। इनमें से एक योजना निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंत्योदय अन्न योजना नाम से प्रारम्भ की गई। इसके तहत देश के एक करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रति माह 25 किग्रा खाद्यान्न 2 प्रति किग्रा गेहूँ तथा ₹3 प्रति किग्रा चावल उपलब्ध कराये जाएंगे।

6. अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme)

- यह योजना 9 मार्च, 1999 को आरम्भ की गई थी। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किग्रा खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।
- शुरूआत में इस योजना के अन्तर्गत केवल वे ही वरिष्ठ नागरिक आते थे जिन्हें योग्य होने के बावजूद किन्हीं कारणों से वृद्ध पेंशन नहीं मिल पाती थी। बाद में इस योजना में वृद्ध पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल कर लिया गया।
- योजना के अन्तर्गत आने वाले नागरिकों को ₹2 प्रति किग्रा गेहूँ तथा ₹3 प्रति किग्रा चावल, की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

7. राष्ट्रीय राजमार्ग योजना (National Highway Scheme)

- प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2001 को घोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में समुचित गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने के साथ-साथ बड़ी मात्रा में 'रोजगार के अवसर' भी उपलब्ध कराना है। यह योजना स्वतन्त्र भारत की एक अति महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना होगी, जिसमें लाखों मानव दिवसों का श्रम आधारित रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना पर 55 हजार करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

8. प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (Prime Minister's Rozgar Yojna)

- शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 2 अक्टूबर, 1993 से प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (PMRY) के अन्तर्गत आठवीं योजना के दौरान उद्योग सेवा तथा कारोबार में सात लाख लघुतर इकाइयाँ (Tiny Units) स्थापित करके लगभग 10 लाख से भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।

राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम (नरेगा) (National Rural Guarantee Act)

प्रारंभ : 2 फरवरी, 2006 (आन्ध्रप्रदेश के वान्दावाली जिले के अनन्तपुर गाँव से)

एक्ट : नेशनल रूरल इम्प्लाइमेंट गारंटी अधिनियम (सितम्बर, 2005)

नीति निर्माता : जीन ड्रेज (बेल्जियम के अर्थशास्त्री)

क्रियान्वयन : ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा

लागू : शुरू में यह योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू हुई, अप्रैल, 2008 से यह 614 जिलों में लागू है।

विलय : सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना + काम के लिए अनाज योजना।

वित्तीय सहयोग : केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90 : 10 के अनुपात में दी जाती है।

योजना का प्रारूप : प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार। इसमें 33% महिलाओं की भागीदारी होगी।

15 दिन का रोजगार प्रदान न करने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा।

कार्यस्थल पर मृत्यु होने या स्थाई अपंगता की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा 25000 रु. की राशि दी जाएगी।

कार्य की अवधि : 07 घंटे होगी तथा सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होगी। कार्यस्थल घर के 05km के भीतर हो। दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी होगी।

☞ नरेगा का नाम 2 अक्टूबर, 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा-महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है।

■ योजनाएँ : संक्षिप्त में (Schemes : In Short)

मनरेगा	2 फरवरी, 2006	ग्रामीण क्षेत्रों में काम का अधिकार देना
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	1 अप्रैल, 1999	ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	2009-10	50% अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले ग्रामों का विकास
मरुभूमि विकास कार्यक्रम	1977-78	मरुभूमि क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	2005	ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	25 सितंबर, 2001	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	1 दिसंबर, 1997	शहरों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	2005-06	शहरी निर्धनों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना
प्रधानमंत्री रोजगार योजना	2 अक्टूबर, 1993	शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
मिड डे मील योजना	15 अगस्त, 1995	विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना
जनश्री बीमा योजना	10 अगस्त, 2000	बीमा सुविधा उपलब्ध कराना
पॉपुलेशन फर्स्ट योजना	2002	जनसंख्या वृद्धि को कम करना
निर्मल भारत योजना	2002	भारत को मलिन बस्ती से मुक्त करना
भारत निर्माण योजना	2005	ग्रामीण संरचना को मजबूत बनाना
इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	2010	ग्रामीण इलाकों में जच्चा-बच्चा को सुविधा प्रदान करना
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	2007	स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना

प्रधानमंत्री जनधन योजना (Prime Minister's Plan)

इसका शुभारंभ 28 अगस्त 14 को हुआ। यह वित्तीय समावेशन की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। इसके अंतर्गत निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से 26 जनवरी 15 तक 7.5 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया एवं पहले ही दिन कुल 77 हजार शिविरों के माध्यम से 1.5 करोड़ बैंक खाते प्रदान किये गये जो कि एक कीर्तिमान है।

इस योजना के अंतर्गत पहचान पत्र से संबंधित नियमों को आसान बनाया गया (Know you customer Arm- KYC)। इसके अंतर्गत पारम्परिक पहचान पत्रों के साथ-साथ मनरेगा कार्ड भी पहचान पत्र के रूप में वैध मान लिया गया। यदि यह भी उपलब्ध न हो तो ग्राम सभा द्वारा लिखित प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। इस योजना के अंतर्गत उन ग्राहकों को जिनके पास अब तक बैंक खाता न हो No files A/C / मौलिक खाता प्रदान किया जायेगा।

रूपे Payment Getaway एक प्रदान करने वाली कम्पनी है जिसकी स्थापना National Payment Co-operation of India ने की है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम। यह खाता खाताधरक को शून्य जमा राशि पर प्रदान किया

जायेगा। खाताधारक के एक लाख रुपये तक की बीमा सुविधा प्रदान की जायेगी। यदि खाता 26 जनवरी 2015 से पूर्व प्राप्त किया गया हो तो ₹ 30,000 का अतिरिक्त बीमा प्राप्त होगा। यदि खाता 6 महीनों तक जीवित रहे तथा यह आधार से जुड़ा हो तो खाताधारक को ₹ 5,000 तक की अधिविकर्ष सुविधा (Overdraft) प्राप्त होगी।

किसी भी योजना की तरह जन-धन योजना के कुछ नकारात्मक पक्ष एवं सकारात्मक पक्ष हैं। जन-धन योजना के अंतर्गत बीमा का लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रारम्भ में ऐसे लोगों ने भी खाता खुलवाया जिनके पास पहले से ही बैंक खाता उपलब्ध था। साथ ही कुल खातों का एक बहुत बड़ा हिस्सा निष्क्रिय रह गया एवं उसमें किसी भी प्रकार की जमा राशि जमा नहीं हुई। ऐसे खातों से बैंकों के संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है एवं उनका व्यय बढ़ता है। साथ ही पहचान पत्रों के संबंधित नियमों को आसान बनाने से बैंकों के वित्तीय स्थायित्व पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अधिविक के रूप में दी गयी राशि की वसूली से सम्बन्धित कोई भी अतिरिक्त प्रस्ताव नहीं रखे गये हैं। ऐसे में बैंकों के गैर-निष्पादकारी परिसम्पत्तियों (NPA) के बढ़ने का खतरा है।

परन्तु इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष भी हैं। यह देश की वैसे आबादी को भी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में सफल रही है जो अब तक बैंकों के सम्पर्क में नहीं थे। इससे बैंकों में पैसा जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा एवं घरों में रखा हुआ पैसा अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होगा। यह बैंकों की निर्भरता आर.बी.आई. पर कम करेगी एवं आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। बैंक खाता प्रदान करने के बाद भी परिदान का प्रत्यक्ष वितरण (Direct Benefit Transfer) जैसी सुविधाओं को प्रदान किया जा सकेगा। बैंक खातों के अभाव में देश के एक-एक नागरिक को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं को लागू करना असंभव होता। बैंक खातों के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत लाभ उन्हीं श्रमिकों तक प्रत्यक्ष रूप में पहुँच सकेगा जो इसके हकदार हैं।

भुगतान बैंक/ पेमेंट बैंक (Payment Bank / Payment Bank)

आर.बी.आई. ने पेमेन्ट बैंक की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान करने के उद्देश्य से नवम्बर 2014 में दिशा निर्देश जारी किये। इसके आधार पर कुल 41 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 11 को पेमेन्ट बैंक की स्थापना हेतु मंजूरी दी गयी। भुगतान बैंक की स्थापना मात्र ग्रामीण क्षेत्रों में ही हो सकती है। इसकी स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश 100 करोड़ रुपये का होगा। प्रथम पाँच वर्षों में संस्थापक को अपनी हिस्सेदारी घटाकर 40% तक लानी होगी एवं 12 वें वर्ष के अंत तक संस्थापक को अपनी हिस्सेदारी 26% तक लानी होगी पेमेन्ट बैंक मात्र बचत खातों के रूप में ही जमा राशि प्राप्त कर सकते हैं। ये बचत खाता भी मौलिक खाता (No Freels A/c) होगा। भुगतान बैंक उपभोक्ता को किसी भी प्रकार का ऋण प्रदान नहीं कर सकते। अतः ये बैंक डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं परन्तु यह क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। भुगतान बैंक अपनी कुल जमा राशि का 75% हिस्सा SLR के रूप में रखेंगे तब ये SLR मात्र सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में ही रहेंगी इन बैंकों को CRR भी रखना अनिवार्य होगा। बची हुयी राशि ये बैंक किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक में चालू खाता एवं सावधि

जमा राशि के रूप में रखेंगे। अतः इन बैंकों की आय का मुख्य स्रोत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश एवं अन्य बैंकों के साथ रखे गये सावधि जमा राशि राशि के रूप में होंगे।

स्माल फाइनेन्स बैंक (Small Finance Bank)

इनकी स्थापना भी नचीकेत मोर समिति के सुझावों के आधार पर ही की जा रही है। इनकी स्थापना के लिए कम से कम 100 करोड़ के पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। संस्थापक को पहले पाँच वर्षों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 40% तक लानी होगी एवं 12 वें वर्ष के अंत तक संस्थापक को हिस्सेदारी 26% तक लानी होगी। ये ग्रामीण बैंक ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्थापित किये जा सकते हैं। ये ग्राहकों से जमा राशि भी प्राप्त कर सकते हैं एवं उपभोक्ता को ऋण भी प्रदान कर सकते हैं। परन्तु ये बैंक खाता एक मौलिक खाता (No freels A/c) होगा। इन बैंकों द्वारा CRR एवं SLR के शर्त को भी पूरा किया जायेगा। इन बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋण का 75% हिस्सा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण के रूप में जाना चाहिए। दिये गये कुल ऋण में से 50% हिस्सा कुछ इस प्रकार ऋण के रूप में जाना चाहिए कि किसी भी एक ग्राहक को 25 लाख रुपये से ज्यादा की राशि प्राप्त न हो।

हालांकि ये वर्गीकृत बैंक लोगों से वित्तीय सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक प्रभावी उपकरण सिद्ध हो सकते। इनके कार्य करने की प्रक्रिया कितनी सफल होगी यह भविष्य में ही तय हो पायेगा क्योंकि पेमेन्ट बैंक आप के स्रोत के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों एवं अन्य बैंकों के साथ रखे गये सावधि जमा राशि पर आश्रित होंगे इनका मुनाफा नगण्य होगा। साथ ही चूँकि ये ऋण प्रदान नहीं कर सकते। ये वित्तीय समावेशन के एक ही पक्ष को पूरा कर सकेंगे। स्माल फाइनेंस

बैंक की कार्य प्रणाली इसे वित्तीय रूप में कमजोर कर सकती है। दिये गये ऋण का 75% हिस्सा प्राथमिकता वाले दोगे में दिया जाना अत्यधिक जोखिम भरा हो सकता है। अतः इन बैंकों के असफल होने से देश में वित्तीय अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

कुल जनसंख्या	1,21,01,93,422
■ पुरुष	62,37,24,248
■ स्त्रियाँ	58,64,69,174
दशकीय वृद्धि दर	17.64%
साक्षरता की दर	74.04%
■ पुरुष	82.14%
■ स्त्रियाँ	65.46%
औसत वार्षिक वृद्धि दर	1.64%
जनसंख्या (आयु वर्ग-0-6 वर्ष)	13.12%
जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग किमी)	382
लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएँ)	940

जनगणना (Census)-2011

➤ जनगणना-2011: दशकीय वृद्धि दर, लिंगानुपात, जनघनत्व एवं साक्षरता दर

क्र. सं.	प्रदेश/केन्द्रशासित प्रदेश	जनसंख्या 2011	दशकीय वृद्धि दर		लिंगानुपात		जनघनत्व		साक्षरता दर-2011 (%)		
			1991-2001	2001-2011	2001	2011	2001	2011	योग	पुरुष	महिला
1.	जम्मू-कश्मीर	12,548,926	29.43	23.71	892	883	100	124	68.70	78.30	58.00
2.	हिमाचल प्रदेश	6,856,509	17.54	12.81	968	974	109	123	83.80	90.80	76.60
3.	पंजाब	27,704,236	20.10	13.73	876	893	484	550	76.70	81.50	71.30
4.	चंडीगढ़	1,054,686	40.28	17.10	777	818	7900	9,252	86.40	90.50	81.40
5.	उत्तराखंड	10,116,752	20.41	19.17	962	963	159	189	79.60	88.30	70.70
6.	हरियाणा	25,353,081	28.43	19.90	861	877	478	573	76.60	85.40	66.80
7.	दिल्ली	16,753,235	47.02	20.96	821	866	9340	11,297	86.30	91.00	80.90
8.	राजस्थान	68,621,012	28.41	21.44	921	926	165	201	67.10	80.50	52.70
9.	उत्तर प्रदेश	199,581,477	25.85	20.09	898	908	690	828	69.70	79.20	59.30
10.	बिहार	103,804,637	28.62	25.07	919	916	881	1,102	83.80	73.50	53.30
11.	सिक्किम	607,688	33.06	12.36	875	889	76	86	82.20	87.30	76.40
12.	अरुणाचल प्रदेश	1,382,611	27.00	25.92	893	920	13	17	67.00	73.70	59.60
13.	नागालैंड	1,980,602	64.53	-0.47	900	931	120	119	80.10	83.30	76.70
14.	मणिपुर	2,721,756	29.86	18.65	978	987	103	122	79.80	86.50	73.20
15.	मिजोरम	1,091,014	28.82	22.78	935	975	42	52	91.60	93.70	89.40
16.	त्रिपुरा	3,671,032	16.03	14.75	948	961	305	350	87.80	92.20	83.10
17.	मेघालय	2,964,007	30.65	27.82	972	986	103	132	75.50	77.20	73.80
18.	असोम	31,169,272	18.92	16.93	935	954	340	397	73.20	78.80	67.30
19.	पश्चिम बंगाल	91,347,736	17.77	13.93	934	947	903	1,029	77.10	82.70	71.20
20.	झारखंड	32,966,238	23.36	22.34	941	947	338	414	67.60	78.50	56.20
21.	ओडिशा	41,947,358	16.25	13.97	972	978	236	269	73.50	82.40	64.40
22.	चंडीगढ़	25,540,196	18.27	22.59	989	991	154	186	71.00	81.50	60.60
23.	मध्य प्रदेश	72,597,565	24.26	20.30	919	930	196	236	70.60	80.50	60.00
24.	गुजरात	60,383,628	22.66	19.17	920	918	258	308	79.30	87.20	70.70
25.	दमन एवं दीव	242,911	55.73	53.54	710	618	1413	2,169	87.10	91.50	79.60
26.	दादरा और नगर हवेली	342,853	59.22	55.50	812	775	449	698	77.70	86.50	65.90
27.	महाराष्ट्र	112,372,972	22.73	15.99	922	925	315	365	82.90	89.80	75.50
28.	आंध्र प्रदेश	84,665,533	14.59	11.10	978	992	277	308	67.70	75.60	59.70
29.	कर्नाटक	61,130,704	17.51	15.67	965	968	276	319	75.60	82.80	68.10
30.	गोवा	1,457,723	15.21	8.17	961	968	364	394	87.40	92.80	81.80
31.	लक्षद्वीप	64,429	17.30	6.23	948	946	1895	2,013	92.30	96.10	88.20
32.	केरल	33,387,677	9.43	4.86	1058	1084	819	859	93.90	96.00	92.00
33.	तमिलनाडू	72,138,958	11.72	15.60	987	995	480	555	80.30	86.00	73.90
34.	पुदुचेरी	1,244,464	20.62	27.72	1001	1038	2030	2,598	86.50	92.10	81.20
35.	अंडमान एवं निकोबार	379,944	26.90	6.68	846	878	43	46	86.27	90.11	81.84
	भारत (कुल योग)	1,210,193,422	21.54	17.64	933	940	325	382	74.04	82.14	65.46

➤ भारत में जनसंख्या का विकास (Development of Population in India)

वर्ष	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि
1901	23,83,96,327	-
1911	25,20,93,390	5.75
1921	25,13,21,213	-0.31
1931	27,89,77,238	11.00

1941	31,86,60,580	14.22
1951	36,10,88,090	13.31
1961	43,92,34,771	21.64
1971	54,81,59,652	24.80
1981	68,63,29,097	24.66
1991	84,33,87,888	23.86
2001	102,70,15,247	21.54
2011	1,21,01,93,422	17.64

बैंकिंग एवं वित्तीय शब्द संक्षेप

(Banking and Financial Terminology)

अवमूल्यन (Devaluation)

किन्हीं दो या दो अधिक देशों में प्रचलित मुद्रा के आधार पर समानता स्थापित की जाती है, उस निर्धारित समानता को जब कोई घटा देता है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। जैसे भारत में प्रचलित रूपया नेपाल के दो रूपये के बराबर हो किन्तु इस मूल्यानुपात को घटा कर भारत सरकार अपने रूपए को नेपाली डेढ़ रूपये के बराबर मानने लगे तो इस रूपए का अवमूल्यन कहा जाएगा।

सामान्यतया कोई भी देश अपनी मुद्रा अवमूल्यन नहीं करना चाहता लेकिन जब मुद्रा स्फीति, उत्पादन में कमी आदि के कारण अपने ही देश में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो दूसरे देश भी अधिक मूल्य देकर कम मूल्य लेकर विनिमय करना पसन्द नहीं करते। ऐसी स्थिति में जिस देश की मुद्रा का आन्तरिक मूल्य घट जाता है उस देश को विवश होकर अपनी मुद्रा का वैदेशिक मूल्य भी घटाना पड़ा जाता है। इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। कभी-कभी ऐसा करना आयात और निर्यात के लिए भी हो जाता है।

टकसाल (Mints)

सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चाँदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन के लिए भारत सरकार की चार टकसालें मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित हैं। मुम्बई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें काफी समय पहले क्रमशः 1830, 1903 और 1950 में स्थापित की गई थी, जबकि नोएडा की टकसाल 1989 में स्थापित की गई थी। मुम्बई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों (मेडल) का भी उत्पादन किया जाता है। नोएडा की टकसाल में नवीनतम मशीनरी तथा उपकरण हैं परन्तु अन्य तीनों टकसालों की मशीनें काफी पुरानी हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके रखरखाव पर काफी लागत आती है।

देशी बैंक व्यवस्था (Indigenous Banking)

भारत में देशी बैंक व्यवस्था के अन्तर्गत सर्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन, शेटी आदि को सम्मिलित किया जाता है, जो रूपया उधार देते हैं तथा हुण्डियों अथवा आन्तरिक विनिमय-पत्रों द्वारा वित्त प्रबन्ध करते हैं। देशी बैंक अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों से जमा भी स्वीकार करते हैं। ये रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होते हैं।

मर्चेन्ट बैंकिंग (Merchant Banking)

वाणिज्यिक बैंकिंग के अन्तर्गत औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थानों को विशिष्ट प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें परियोजना सम्बन्धी परामर्श (Project Counselling), व्यवहार्यता रिपोर्ट (Feasibility report) तैयार करना, प्रस्तावों पर सरकार की सहमति प्राप्त करना, नए निर्गमों (New issues) के प्रबन्धक के रूप में कार्य करना, कार्यशील पूँजी (Working capital) की व्यवस्था करना आदि बातें उल्लेखनीय हैं।

साख-पत्र (Letter of Credit)

साख-पत्र सामान्यतः एक बैंक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम लिखा गया एक पत्र होता है जिसमें पत्र में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए चेकों या उसके द्वारा स्वीकार किए गए विनिमय बिलों के भुगतान की गारण्टी प्रदान की जाती है। इस प्रकार के साख-पत्र निर्यात आयात व्यापार में बहुत उपयोगी होते हैं।

सुरक्षित तथा असुरक्षित अग्रिम (Secured and Unsecured Advances)

सुरक्षित ऋण या अग्रिम का अर्थ ऐसे ऋण या अग्रिम से है, जोकि ऐसी प्रतिभूतियों के आधार पर दिया जाता है जिनका बाजार मूल्य किसी भी समय ऐसे ऋण या अग्रिम की राशि से कम नहीं होता, जो ऋण इस प्रकार से सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें असुरक्षित ऋण या अग्रिम कहते हैं।

एसटीटी (सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स)

शेयर बाजार में प्रतिभूतियों (Securities) के खरीदने या बेचने पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है।

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता

(Foreign Currency (Non-Resident) Accounts)

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों को 1 नवम्बर, 1975 से इस प्रकार के खाते खोलने की अनुमति प्रदान की है। इस प्रकार के जमा खाते कुछ चुनी हुई परिवर्तनशील मुद्राओं में खोले जाते हैं। नकद जमाओं के अलावा विदेशों में निवासी भारतीय ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर या चेक के द्वारा धनराशि भेज सकते हैं। जिस (स्वीकृत) मुद्रा में खाता रखा जाता है, ब्याज उसी मुद्रा में अदा किया जाता है। ब्याज पर भारतीय आयकर नहीं लगता।

विनिमय साध्य विपत्र (Negotiable Instrument)

विनिमय-साध्य विपत्र एक लिखित प्रपत्र होता है, जो विधि अथवा व्यापारिक प्रथा के अन्तर्गत अन्तरित किया जा सकता है। जो व्यक्ति ऐसा प्रपत्र सद्भाव से तथा मूल्य के बदले (in good faith and for value) प्राप्त करता है, उस व्यक्ति को ऐसे प्रपत्र पर समुचित स्वामित्व रखने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है चाहे उसके अन्तरणकर्ता का उस विपत्र पर कोई स्वामित्व नहीं था अथवा दोषपूर्ण स्वामित्व था। वचन-पत्र (Promissory note), विनिमय-पत्र (Bill of exchange) तथा चेक (Cheque) की गणना विनिमय साध्य विपत्रों, के अन्तर्गत की जाती है। इन विपत्रों का नियमन 'विनिमय साध्य विपत्र अधिनियम' (Negotiable Instruments Act) के द्वारा होते हैं।

कर, उपकर तथा अधिभार (Tax, Cess and Surcharge)

कर, उपकर तथा अधिकार कर की श्रेणी में आते हैं, किन्तु उपकर तथा अधिभार कर से भिन्न हैं। किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए कर नहीं लगाया जाता, जबकि उपकर तथा अधिभार दोनों ही किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजस्व की उगाही के लिए लगाए जाते हैं। उपकर कर के साथ कर आधार पर ही

किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया कर है, जबकि अधिभार कर के ऊपर कर है, जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है। सामान्यतया अधिभार प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है, जबकि उपकर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर दोनों पर लगाया जाता है। इस प्रकार सिद्धान्ततः उपकर कर आधार पर लगाया जाता है, जबकि कर भार कर दायित्व पर लगाया जाता है।

पुनः अधिभार तथा उपकर की प्राप्ति को राज्यों के वितरण योग्य पूल (Divisible Pool) में नहीं डाला जाता। इसके राजस्व को उन उद्देश्यों पर लगाया जाता है, जिनके लिए इन्हें लगाया जाता है।

समपार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security)

समपार्श्विक प्रतिभूति ऋण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्राथमिक प्रतिभूति के अतिरिक्त ऋणी से प्राप्त की जाती है। यह प्रतिभूति तृतीय पक्षकार द्वारा उसकी जमानत (Guarantee) स्वरूप अथवा ऋणी द्वारा अन्य प्रतिभूतियाँ प्रदान करके उपलब्ध की जाती है।

बचत बैंक खाता (Savings Bank Account)

बचत बैंक खाता उन व्यक्तियों के लिए है, जो अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी वर्तमान आय का कुछ भाग बचाकर रखना चाहते हैं। इस खाते में जमा राशि पर कुछ ब्याज भी दिया जाता है। प्रत्येक कलेण्डर महीने के दसवें दिन के अन्त से लेकर इस महीने की अन्तिम तारीख तक की अवधि में जो भी न्यूनतम जमा बाकी रहती है, उसके आधार पर ब्याज दिया जाता है।

लदान बिल (Bill of Lading)

लदान बिल अथवा लदान रसीद जहाज कम्पनी द्वारा माल प्राप्ति की रसीद होती है जिसमें माल का पूर्ण विवरण, लदान की तिथि, माल पहुँचने का स्थान आदि तथ्यों का विवरण होता है। बैंको द्वारा इस प्रकार बिलों के प्रति ऋण उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

चालू खाता (Current Account)

यह एक प्रकार का माँग जमा (Demand Deposit) खाता है जिसमें से किसी भी कार्य दिवस को अनेक बार कितनी भी राशि का लेन-देन किया जा सकता है। इन खातों में जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, बल्कि बैंक लेन-देनों (Transactions) की संख्या के आधार पर कुछ सेवा शुल्क (Service charge) खाताधारी से वसूल करते हैं।

सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government Securities)

सरकारी प्रतिभूतियों में सरकारी प्रतिज्ञा-पत्र (Government promissory notes), राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र तथा राष्ट्रीय बचत योजना, वाहक बन्धक पत्र (Bearer bonds) आदि सम्मिलित किए जाते हैं। बैंक इन प्रतिभूतियों की जमानत पर सरलता से ऋण प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है तथा ये सुरक्षित समझी जाती हैं।

नकद साख खाता (Cash Credit Account)

यह एक ऋण खाता है। इस खाते के अन्तर्गत बैंक खाताधारी को एक निश्चित मात्रा तक ऋण प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसी सीमा के अन्दर ऋणी अपनी आवश्यकतानुसार बैंक से रूपया लेता है और जमा भी करता है। ब्याज उसी राशि पर वसूल किया जाता है, जो वास्तव में ऋणी के पास रहती है।

करेंसी अथवा चलन मुद्रा तिजोरियाँ (Currency Chests)

करेंसी तिजोरियाँ ऐसे बॉक्स हैं जिनमें धात्विक सिक्कों के साथ-साथ नए या पुनः जारी कर सकने योग्य करेंसी नोटों का भण्डार रखा जाता है। ऐसी तिजोरियाँ रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सरकारी खजानों तथा उप खजानों (Government treasuries and sub-treasuries) द्वारा संचालित की जाती हैं। करेंसी तिजोरियों में इस तरह रखे जाने वाले नोटों का भण्डार सम्पूर्ण देश में फैला रहता है तथा अधिकांश मामलों में ये तिजोरियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ही संचालित की जाती हैं।

स्मार्ट कार्ड (Smart Card)

डॉक विभाग द्वारा चुनिंदा शहरों में प्रारम्भ की गई प्रीमियम बचत बैंक सेवा के अन्तर्गत प्रत्येक खातेदार को एक 'स्मार्ट कार्ड' जारी किया जाएगा, जिससे वर्तमान कागज की पासबुक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, 'स्मार्ट कार्ड' के माध्यम से खातेदार किसी एक निश्चित डाकघर के स्थान पर विभिन्न डाकघरों में अपने खाते में धन जमा करा सकेंगे तथा निकाल सकेंगे।

सावधि जमा (Time Deposits)

सावधि जमाओं के अन्तर्गत उन समस्त जमा राशियों को सम्मिलित किया जाता है, जो एक निर्धारित अवधि के लिए बैंक के पास जमा की जाती हैं। यह जमा राशि विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने पर देय (Repayable) होती है। बैंक ऐसी जमा राशियों पर अपेक्षाकृत ऊँची दर से ब्याज देते हैं। इस प्रकार के जमा बैंकों द्वारा प्रायः सावधि जमा खाते (Fixed Deposit Account) तथा आवर्ती जमा खाते (Recurring Deposit Account) में स्वीकार किए जाते हैं।

अनिवासी (बाह्य) रूपया खाता (Non-Resident (External) Rupee Accounts)

इस प्रकार के खाते प्रमुख व्यापारिक बैंकों में अनिवासी भारतीयों के नाम में खोले जा सकते हैं। यह खाते भारतीय रूपयों में खोले जाते हैं। खातों का मूलधन तथा उस पर अर्जित ब्याज को बिना किसी कठिनाई के जमाकर्ता को उसके देश वापस कर दिया जाता है, परन्तु रूपयों को विदेशी मुद्रा में उस दर से परिवर्तित किया जाता है, जोकि धन भेजने की तारीख को लागू होती है। इन खातों पर दिया गया ब्याज कर मुक्त होता है। ऐसे खाते अनिवासी भारतीयों (NRIs) तथा भारतीय मूल के विदेशियों द्वारा खोले जा सकते हैं। अन्य विदेशी लोगों को ऐसे खाते खोलने की अनुमति नहीं है।

माँग जमा (Demand Deposits)

माँग जमाओं के अन्तर्गत उन समस्त जमा राशियों को सम्मिलित किया जाता है, जो जमाकर्ता द्वारा अपनी इच्छानुसार चाहे जब वापस माँगी जा सकती हैं। बैंकों में चालू खाते (Current Account) तथा बचत खाते (Saving Account) में जमा राशियाँ माँग जमा के अन्तर्गत आती हैं।

प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action)

जब वाणिज्यिक बैंक केन्द्रीय बैंक के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो उन बैंकों को नीति का अनुकरण करने के लिए बाध्य करने की विधि को ही प्रत्यक्ष कार्यवाही कहा जाता है जैसे बैंकों को ही दी जाने वाली पुनः कटौती की सुविधा को बन्द कर देना, अतिरिक्त साख की स्वीकृति न देना आदि।

चेक कलेक्शन (Cheque Collection)

जब चेक शहर के शहर किसी अन्य स्थान पर भुगतान के लिए भेजा जाता है, तो इसे ही कलेक्शन कहते हैं। ऐसे चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक ग्राहक को डाक-व्यय एवं कमीशन लेती है।

म्यूचुअल फण्ड (Mutual Fund)

म्यूचुअल फण्ड के अन्तर्गत जन-साधारण के निवेश योग्य धन को ऐच्छिक आधार पर एकत्रित करके विनियोग के बेहतर अवसरों में प्रयोग किया जाता है। इसकी स्थापना प्रायः निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने वाली दक्ष वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाती है। भारत में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक, कनारा बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, इण्डियन बैंक तथा जीवन बीमा निगम आदि ने इस प्रकार के म्यूचुअल फण्ड स्थापित किए हैं।

बॉण्ड (Bond) अथवा डिबेन्चर (Debenture)

बॉण्ड एवं डिबेन्चर का अर्थ ऋणपत्रों से होता है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी संस्थान द्वारा ऋण लेकर जारी किया जाता है। संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ ऋण प्राप्त करने के लिए अपने डिबेन्चर जारी करती हैं। इन बॉण्डों को हस्तान्तरित भी किया जा सकता है, जो संस्था इन्हें जारी करती हैं वे इन पर धारक को निश्चित दर से ब्याज भी देता हैं।

प्रतिभूति (Security)

प्रतिभूति एक व्यापक शब्द है। एक अर्थ में प्रतिभूति शब्द का प्रयोग प्रपत्रों के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा शेयर, डिबेन्चर व अन्य ऋणपत्रों आदि के लिए किया जाता है। बैंकिंग में ऋणों की जमानत के सन्दर्भ में भी 'प्रतिभूति' काफी प्रयुक्त होता है, जहाँ प्रतिभूति से अभिप्राय उस बीमित हित से होता है, जो ऋण के भुगतान न होने की स्थिति में उत्पन्न होता है अर्थात् प्रतिभूति ऋण का बीमा होती है। बैंकों द्वारा ऋणी की व्यक्तिगत अथवा दृश्य प्रतिभूति पर ऋण प्रदान किया जाता है।

धारक बॉण्ड (Bearer Bond)

धारक बॉण्ड वे ऋणपत्र हैं, जिनका भुगतान परिपक्वता पर कोई भी प्राप्त कर सकता है। इन पर न तो खसीददार का नाम लिखा होता है और न ही हस्तान्तरित करते समय इनकी पीठ पर हस्ताक्षर ही करने होते हैं। प्रायः इनका उपयोग काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए किया जाता है।

व्यक्तिगत प्रतिभूति (Personal Security)

बैंक प्रायः छोटे-मोटे ऋणों के लिए ऋण लेने वाले व्यक्ति अथवा किसी तीसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिभूति को ही स्वीकार कर लेती है। व्यक्तिगत प्रतिभूति में ऋणी का चरित्र, उसकी सम्पत्ति (Assets) तथा क्षमता (Capacity) को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति दिवालिया नहीं होना चाहिए तथा उसकी बाजार में साख अच्छी होना चाहिए आदि।

सस्ती मुद्रा (Cheap Money)

वह मुद्रा जिसे नीची ब्याज दर (Low interest rate) पर प्राप्त किया जा सकता है, सस्ती मुद्रा कहलाती है।

दृश्य अथवा मूर्त प्रतिभूति (Tangible Security)

दृश्य प्रतिभूति में ऋण की वसूली प्रतिभूति बेचकर की जा सकती है। दृश्य प्रतिभूति में अंश (Shares), ऋणपत्र (Debentures), सरकारी प्रतिभूति, माल (Goods) एवं जीवन बीमा पॉलिसी आदि को सम्मिलित किया जाता है।

बैंक दर (Bank Rate)

बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है, जिस पर केन्द्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है अथवा स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। कुछ देशों में इसे कटौती-दर भी कहा जाता है। बैंक दर में परिवर्तन करके केन्द्रीय बैंक देश में साख की मात्रा को प्रभावित कर सकता है।

प्राथमिक प्रतिभूति (Primary Security)

प्राथमिक प्रतिभूति से अभिप्राय उस प्रतिभूति से होता है, जो ऋण को मुख्यतः सुरक्षित करती है तथा यह प्रतिभूति ऋणी द्वारा प्रदत्त की जाती है।

खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)

यह भी केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। खुले बाजार की क्रियाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों अथवा प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय होता है, परन्तु संकीर्ण अर्थ में इससे अभिप्राय केन्द्रीय बैंक द्वारा केवल सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय होता है।

नो फ्रिल अकाउंट (No Fril Account)

यह एक ऐसा सेविंग अकाउंट है जो बेहद बुनियादी बैंकिंग सुविधा है। इससे ग्राहक को कुछ बेहद जरूरी बैंकिंग सुविधा मिल जाती है। इसमें प्रीमियम सेविंग अकाउंट की सुविधा हासिल नहीं होती है। नो फ्रिल अकाउंट उन लोगों के लिए मुफीद है जो खाता खोलने के लिए बैंकिंग मानकों और जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते।

नो फ्रिल अकाउंट में कई न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं रखते। जबकि कुछ बैंकों में 500 रूपए का न्यूनतम बैलेंस जरूरी है। कुछ बैंक एटीएम की सुविधा देते हैं। कुछ बैंक चेकबुक और कुछ जरूरी सुविधाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लेते। कुछ बैंक स्टेटमेंट के लिए शुल्क वसूलते हैं तो कुछ नहीं। समावेशी बैंकिंग के लिए देश में ज्यादा से ज्यादा नो फ्रिल अकाउंट खोले जाने चाहिए।

ग्लोबल डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट (Global Depository Certificate)

किसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक की ओर से विदेशी कंपनियों के शेयरों के बदले जो सर्टिफिकेट जारी किये जाते हैं उसे ग्लोबल डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट कहा जाता है। इसे संक्षेप में जीडीआर कहा जाता है और यह एडीआर की ही तरह होते हैं। दरअसल जिस विदेशी कंपनी के शेयर एक साथ कई देशों में जारी होते हैं और इसके एवज में जमा रकम के बदले सर्टिफिकेट के समतुल्य शेयर उस बैंक की विदेशी शाखा के पास रखे जाते हैं।

थ्री-इन-वन अकाउंट (Three in One Account)

इस अकाउंट में आप तीन अकाउंट के काम कर सकते हैं। मतलब इस एक अकाउंट से सेविंग, ट्रेडिंग और डिमेट अकाउंट का काम हो सकता है। इसे ब्रोकरेज कंपनी या किसी भी बैंकिंग शाखा में खोला जा सकता है। इससे केवल

ऑन लाइन ट्रेड ही नहीं किया जा सकता है बल्कि इससे सेविंग अकाउंट का काम भी लिया जा सकता है।

ऑन लाइन अकाउंट और ऑफ लाइन अकाउंट की तुलना में इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है मतलब यह है कि इसमें ज्यादा तेज गति से काम किया जा सकता है। इसकी मदद से सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में धन ट्रांसफर किया जा सकता है।

साथ ही इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसके अंतर्गत किया जाने वाला ट्रांजेक्शन काफी सुरक्षित होता है। उदाहरण के लिए मान लिया आपका कोई ऑन लाइन अकाउंट है और आप अपने सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको दो पासवर्ड रखने होंगे। लेकिन श्री इन वन अकाउंट में ऐसा नहीं है और एक ही पासवर्ड से काम चल जाएगा।

साथ ही अगर आप ऑन लाइन अकाउंट से किसी ट्रेडिंग अकाउंट में धन ट्रांसफर करना चाहते लेकिन हो सकता है संबंधित बैंकिंग का सर्वर काम नहीं कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपका काम रूक जाएगा और तत्काल नहीं हो जाएगा लेकिन श्री इन वन अकाउंट में इस तरह की समस्या नहीं आती है।

रिवर्स मॉर्गेज (Reverse Mortgage)

रिवर्स मॉर्गेज अपने आप में एक ऐसी अवधारणा है जिसमें बैंक किस्त लेने के बजाय आपको किस्त देता है। दरअसल यह योजना विशेष रूप से वृद्ध लोगों के लिए बनाई गई है।

मान लिया रिटायर होने के बाद आप नियमित रूप से आय चाहते हैं तो आपके लिए यह योजना बहुत लाभदायक साबित हो सकती है। इसमें बैंक के पास संपत्ति गिरवी रखी जाती है और बैंक आपको आगे के जीवन के लिए नियमित रूप से ईएमआई जारी करता है।

मान लिया आप इस समय 60 साल के हैं और आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो बैंक आपको मकान को गिरवी रख लेगा और उसके बदले में आपके नियमित रूप से किस्त का भुगतान करता रहेगा। जब आप नहीं रहेंगे तो बैंक उस संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वसूल कर लेगा। इसमें यह व्यवस्था भी है कि अगर आपकी संपत्ति बैंक के कर्ज से ज्यादा है तो बकाया पैसा आपके वारिस को लौटा दिया जाएगा।

साथ ही इस योजना में इस बात की व्यवस्था भी की गई है कि अगर आपका वारिस चाहे तो बैंक के पैसे वापस लौटा कर अपनी संपत्ति वापस ले सकता है। अगर आपकी संपत्ति की कीमत ज्यादा है तो यह कर्ज एक करोड़ रूपए से ज्यादा भी हो सकता है। हालांकि अगर कर्ज लेने वाला खुद चाहे तो अपना कर्ज चुकाकर अपनी संपत्ति को वापस ले सकता है। साथ ही इसमें कोई रिपेमेंट पेनाल्टी या फीस भी नहीं लगती है।

ईएमआई (EMI)

बैंक या वित्तीय संस्थाओं से जब आप कर्ज लेते हैं तो पैसे चुकाने के लिए वे आपको कर्ज पैसों को किस्तों में चुकाने की सुविधा देते हैं। इसके लिए एक राशि तय कर दी जाती है और एक अवधि भी। ईएमआई का पूरा फार्म होता है- इक्वेटेड मंथली इंस्टालमेंट। इसके तहत आपको एक राशि देनी होती है जिसमें मूल धन और ब्याज दोनों ही होते हैं। इसे एक तयशुदा अवधि में चुकाना होता है। लेकिन अगर इसी बीच ब्याज दर बढ़ जाती है तो अवधि भी बढ़ जाती है।

यानी आपको ज्यादा समय तक ईएमआई चुकाना पड़ता है। कर्ज चुकाने का यह सबसे सुविधाजनक तरीका है।

डिजिटल मनी (Digital Money)

आजकल हर ओर डिजिटल मनी के चर्चे हैं और इसके बढ़ते इस्तेमाल की बातें की जा रही हैं। दरअसल डिजिटल मनी कागजी मुद्रा से बिल्कुल अलग है और इसमें नकदी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। यह कंप्यूटर या स्मार्टफोन या फिर क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट के जरिये इधर से उधर होता है। यह नकदी में तभी बदलेगा जब कोई एटीएम या ऐसी मशीन का इस्तेमाल करेगा। डिजिटल मनी के ट्रांसफर या रखने-रखाने का काम वित्तीय सेवा कंपनियाँ करती हैं। वे इसे लेन देन का माध्यम बनती हैं। डिजिटल मनी के जरिये ऑनलाइन बैंकिंग आसानी से संभव है। इसमें नकदी के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होती तथा बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती।

मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking)

मोबाइल बैंकिंग का सामान्य सा मतलब यह हुआ है आपका अकाउंट हमेशा आपके साथ-साथ गतिमान रहता है। आज की दौड़ती-भागती जिंदगी में मोबाइल बैंकिंग आपकी दिक्कतों को कम करने में मददगार साबित हो रही है। खासकर कारोबारियों के लिए तो यह बहुत जरूरी है। कारोबारियों को दिनभर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन की जरूरत पड़ती है।

अगर वह बैंक जाकर सारा कामकाज करना चाहे तब उसका आधा दिन यूँ ही खराब हो जाएगा। दिनभर के व्यस्त कार्यक्रम के दौरान आप कहीं भी खड़े होकर मोबाइल बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। आप मोबाइल बैंकिंग का लाभ कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में और कभी भी उठा सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग आपके मोबाइल के द्वारा एसएमएस या वेप के जरिये ऑपरेट होता है। मोबाइल बैंकिंग का ही एक छोटा सा हिस्सा एसएमएस बैंकिंग है।

आजकल ज्यादातर खाताधारी जिन्होंने मोबाइल बैंकिंग या एसएमएस बैंकिंग के विकल्प का आवेदन दिया होता है, उन्हें एटीएम या अकाउंट से किसी भी प्रकार के लेनदेन की सूचना मोबाइल पर एसएमएस के जरिये उपलब्ध कराई जाती है। इसका सीधा फायदा यह होता है कि आपके अकाउंट में कितनी रकम शेष है और कितना पैसा कहां किस मद में निष्कासित हो रहा है, आपको उसकी पल-पल जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

मोबाइल बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर में आज की तारीख में बहुत ज्यादा मांग वाली विषयवस्तु है। यह भविष्य में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के सिस्टम को हस्तान्तरित कर देगा। मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करने वालों में से 85-90 फीसदी क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। यह ठीक-ठीक एटीएम की तरह ही होता है। यह इस्तेमाल करने में बेहद सुविधाजनक और सस्ता है।

एटीएम की तुलना में इससे बैंक के ऑपरेशनल खर्च में कमी आ जाती है। इसका लाभ बिल पैमेंट करने, फंड ट्रांसफर करने और बैलेंस चेक करने आदि में किया जाता है। कोरिया में मोबाइल फोन में दो सिम का इस्तेमाल किया जाता है। एक सिम टेलीफोन के लिए दूसरा बैंकिंग के लिए। बैंकिंग अकाउंट डाटा स्मार्ट कार्ड चिप पर उपलब्ध होता है। वर्ष 2004 में बैंक ऑफ कोरिया में 33 लाख ट्रांजेक्शन मोबाइल बैंकिंग के जरिये हुआ था। जाहिर सी बात है कि इसमें बढ़ोतरी ही हुई होगी।

डीमैट अकाउंट (Demat Account)

डीमैट का मतलब होता है डीमैटेरीलाइज्ड अकाउंट। इसके तहत कंपनियों के शेयरों को फिजिकल फॉर्म में रखने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। यानी कागज से छुटकारा।

डीमैट अकाउंट के लिए देश भर में कई संस्थाओं को अधिकृत किया गया है। इनमें सरकारी और प्राइवेट बैंक भी हैं इन्हें डिपॉजिटरी कहते हैं। आपको वहां बैंक अकाउंट की तरह ही खाता खोलना पड़ता है। इसके बाद जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो वे आपके पास आने की बजाय उस डिपॉजिटरी में जमा हो जाएंगे। आपको बस डीमैट अकाउंट नंबर देना होगा। डिपॉजिटरी एक बैंक की तरह काम करेगा और आपके आदेशानुसार आपके शेयरों की खरीद-बिक्री करेगा।

किसी भी व्यक्ति के लिए डीमैट अकाउंट खोलना बड़ा आसान है। उसे किसी डिपॉजिटरी में जाकर फार्म भरना होगा। इसके बाद उसका अकाउंट खुल जाएगा और उसे एक खाता नंबर और डीपी आई डी नंबर मिल जाएगा। ज्यादातर बैंकों और ब्रोकरेज हाउसेज ने डिपॉजिटरी खोल रखे हैं।

पॉइंट्स ऑफ सेल (Points of Cell)

‘पाइंट ऑफ सेल’ से तात्पर्य ऐसी दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों एवं पेट्रोल पम्पों आदि से है जहाँ खरीदारी करके बैंक के डेबिट कार्ड को ‘स्वाइप’ करके भुगतान करने की सुविधा है। आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसी दुकानों/प्रतिष्ठानों से एक दिन में अधिकतम एक हजार रूपए तक की नकद निकासी की सुविधा अपने ग्राहकों को प्रदान की है।

‘पाइंट ऑफ सेल’ से नकद धन निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी वर्ष 2010 में ही प्रदान कर दी थी तथा यह सुविधा उपलब्ध कराना या न कराना बैंकों के ऊपर छोड़ दिया था।

रेपो दर (Repo Rate)

अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु (ओवर-नाइट हेतु भी) जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, ‘रेपो दर’ कहलाती है।

रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)

अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है ‘रिवर्स रेपो दर’ कहलाती है। सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ी ब्याज दरों पर कॉमर्शियल बैंकों को अल्प अवधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक में जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

बचत बैंक दर (Savings Bank Rate)

बैंक ग्राहकों की छोटी-छोटी बचतों पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को ‘बचत बैंक दर’ कहा जाता है।

जमा दर (Deposit Rate)

बैंक ग्राहकों की सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज की दर को ‘जमा दर’ कहा जाता है।

नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio)

किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह (प्रतिशत) भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, ‘नकद आरक्षित अनुपात’ कहा जाता है। इसकी दर जितनी ऊँची होती है, बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है।

वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio)

किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह (प्रतिशत) भाग जो नकद स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था निर्धारित की गई है।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio)

वह न्यूनतम पूँजी जिसे एक बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था को अपने पास रखना चाहिए, खासकर तब जब वह किसी व्यापारिक सम्पत्ति का सृजन करती हो, पूँजी पर्याप्तता कहलाती है, जबकि पर्याप्तता अनुपात जोखिम भारित सम्पत्तियों के साथ पूँजी का अनुपात प्रदर्शित करता है।

माइकर कोड (Miker Coad)

‘मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉगनीशन’ कोड सामान्यतया 9 अंकों का कोड है, जो सभी बैंकों के चेक के निचले हिस्से में छपा रहता है। इसमें पहले 3 अंक बैंक शाखा के शहर के नाम, अगले 3 अंक बैंक के नाम तथा आखिरी 3 अंक बैंक ब्रांच की पहचान के लिए दिए रहते हैं।

IFSC कोड (IFSC Code)

‘इण्डियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड’ जो सामान्यतया 11 अंकों का प्रत्येक बैंक के चेक पर छपा होता है। इसमें पहले 4 अक्षरों में बैंक का नाम, एक शून्य तथा अन्तिम 6 अंकों में बैंक ब्रांच से सम्बन्धित विवरण अन्तर्निहित होता है।

NEFT प्रणाली (NEFT System)

इंटरनेट के माध्यम से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर के द्वारा लिखित चेक के स्थान पर 1 लाख रूपए से कम धनराशि को एक बैंक से उसी तथा अन्य बैंक के खाते में खाताधारक द्वारा स्वयं ही स्थानान्तरित किया जा सकता है।

RTGS प्रणाली (RTGS System)

सामान्यता 1 लाख रूपए से अधिक की धनराशि को खाता धारक द्वारा स्वयं इंटरनेट के माध्यम से रीयल टाइम ग्राँस सैटिलमेंट विधि से किसी भी खाताधारक के किसी भी बैंक के खाते में त्वरित रूप से भेजा जा सकता है।

ECS प्रणाली (ECS System)

इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम योजना के माध्यम से बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उसके द्वारा आदेशित किसी भी संस्था/व्यक्ति के खाते में नियमित रूप से अन्तरित की जाने वाली धनराशि को बिना पेपर चेक काटे हुए स्वतः अन्तरण की सुविधा प्रदान की जाती है।

नेट बैंकिंग (Net Banking)

इंटरनेट एवं कम्प्यूटर की सहायता से घर बैठे बैंकिंग के कार्यों का संचालन किया जाता है। इस प्रक्रिया को नेट बैंकिंग कहते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से

ग्राहक अपने कम्प्यूटर का उपयोग कर अपने बैंक नेटवर्क और वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। नेट बैंकिंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी घर बैठे या ऑफिस से बैंक सर्विस का लाभ उठा सकता है।

तकनीकी दुरुपयोग के कारण नेट के जालसाज एकाउंट को हैक कर बैंक के ग्राहक को हानि पहुँचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि नेट बैंकिंग के उपयोग में सतर्कता बरती जाए। नेट बैंकिंग की 50% वेबसाइट असुरक्षित होती है। अतः ग्राहक साइट खोलने से पहले यू आर एल और डोमेन का चेक करें और देखें कि यह उसी बैंक के यू आर एल और डोमेन की तरह हों। इससे आप आश्वस्त हो जाएंगे कि आप सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं।

यदि आप नेट बैंकिंग के लिए इंटरनेट कैफे का उपयोग कर रहे हों, तो अपने पासवर्ड को बदल लें। इससे आप सुरक्षित हो जाएंगे। पासवर्ड को किसी पेपर पर न लिखें, इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। अपनी सिस्टम पर स्क्रीन सेवर पासवर्ड डाल दें, जिससे आपके सिस्टम का उपयोग कोई अन्य नहीं कर सके।

चालू खाते पर बकाया (Balance on Current A/c)

किसी देश के भुगतान सन्तुलन के चालू खाते (आयात-निर्यात का पण्य व्यापार, जहाजरानी, बैंकिंग, पर्यटन, बीमा, अनिवारियों द्वारा विदेशी निधियों के अन्तरण) के लेन-देन का चालू खाते के बकाया पर नाम एवं जमा में दर्शाया जाता है।

संदर्भित दर तथा प्रमुख उधारी दर (Prime Lending Rate-PLR)

संदर्भित, दर, पूँजी बाजार का निर्धारण करती है। यह दर न्यूनतम दर होती है, जिस पर पूँजी बाजार में उधार लिया या दिया जाता है। बाजार में प्रचलित ब्याज दर, जिस पर सामान्यतया समझौता होता है, संदर्भित दर से ऊँची होती है। इसके द्वारा ब्याज दर में होने वाला परिवर्तन निर्देशित होता है। विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न नामों से संदर्भित दरों को जाना जाता है। अमेरिका में Feds Funds Rate, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट इन्टर बैंक ऑफ़र्ड रेट (FIBOR), जापान में टोकियो इन्टर बैंक ऑफ़र्ड रेट (TIBOR), लन्दन में लन्दन इन्टरबैंक ऑफ़र्ड रेट (LIBOR) इत्यादि।

प्रमुख उधारी दर (Prime Lending Rate-PLR) वह ब्याज दर होती है, जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय (विश्वसनीय) ग्राहक को ऋण देता है। (विश्वसनीयता से तात्पर्य है जिसमें जोखिम शून्य हो) PLR एक प्रकार से आधार ब्याज दर की भूमिका अदा करता है। इसी PLR आधार पर अन्य उद्यमियों को ऋण प्रदान किया जाता है। यह दर एक प्रकार से आधारित ब्याज दर के रूप में कार्य करती है।

अदृश्य मदें (Invisible Items)

विदेशी लेन-देन के चालू खाते में निजी अन्तरण, सॉफ्टवेयर आयात-निर्यात से जुड़े लेन-देन, पर्यटन से जुड़े लेन-देन, निवेश भुगतान एवं विविध सेवाओं से जुड़े लेन-देन अदृश्य मदों के अन्तर्गत आते हैं।

पी.ए.एन. (Permanent Account Number-PAN)

परमानेंट एकाउण्ट नम्बर या स्थायी लेखा संख्या आयकर दाताओं को आवंटित एक ऐसी संख्या है जिससे उसके धारक द्वारा किसी वर्ष में प्राप्त की गई आय एवं अन्य लेन-देन, जिनमें पी.ए.एन. का उल्लेख करना अनिवार्य है, का लेखा-जोखा रखा जाता है ताकि कर अपवंचन को रोका जा सके।

प्लास्टिक मना (Plastic Money)

प्लास्टिक मनी से तात्पर्य विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कम्पनियों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्डों से है, भारत के लगभग सभी महानगरों में क्रेडिट कार्डों का चलन बढ़ रहा है इनसे हवाई जहाज की टिकट, कपड़े, सामान आदि खरीदे जा सकते हैं। अब तो बाजार में पेट्रोल कार्ड तक आ गए हैं जिनसे ग्राहक पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल/डीजल का भुगतान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं।

गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्तियाँ (Non-performing Assets)

गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्तियाँ बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित वे ऋण हैं जिनके मूलधन एवं उस पर देय ब्याज की वापसी समय से नहीं हो पाती या बिल्कुल नहीं हो पाती।

सामान्यतया बैंकों द्वारा वितरित ऐसे सभी ऋण और उस पर देय ब्याज गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनमें किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन तथा ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक दिनों तक रोक लिया जाता है।

ग्रामीण आधारिक अवसंरचना विकास निधि (RIDF)

ग्रामीण आधारिक अवसंरचना से सम्बन्धित चालू परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए राज्य सरकारों तथा राज्य स्वामित्व वाले निगमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने 1995-96 में ग्रामीण आधारिक अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की थी। अब तक इसकी 15 शृंखलाएँ (RIDF-XV) पूरी की जा चुकी हैं।

बजट (Budget)

किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष की अनुमानित आय-व्यय का लेखा-जोखा बजट कहलाता है। सरकार का बजट अब केवल आय-व्यय का विवरण मात्र ही नहीं होता, अपितु यह सरकार के क्रियाकलापों एवं नीतियों का विवरण भी है। यह आधुनिक काल में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बन गया है।

बफर स्टॉक (Buffer Stock)

आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है।

नेट एसेट वैल्यू (NAV)

म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए 'एन.ए.वी.' शब्द एक पहेली की तरह है। इसका पूरा नाम 'नेट एसेट-वैल्यू' है। अगर फंड की कुल निवेश वैल्यू में कुल यूनितों का भाग दे दिया जाए तो 'एसेट वैल्यू' निकलती है, मसलन किसी फंड में 1 लाख रूपए जमा हुए। इसमें से फंड हाउस ने 90 हजार निवेश किए। इस निवेश की वैल्यू रोज निकाली जाती है। अब मान लें इसकी वैल्यू 1,80,000 है। इसके अलावा 10 हजार रूपए फंड हाउस के पास नकद बचे हैं। यानि फंड की कुल वैल्यू हुई 1,90,000 अब देखा जाता है कि इस योजना की कितनी यूनितें जारी हुई हैं। अगर योजना में 10 लोगों ने 10-10 हजार रूपए लगाए तो कुल 10 हजार यूनितें जारी हुईं। मानकर चलते हैं कि यूनितों की संख्या नहीं बदलती है, तो अब फंड की 'एनएवी' 190000/10000 = ₹19 होगी।

डी-मैट अकाउंट (Demat Account)

यह एक प्रकार का बैंक खाता है जिसमें रूपयों की जगह शेयर व बॉण्ड रखे जाते हैं। इस खाते में रूपए का लेन-देन नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है तो उसे डी-मैट खाता खुलवाना जरूरी है। 'सेबी' के नियमों के मुताबिक अगर आपको शेयर बाजार में खरीद-फरोख्त करनी हो, तो वह 'डी-मैट' खाते के जरिए ही हो सकती है। यही नहीं अगर किसी कम्पनी के 'आईपीओ' में निवेश करना हो, तो भी डी-मैट खाता जरूरी है। डी-मैट खाता खुलवाने पर बैंक या ब्रोकर पैसा लेता है। यह खाता शेयर के न होने पर बन्द नहीं होता है। इसके लिए वार्षिक फीस चुकानी पड़ती है।

ग्रोथ, लाभांश तथा निवेश म्यूचुअल फंड (Growth Dividend and Investment Mutual Fund)

म्यूचुअल फंड कम्पनियाँ आमतौर पर अपनी योजनाओं में निवेश के तीन विकल्प देती हैं। पहला है- 'ग्रोथ', इस विकल्प में पैसा लगातार निवेशित रहता है। निवेशक को जब जरूरत होती है वह अपनी यूनिट बेचकर पैसा निकाल सकता है। दूसरा विकल्प है- 'लाभांश', इस विकल्प में म्यूचुअल फंड योजनाएँ समय-समय पर लाभांश घोषित करती है यह लाभांश निवेशक को दिया जाता है। लेकिन जितना पैसा लाभांश, के रूप में दिया जाता है यूनिट का भाव उसी हिसाब से घट जाता है। तीसरा विकल्प होता है- 'लाभांश का पुनः निवेश'। इसमें जितना लाभांश बनता है उतने पैसे की यूनिट निवेशक को जारी की जाती है। ऐसे में फंड की 'एनएवी' (नेटएसैट वैल्यू) तो कम हो जाती है, लेकिन निवेशक की यूनिटें बढ़ जाती हैं। इस प्रकार निवेशक का निवेश लगातार बढ़ता रहता है।

ओपन एंडेड फंड (Open Aided Fund)

इस फंड में निवेशक सीधे निवेश कर सकता है और जिस दिन चाहे अपने निवेश को निकाल भी सकता है। ऐसी योजनाओं का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब शेयर बाजार में भारी गिरावट की आशंका हो, तो निवेशक अपना निवेश निकाल सकता है। यही नहीं अगर जरूरत हो तो पूरा या आंशिक रूप से पैसे निकालने की इजाजत होती है।

क्लोज एंडेड फंड (Closed Aided Fund)

इस फंड में निवेश सिर्फ एनएफओ यानि इसकी शुरुआत में ही होता है। बाद में यह फंड निवेश के लिए बंद रहते हैं, लेकिन अगर निवेशक पैसा निकालना चाहता है, तो उसे कुछ विकल्प दिए जाते हैं। कई बार हफ्ते में एक बार तो कई बार महीने में एक बार पैसा निकालने की इजाजत होती है। इसके लिए दिन या तारीख निश्चित रहती है, अगर यह समय निकल जाता है तो अगली तारीख तक इंतजार करना पड़ता है।

ऑडिट अकाउंट (Adid Account)

'वार्षिक ऑडिट अकाउंट' किसी कम्पनी के बारे में जानकारी एकत्र करने का सर्वोत्तम साधन है। किसी कम्पनी के ऑडिट अकाउंट की जाँच-पड़ताल के बाद उसमें किया गया निवेश फायदेमंद होता है। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रत्येक कम्पनी अपना वार्षिक ऑडिट अकाउंट जारी करती है। यह निवेश के लिए कई जगहों पर उपलब्ध होता है जिससे निवेशक, निवेश से जुड़े तमाम पहलुओं पर जानकारी ले सकता है।

साख संकुचन (Credit Squeeze)

इसका अर्थ है- कम मात्रा में ऋण वितरित करना। जब बैंकों द्वारा अधिक ऋण दे दिया जाता है, तो बाजार में मुद्रा बढ़ जाती है। इससे वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ने लगती हैं और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। इसे रोकने के लिए केन्द्रीय बैंक द्वारा 'साख संकुचन' की विधि अपनाई जाती है।

फ्लोटिंग ऑफ करेन्सी (Floating of Currency)

किसी मुद्रा की विनिमय दर को स्वतन्त्र छोड़ देना, ताकि माँग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर वह अपना नया मूल्य स्वयं तय कर सके।

कस्टम्स ड्यूटी (Customs Duty)

इसे सीमा शुल्क कहते हैं। कस्टम्स ड्यूटी वह कर है, जो आयात व निर्यात की वस्तुओं पर लगाया जाता है।

एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty)

उस कर को एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, जो देश के अन्दर निर्मित वस्तुओं पर उत्पादन बिन्दु पर ही लगाया जाता है। इसे 'उत्पाद शुल्क' कहते हैं।

अवमूल्यन (Devaluation)

यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है, तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है।

विमुद्रीकरण (Demonetization)

जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अन्तर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है। जिनके पास काला धन होता है, वह उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है।

मुद्रा संकुचन (Deflation)

जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है, वह अवस्था 'मुद्रा संकुचन' कहलाती है।

ऐस्टेट ड्यूटी (Estate Duty)

किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समय जो कर उस सम्पत्ति पर लगाया जाता है, उसे 'ऐस्टेट ड्यूटी' कहते हैं।

उपहार कर (Gift Tax)

किसी उपहार के देने पर जो कर लगाया जाता है वह 'उपहार कर' कहलाता है। यह एक प्रत्यक्ष कर है।

स्वर्णमान (Gold Standard)

जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है अथवा मुद्रा का मूल्य सोने में मापा जाता है, तो इस मौद्रिक व्यवस्था को 'स्वर्णमान' कहते हैं। अब किसी देश में स्वर्णमान नहीं है।

हॉट मनी (Hot Money)

उस विदेशी मुद्रा को हॉट मनी कहते हैं, जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की सम्भावना होती है, वहीं यह स्थानान्तरित हो जाती है।

विधिग्रह मुद्रा (Legal Tender Money)

जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, उसे 'विधिग्रह' मुद्रा कहते हैं। भारत की विधिग्रह मुद्रा रूपया है।

सीमित कम्पनी (Limited Company)

उस कम्पनी को कहते हैं। जिसमें हर शेयर होल्डर का दायित्व अपने अंशदान तक ही सीमित होता है।

मोरेटोरियम (Moratorium)

उस अवधि को 'मोरेटोरियम' कहते हैं जिसमें कानून द्वारा ऋणों का भुगतान टाल दिया जाता है।

रिबेट (Rebate)

किसी संस्थान को दिए जाने वाले धन में छूट के रूप में एक निश्चित भाग कम कर दिया जाना 'रिबेट' कहलाता है।

मुद्रा बाजार व पूँजी बाजार**(Money Market and Capital Market)**

जिस प्रकार अन्य वस्तुओं का बाजार होता है, उसी प्रकार मुद्रा का भी बाजार होता है जहाँ मुद्रा का लेन-देन किया जाता है। मुद्रा बाजार के अन्तर्गत उन समस्त व्यक्तियों व वित्तीय संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो अल्पकाल के लिए मुद्रा उपलब्ध कराते हैं। इसके विपरीत पूँजी बाजार में दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है।

ऋणशोधन निधि (Sinking Fund)

नियमित रूप से धनराशि जमा करके तैयार किया गया ऐसा कोष जिससे किसी ऋण का परिपक्वता पर आसानी से भुगतान किया जा सके, शोधन कोष कहलाता है।

प्राइमरी गोल्ड (Primary Gold)

24 केरेट के शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं।

रिफ्लेशन (Reflations)

रिसेशन अथवा मन्दी की अवस्था में अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो और वस्तुओं की माँग बढ़े, इसके परिणामस्वरूप मूल्य स्तर में जो वृद्धि होती है, उसे रिफ्लेशन कहते हैं।

सॉफ्ट करेन्सी (Soft Currency)

जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा की माँग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है, तो ऐसी मुद्रा 'सॉफ्ट लोन' कहलाते हैं।

सॉफ्ट लोन (Soft Loan)

जिस ऋण को कम ब्याज और लम्बी भुगतान अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है, उसे 'सॉफ्ट करेन्सी' कहलाती है।

विक्रेता बाजार (Seller Market)

जब माँग अधिक होती है और पूर्ति कम, तब व्यापारी कमी का लाभ उठाकर वस्तुओं को मनमानी कीमतों पर बेचते हैं। ऐसे बाजार को 'विक्रेता बाजार' कहते हैं।

टैरिफ (Tariff)

किसी देश द्वारा आयतों पर लगाए गए कर को ही प्रायः 'टैरिफ' कहा जाता है।

सम्पत्ति कर (Wealth Tax)

किसी व्यक्ति द्वारा संचित सम्पत्ति के आधार पर लगने वाले कर को सम्पत्ति कर कहते हैं। यह एक प्रत्यक्ष कर है।

अधिविकर्ष (Overdraft)

बैंकों से जमाकर्ता द्वारा अपनी जमा रकम के अतिरिक्त धन निकालना 'अधिविकर्ष' कहलाता है।

विनिमय दर (Exchange Rate)

जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदल जाती है, उसे 'विनिमय दर' कहते हैं।

विवेकीकरण (Rationaliation)

विवेक द्वारा उद्योगों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना विवेकीकरण कहलाता है। इसके अन्तर्गत कार्य का पुनर्विभाजन करना, आधुनिक मशीनों का उपयोग करना तथा व्यर्थ बचे पदार्थों का उपयोग करना शामिल है।

ग्रेशम का नियम (Gresham's Law)

ग्रेशम के अनुसार यदि किसी समय अर्थव्यवस्था में अच्छी व बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में हों, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन में बाहर कर देती है। इसे ही ग्रेशम के नियम के रूप में जाना जाता है।

आर्बिट्रेज (Arbitrage)

इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः विदेशी विनिमय के सन्दर्भ में किया जाता है। स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा बाजारों में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरन्त ही अन्यत्र किसी स्थान पर ऊँचे मूल्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को 'आर्बिट्रेज' कहा जाता है।

अधिकृत पूँजी (Authorised Capital)

पूँजी की वह अधिकतम मात्रा जिस सीमा तक कोई कम्पनी अपने शेयर जारी कर सकती है। यह आवश्यक नहीं कि कम्पनी द्वारा जारी किए गए शेयरों का मूल्य अधिकृत पूँजी के बराबर ही हो। यह अधिकृत पूँजी के बराबर या उससे कम हो सकता है, किन्तु अधिक नहीं।

बैड डैट (Bad Debt)

वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा सम्भव न हो।



बैलेंस शीट (Balance Sheet)

यह एक ऐसा लेखा-पत्र होता है जिसमें किसी व्यापारिक संस्थान के किसी निश्चित तिथि को समस्त आस्तियों व देनदारियों को दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के आधार पर फर्म की वास्तविक वित्तीय स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

जन्म-दर (Birth Rate)

किसी क्षेत्र में किसी वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म-दर कहलाती है।

ब्लू चिप (Blue Chip)

यह शब्द प्रायः उन कम्पनियों के शेयरों के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे शेयरों को खरीदने में हानि की सम्भावना बहुत कम होती है तथा जब चाहे, उचित मूल्य पर इन्हें बाजार में बेचा जा सकता है।

मिश्रित माँग (Composite Demand)

जब कोई वस्तु एक से अधिक उपयोगों में प्रयोग की जाती है, तो ऐसी वस्तु की कुल माँग उसकी विविध उपयोगों हेतु माँग का योग होती है, यह मिश्रित माँग कहलाती है।

लागत प्रेरित मुद्रास्फीति (Cost Push Inflation)

जब वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि होती है एवं मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी मुद्रास्फीति लागत प्रेरित कही जाती है। श्रमिक संघों के दबाव में मजदूरी के स्तर में अनावश्यक वृद्धि से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

बौद्धिक सम्पत्ति (Intellectual Property)

बौद्धिक सम्पत्ति (Intellectual Property) मानव की वह सम्पत्ति कहलाती है, जो उसकी स्वयं की बौद्धिक क्षमता एवं परिश्रम द्वारा तैयार की जाती है। कलात्मक रचनाएँ, वैज्ञानिक आविष्कार, साहित्यिक और संगीतात्मक रचनाएँ, नवीन सिद्धान्त, सूत्र, उपकरण आदि सभी सृजन करने वाले व्यक्ति की बौद्धिक सम्पत्ति है। इस बौद्धिक सम्पत्ति को अन्य व्यक्ति चुराकर कर स्वयं प्रयोग न करे इसके लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'पेटेंट' एवं समान रूप से अन्य कानून बनाए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन (WTO) तथा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (World Intellectual Property Organization) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक सम्पत्ति की सुरक्षा में सहायक होते हैं।

माइक्रो क्रेडिट (Micro Credit)

माइक्रो क्रेडिट या माइक्रो फाइनेंस या सूक्ष्म वित्त छोटी-सी कर्ज राशि होती है, जो कि काफी करीब लोगों को दी जाती है, ताकि वे अपनी जीविका चलाने के लिए छोटा-मोटा काम शुरू कर सकें। सामान्य रूप से उनमें वे लोग शामिल होते हैं, जिनके पास बैंकों से ऋण पाने के बदले गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता। वर्ष 2006 का नोबेल शान्ति पुरस्कार बांग्लादेश में माइक्रो क्रेडिट को बढ़ावा देने वाले मुहम्मद यूनूस और उनके ग्रामीण बैंक को प्रदान किया गया है।

मृत्यु दर (Death Duty)

यह एक प्रत्यक्ष कर है, जो मरने वाले व्यक्ति की सम्पत्ति के हस्तांतरण से पूर्व उत्तराधिकारी को चुकाना होता है।

ऋण परिवर्तन (Debt Conversion)

किसी सार्वजनिक ऋण की परिपक्वता पर यदि सरकार उसका वास्तविक भुगतान न करके उसके स्थान पर दूसरे नये ऋण पत्र जारी कर दे, तो यह प्रक्रिया 'ऋण परिवर्तन' कहलाती है।

मूल्य माँग (Price Demand)

किसी निश्चित मूल्य पर किसी समय में किसी वस्तु की माँगी जाने वाली मात्रा उस मूल्य पर वस्तु की माँग कहलाती है। इसे प्रायः माँग कहा जाता है।

मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति (Disinflation)

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं (जैसे साख-नियंत्रण आदि), उनके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर घटने लगती है, कीमतों में गिरावट आती है तथा रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में यद्यपि मूल्य-स्तर गिरता है, तथापि यह सामान्य मूल्य स्तर से ऊपर ही रहता है।

आर्थिक नियोजन (Economic Planning)

आर्थिक संसाधनों का पूर्व मूल्यांकन करके, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित समय में प्राप्त करने हेतु संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत प्राथमिकताओं का निर्धारण कर लिया जाता है। तथा साधनों का आवंटन उसी के अनुसार किया जाता है।

विनिमय नियंत्रण (Exchange Control)

यह उस व्यवस्था का नाम है जिसके अन्तर्गत कोई देश विदेशी मुद्राओं के स्वतन्त्र बाजार पर नियंत्रण करके अपनी मुद्रा की विनिमय दर को उस दर से भिन्न रखने का प्रयास करता है, जो स्वतन्त्र बाजार में निर्धारित होती है।

गिफिन वस्तुएँ (Giffin Goods)

गिफिन वस्तुएँ कुछ घटिया किस्म की ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करता है। इन वस्तुओं पर माँग का नियम लागू नहीं होता, बल्कि मूल्य में वृद्धि से इनकी माँग बढ़ जाती है तथा मूल्य में कमी से माँग भी कम हो जाती है। इस विरोधाभास को गिफिन का विरोधाभास (Giffin's Paradox) कहा जाता है।

अल्पाधिकार (Oligopoly)

यदि किसी वस्तु के बाजार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम (किन्तु दो से अधिक) होती है जिनके मध्य आपस में कोई समझौता सम्भव हो सकता हो, तो ऐसा बाजार अल्पाधिकार कहलाता है। इस प्रकार के बाजार में वस्तु एकसी भी हो सकती है तथा वस्तु में विभेद भी हो सकता है।

अनुसूचित व्यापारिक बैंक (Scheduled Commercial Banks)

अनुसूचित व्यापारिक बैंक उन बैंकों को कहा जाता है, जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अपनी दूसरी अनुसूची में सम्मिलित कर दिया है। कुछ आवश्यक

शर्तें पूरी करने पर ही रिजर्व बैंक द्वारा किसी बैंक को इस अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है। जैसे बैंक की चुकता पूँजी तथा आरक्षित पूँजी का योग कम-से-कम 5 लाख रूपए होना चाहिए तथा बैंक का संचालन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जमाकर्ता के हित सुरक्षित हों।

प्रारम्भिक जमा तथा व्युत्पन्न जमा (Primary Deposits and Derivative Deposits)

प्रारम्भिक जमा से तात्पर्य उन जमा राशियों से है, जो नकदी अथवा वास्तविक मुद्रा के रूप में जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में जमा की जाती हैं। इस प्रकार की नकद जमा का निर्माण बैंक नहीं करती, इन्हें निष्क्रिय जमा (Passive Deposits) अथवा प्रत्यक्ष जमा (Direct Deposits) भी कहते हैं। इसके विपरीत जब कोई बैंक किसी को ऋण अथवा अग्रिम देता है, तो उस ऋण की राशि को उसके खाते में जमा कर दिया जाता है, इस प्रकार उत्पन्न होने वाली जमा राशियाँ व्युत्पन्न जमा (Derivative Deposits) अथवा साख जमा अथवा गौण जमा (Secondary Deposits) कहलाती हैं। इन्हें सक्रिय जमा (Active Deposits) भी कहते हैं।

शाखा बैंकिंग (Branch Banking)

शाखा बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत किसी बैंक के एक प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त उसकी अनेक शाखाएँ देशभर में फैली होती हैं और कभी-कभी कुछ शाखाएँ देश के बाहर भी होती हैं

इकाई बैंकिंग (Unit Banking)

इसके अन्तर्गत एक बैंक का कार्य साधारणतया एक ही कार्यालय तक सीमित रहता है, यद्यपि एक सीमित क्षेत्र में ये बैंक अपनी कुछ शाखाएँ भी स्थापित कर लेते हैं। इकाई बैंकिंग प्रणाली अमेरिका में अधिक लोकप्रिय रही है।

अग्रणी बैंक अथवा लीड बैंक योजना (Lead Bank Scheme)

यह योजना जिलों की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए 1969 में प्रारम्भ की गई थी। इसके अन्तर्गत जिले के लिए एक बैंक को लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है। जिस बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता है, वह जिला स्तर पर ऋणों की योजना बनाने, विशिष्ट कार्यक्रमों में अन्य बैंकों का सहयोग लेने तथा निश्चित कार्यक्रमों के लिए ऋण जुटाने में सभी वित्तीय संस्थाओं में समन्वय कायम करने का प्रयास करता है।

चेक (Cheque)

चेक एक प्रकार से विनिमय हुण्डी (Bill of Exchange) होती है, जो एक निर्दिष्ट (विशिष्ट) बैंक के ऊपर आहरित होती है तथा माँग पर ही, जिसका भुगतान किया जाता है। चेक में तीन पक्ष होते हैं: (i) भुगतान का आदेश देने वाला, आहर्ता, (Drawer), (ii) जिसको आदेश दिया जाता है (Drawee) अर्थात् बैंक तथा (iii) जो भुगतान प्राप्त करता है अर्थात् चेक का धारक (Payee)।

विनिमय पत्र अथवा विनिमय हुण्डी (Bill of Exchange)

यह एक ऐसा लिखित विपत्र है, जिसमें उसका लेखक अपने हस्ताक्षर कर किसी व्यक्ति को यह शर्तारहित आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या उस विपत्र के वाहक को भुगतान कर दें। विनिमय हुण्डी केवल मुद्रा के रूप में लिखी जाती है अर्थात् इसका भुगतान केवल मुद्रा के रूप में ही होता है, किसी वस्तु जैसे कपड़ा, अनाज, सोना, चाँदी आदि के रूप में नहीं।

सामान्य हुण्डी एवं चेक (Hundi and Cheque)

चेक और हुण्डी में मुख्य अन्तर यह होता है कि चेक सदैव माँग पर ही देय होता है, जबकि कुछ हुण्डियाँ (दर्शनी) माँग पर देय होती हैं और कुछ निश्चित समय या अवधि के बाद।

साधारण या धारक चेक (Bearer Cheque)

जब तक संदेह करने के लिए कोई विशेष कारण न हो, धारक चेक का भुगतान चेक प्रस्तुत करने वाले किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है, भले ही वह चेक उसके नाम में हो अथवा नहीं। ऐसे चेक के भुगतान के लिए चेक जारी करने वाले (Drawer) के ऐसे ही निर्देश होते हैं कि भुगतान चेक के धारक को ही दे दिया जाए।

आदिष्ट चेक (Order Cheque)

जब किसी धारक चेक में से धारक (Bearer) शब्द को काट दिया जाए अथवा उस चेक पर आर्डर लिख दिया जाए, तो वह चेक आदिष्ट चेक बन जाता है। इस चेक का भुगतान करने के लिए बैंक भुगतान लाने वाले व्यक्ति की पहचान करती है। इस औपचारिकता के बाद ही उस चेक का भुगतान किया जाता है।

रेखांकित चेक (Crossed Cheque)

जब चेक के ऊपर प्रायः बाईं ओर दो समानान्तर रेखाएँ बना दी जाती हैं, तो वह चेक रेखांकित चेक बन जाता है। इस रेखांकित चेक का भुगतान बैंक काउंटर पर नकद प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका भुगतान किसी खातों में उसे जमा करा कर ही प्राप्त किया जा सकता है।

पावक खाता चेक (Account Payee Cheque)

जब किसी चेक के प्रायः बाईं ओर ऊपर कोने में दो समानान्तर रेखाओं के मध्य 'Account Payee Only' लिख दिया जाता है, तो उस चेक को पावक खाता चेक कहते हैं। इस चेक का भुगतान केवल उसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान अथवा संस्थान के खाते में जमा करके किया जाता है, जिसके नाम वह चेक लिखा होता है अर्थात् इस प्रकार के चेक का अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।

जब चेक के मुखपृष्ठ पर दो समानान्तर रेखाओं के मध्य किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है, तो यह चेक विशिष्ट रेखांकित चेक बन जाता है, तथा ऐसी

स्थिति में उस चेक का भुगतान केवल उसी बैंक के माध्यम से सम्बन्धित व्यक्ति के खाते में जमा करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

यात्री चेक (Traveller's Cheque)

यात्री चेक किसी बैंक का द्वारा जारी किया गया ऐसा चेक होता है, जिसे जारी करते समय चेक के मुखपृष्ठ पर आवेदक (चेक प्राप्त करने वाला) के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। इस चेक का भुगतान देशभर में सम्बन्धित बैंक की किसी भी शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। चेक भुगतान करने वाली शाखा भुगतान के समय पुनः चेक के मुखपृष्ठ पर धारक के हस्ताक्षर कराती है। दोनों हस्ताक्षर मिलने पर ही यात्री चेक का भुगतान होता है। बैंक द्वारा अधिकृत प्रमुख वाणिज्यिक संस्थान भी यात्री चेक नकद मुद्रा की भाँति स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार के चेक यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि चेक खो जाने पर आवश्यक शर्तें पूरी करके डुप्लीकेट चेक प्राप्त किए जा सकते हैं।

पूर्व दिनांकित चेक (Ante-dated Cheque)

यदि आहरणकर्ता चेक लिखने की तारीख से पहले की कोई तारीख चेक पर लिखता है, तो ऐसे चेक को पूर्व दिनांकित (Ante dated) चेक कहा जाता है।

गतावधि अथवा पुराना चेक (Stale Cheque)

यदि चेक जारी करने की तारीख के बाद वह चेक समुचित अवधि (भारत में छः महीने) के अन्दर भुगतान के लिए प्रस्तुत न किया जाए, तो उसे गतावधि अर्थात् पुराना चेक कहा जाता है। बैंकर ऐसे चेक का आहरणकर्ता द्वारा पुष्टि के बिना भुगतान नहीं करता।

उत्तर दिनांकित चेक (Post-dated Cheque)

यदि किसी चेक का आहरणकर्ता चेक लिखते समय पर कोई आगामी तारीख लिख देता है, तो ऐसे चेक को उत्तर दिनांकित (Post-dated) चेक कहा जाता है। ऐसा चेक विधि-अमान्य तो नहीं होता, अपितु उस तारीख से प्रभावी होता है, जो उसमें लिखी गई है।

ड्राफ्ट (Draft)

यह एक ऐसा साख प्रपत्र है, जिसमें किसी बैंक द्वारा अपनी किसी अन्य शाखा को पावक (Draft) के आदेशानुसार ड्राफ्ट में उल्लिखित धनराशि माँग पर भुगतान करने का आदेश होता है। ड्राफ्ट किसी बैंक द्वारा पहले से भुगतान प्राप्त करके जारी किया जाता है तथा जिस व्यक्ति अथवा संस्था के नाम ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसकी पहचान करने के बाद इसका भुगतान कर दिया जाता है। ड्राफ्ट भी चेक की भाँति रेखांकित अथवा आरेखांकित हो सकता है।

समाशोधन गृह अथवा क्लीयरिंग हाउस (Clearing House)

समाशोधन गृह अथवा क्लीयरिंग हाउस प्रायः प्रत्येक ऐसे शहर में होता है, जहाँ 3-4 अथवा उससे अधिक बैंक होती हैं। क्लीयरिंग हाउस वह स्थान है जहाँ विभिन्न के प्रतिनिधि प्रतिदिन एकत्र होते हैं। इस स्थान पर उन प्रतिनिधियों के

मध्य चेकों का आदान-प्रदान तथा जमा-खर्च होता है। इस प्रकार यहाँ हजारों चेकों का लेन-देन बहुत ही सरलता से तथा थोड़े समय में ही सम्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को समाशोधन (Clearing) कहते हैं। भारत में जिन शहरों में रिजर्व बैंक की शाखा है, वहाँ रिजर्व बैंक में ही समाशोधन गृह होता है। जिन शहरों में रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है, वहाँ स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में समाशोधन गृह होता है।

बैंकिंग एवं आर्थिक संक्षिप्तीकरण (Banking and Financial Abbreviation)

A	
A/C	अकाउंट
ABO	एक्यूमुलेटेड बेनेफिट ऑब्लिंगेशन
ABP	ऑटोमैटिक बिल पेमेंट
ACF	ऑटो-कोरिलेशन फंक्शन
ACH	ऑटोमैटेड क्लीयरिंग हाउस
AD	ऑथोराइज्ड डीलर
ADB	एशियन डेवलपमेंट बैंक
ADR	अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट
AERA	एयरपोर्टस् इकोनॉमिक रेग्युलेटरी अथॉरिटी
AFPPD	एशियन फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियन्स ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट
AFS	एन्युअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट
AFS	अवेलेबल फॉर सेल
AG	एकाउन्टेन्ट जनरल
AGM	एन्युअल जनरल मीटिंग
AIRCSC	ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी
AITUC	ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस
ALM	असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट
AO	एडिटिव आउटलॉयर्स
APEC	एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन
APR	एन्युअल पर्सेंटेज रेट
APY	एन्युअल पर्सेंटेज यील्ड
AR	ऑटो रीग्रेशन
ARIMA	ऑटो रिग्रेसिव इंटेग्रेटेड मूविंग एवरेज
ARM	एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज
ASEAN	एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स
ASSOCHAM	एसोसियेटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
ATM	एसिनक्रोनस ट्रांसफर मोड
ATM	ऑटोमैटेड टैलर मशीन
B	
BER	बैंक एक्सचेंज रेट
BIFR	बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड रिकन्स्ट्रक्शन (औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड)
BIS	बैंक फॉर इंटरनेशनल सैटलमेंट्स
BIS	ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स/ब्रिटिश इनफॉर्मेशन सर्विस
BOP	बैलेंस ऑफ पेमेंट्स
BPMS	बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मैनुअल फिफ्थ एडिशन
BPSD	बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डीविजन, डीइएसएसीएसए, आरबीआई

BRS	बेस रेट सिस्टम
BCBS	बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन
BSR	बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स
C	
CAD	कैपिटल अकाउंट डेफिसिट
CAER	सेंटर फॉर असेसमेंट इवैल्यूएशन एंड रिसर्च
CAG	कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया
CBDT	सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट टैक्सेज
CBS	कन्सोलिडेटेड बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स
CC	कैश क्रेडिट
CCB	क्रेडिट कार्ड बिजनेस
CCG	क्रेडिट कार्ड ग्रीबेंसिज
CD	सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट
CD Ratio	क्रेडिट डिपॉजिट रेश्यो
CDBS	कमेटी ऑफ डायरेक्शन ऑन बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स
CF	कंपनी फाइनेंस
CFRA	कंबाइंड फाइनेंस एंड रिवेल्यूशन अकाउंट
CGRA	करेंसी एंड गोल्ड रिवेल्यूशन अकाउंट
CIBIL	क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड
CII	कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री
CO	कैपिटल आउटले
CP	कॉमर्शियल पेपर
CPI	कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स
CPI-IW	कन्ज्यूमर प्राइम इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्क्स
CR	कैपिटल रिसिप्ट
CRAR	कैपिटल टू रिक्स वेटेड असेट रेश्यो
CRISIL	क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड
CRR	कैश रिजर्व रेश्यो
CSIR	काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
CSO	सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन
CVC	सेंट्रल विजिलेंस कमीशन
CVV	कार्ड वेरीफिकेशन वैल्यू
D	
DAP	डेवलपमेंट एक्शन प्लान
DBOD	डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट
DBS	डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, आरबीआई
DCA	डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स
DCB	डिमांड कलेक्शन एंड बैलेंस
DCCB	डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक
DCM	डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट (आरबीआई)

DD	डीमांड ड्राफ्ट
DDS	डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स
DEIO	डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑपरेशंस
DESACS	डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर सर्विसिज
DGBA	डिपार्टमेंट ऑफ गवरमेंट एंड बैंक अकाउंट्स, आरबीआई
DGCI&s	डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टेटिस्टिक्स
DI	डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
DICGC	डिपॉजिट इश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
DID	डिस्चार्ज ऑफ इंटरनल डेट
DIN	डॉक्यूमेंट आईडेंटिफिकेशन नंबर
DMA	डिपार्टमेंट लाइज्ड मिनीस्ट्रीज अकाउंट
DRI	डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटररेस्ट स्कीम
DSBB	डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड बुलेटिन बोर्ड
DVP	डिलीवरी सर्विज पेमेंट

E

ECB	यूरोपियन सेंट्रल बैंक
ECB	एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉरोइंग
ECGC	एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन
ECS	इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम
EDMU	एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट यूनिट
EEA	एक्सचेंज इक्वलाइजेशन अकाउंट
EEC	यूरोपियन इकोनॉमिक कम्यूनिटी
EEC	यूरोपियन इकोनॉमिक कम्यूनिटी
EEPC	एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी
EFR	एक्सचेंज फ्लकचुएशन रीजर्व
EMD	अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट
EMI	इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट
EPF	एमप्लॉइज प्रोविडेंट फंड
EPIP	एक्सपोर्ट प्रोमोशन इंडस्ट्रियल पार्क
EPZ	एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन
EUR	यूरो
EWP	अर्ली विद्ड्रॉल पेनल्टी
EXIM Bank	एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया

F

FAO	फूड एण्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन
FAT	फाइनेंशियल एक्टिविटीज टैक्स
FCA	फॉरेन करेंसी असेट्स
FCCB	फॉरेन करेंसी कंवर्टिबल बॉण्ड
FCNR(B)	फॉरेन करेंसी नॉन रेजीडेंट (बैंक्स)
FCNRA	फॉरेन करेंसी नॉन रेजीडेंट अकाउंट

FCNRD	फॉरेन करेंसी नॉन रिपैटरियेबल डिपॉजिट
FCS	फॉरेन करेंसी सरचार्ज
FDI	फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
FEMA	फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट
FERA	फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट
FI	फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
FI	फाइनेंशियल इनक्लूजन
FICCI	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
FII	फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर
FIIA	फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंप्लीमेंटेशन ऑथोरिटी
FIMMDA	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरीवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
FIPB	फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड)
FISIM	फाइनेंशियल इंटरमिडिएशन सर्विसेज इन्डायरेक्टली मेजर्ड
FLAS	फॉरेन लाइबिलिटीज एंड असेट्स सर्वे
FOF	फ्लो ऑफ फंड्स
FPI	फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट
FRA	फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट
FRBM	फिस्कल रिस्पॉसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, 2003
FRM	फिक्स्ड रेट मॉर्टगेज
FRN	फ्लोटिंग रेट नोट
FSS	फार्मर्स सर्विसेज सोसाइटीज
FWG	फर्स्ट वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई

G

GATT	जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एण्ड ट्रेड
GDP	ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
GDR	ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट
GFD	ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट
GFS	गवर्नमेंट फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स
GIC	जनरल इश्योरेंस कॉर्पोरेशन
GNP	ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
GPD	ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट
GPF	जनरल प्रॉविडेण्ड फण्ड
G-Sec	गवर्नमेंट सिक्योरिटीज

H

HDFC	हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन
HFT	हेल्ड फॉर ट्रेडिंग
HICP	हार्मोनाइज्ड इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइसिस
HO	हेड ऑफिस
HUDCO	हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

I

IBPS	इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन
IBRD	इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट
IBS	इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स
ICAR	इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च
ICD	इंटर कॉर्पोरेट डिपोजिट
ICICI	इंस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
ICRA	इंडियास् क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज
IDB	इंडिया डेवलपमेंट बैंड्स
IDBI	इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
IDD	इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट
IFAD	इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट
IFC	इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन
IFC(W)	इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (वाशिंगटन)
IFCI	इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
IFR	इन्वेस्टमेंट फ्लकचुएशन रिजर्व अकाउंट
IFRS	इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड
IFS	इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स
IFSC	इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम कोड
IIBI	इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया
IIP	इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
IIP/InIP	इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन
IMD	इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स
IMF	इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
IN	इंडिया
INR	इंडियन रुपी
IOTT	इनपुट-आउटपुट ट्रांजेक्शन टेबल
IP	इंटरनेट पेमेंट
IR	इंटरनेट रेट
IRBI	इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया
ISDA	इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन
ISIC	इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन
ISO	इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन
ITO	इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
ITPO	इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन
ITRS	इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम
IWGDS	इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन एक्सटर्नल डेट स्टैटिस्टिक्स
K	
KCC	किसान क्रेडिट कार्ड
KVIC	खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन
KYC	नो योर कस्टमर
L	
LAF	लिक्विडिटी एडजेस्टमेंट फेसिलिटी
LAMPS	लार्ज-साइज आदिवासी मल्टीपुर्पज सोसाइटीज

LAS	लोन एंड एडवांसेज बाई स्टेट्स
LBD	लैंड डेवलपमेंट बैंक
LBS	लोकेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स
LBS	लीड बैंक स्कीम
LC	लैटर ऑफ क्रेडिट/लाइन ऑफ क्रेडिट
LERMS	लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम
LIC	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
LTO	लॉग टर्म ऑपरेशन
M	
M1	नैरो मनी
M3	ब्रॉड मनी
MA	मूविंग एवरेज
MC	माइक्रो क्रेडिट
MCA	मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स
MFN	मोस्ट फेवर्ड नेशन
MICR	मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर
MIGA	मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी
MIS	मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम
MMSE	मिनिमम मीन स्क्वार्ड एरर्स
MODVAT	मोडीफाइड वैल्यू एडेड टैक्स
MoF	मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस
MOF	मास्टर ऑफिस फाइल
MRM	मॉनीटरिंग एंड रिव्यू मैकेनिज्म
MSS	मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम
MT	मेल ट्रांसफर
MTM	मार्केट-टू-मार्केट
N	
NABARD	नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट
NAC(LTO)	नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट (लॉग टर्म ऑपरेशन)
NAFTA	नार्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
NAIO	नॉन एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडेपेंडेंट ऑफिस
NAS	नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स
NASSCOM	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज
NBC	नॉन बैंकिंग कंपनीज
NBFC	नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज
NEC	नॉट एल्सवेयर क्लासीफाइड
NEER	नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट
NEFT	नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर
NFA	नॉन फॉरेन एक्सचेंज असेट्स
NFD	नॉन फिसकेल डेफिसिट
NGO	नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन
NHB	नेशनल हाउसिंग बैंक
NIC	नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन
NNML	नैट-नॉन मॉनैट्री लाइबिलिटीज
NOL	नेट ऑपरेटिंग लॉस



NPA	नॉन परफॉर्मिंग असेट्स
NPD	नैट प्राइमरी डेफिसिट
NPRB	नैट प्राइमरी रेवेन्यू बैलेंस
NPV	नैट प्रेजेंट वैल्यू
NR(E)RA	नॉन रेजीडेंट (एक्सटर्नल) रुपी अकाउंट
NR(NR)RA	नॉन रेजीडेंट (नॉन रिपैट्रियेबल) रुपी अकाउंट
NRE	नॉन रेजीडेंट एक्सटर्नल
NREP	नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट प्रोग्राम
NRG	नॉन रेजीडेंट गवर्नमेंट
NRI	नॉन रेजीडेंट इंडियन
NSC	नेशनल स्टेटिस्टिक्स कमीशन
NSSF	नेशनल स्मॉल सेविंग फंड
NSSO	नेशनल सेम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन

O

OD	ओवर ड्राफ्ट
ODA	ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस
OECD	ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट
OECO	ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन
OLTAS	ऑन लाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम
OMO	ओपन मार्केट ऑपरेशंस
OPEC	ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कन्ट्रीज
OSCB	अदर इंडियन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक

P

PAC	पब्लिक एकाउंट्स कमिटी/प्रोविन्शियल आम्ड कौन्सिलर (उत्तर प्रदेश)
PACF	पार्शियल ऑटो-कोरिलेशन फंक्शन
PACS	प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी
PAN	परमानेंट एकाउंट नंबर
PCARDB	प्राइमरी को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक
PD	प्राइमरी डेफिसिट
PDAI	प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
PDO	पब्लिक डेट ऑफिस
PDO-NDS	पब्लिक डेट ऑफिस-कम-नेगोशिएटिड डीलिंग सिस्टम
PDs	प्राइमरी डीलर्स
PES	पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे
PF	प्रोविडेंट फंड
PG	पेमेंट गेटवे
PIN	पोस्टल इन्डेक्स नंबर/पर्सनल आइडेंटिटी नंबर
PIO	पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन
PNB	पंजाब नेशनल बैंक
PO	प्रिंसिपल ऑफिस
PRAN	परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर

PRB	प्राइमरी रेवेन्यू बैलेंस
PSE	पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज
PSL	प्रायरीटी सेक्टर लेंडिंग
PUC	पेड अप केपिटल

Q

QRR	क्विक रिव्यू रिपोर्ट
-----	----------------------

R

RBI	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
RCBI	रूरल को-ऑपरेटिव बैंक इन इंडिया
RD	रेवेन्यू डेफिसिट
RDBMS	रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
RE	रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
REER	रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट
RFC	रेजीडेंट्स फॉरेन करेंसी
RIB	रिसर्जेंट इंडिया बॉर्ड्स
RIDF	रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
RLA	रिकवरी ऑफ लॉस एंड एडवांसेज
RLC	रिपेयरमेंट ऑफ लॉस टू सेन्टर
RLP	रिटेल लोन पोर्टफोलियो
RMB	रेनमिनबी (चीन की मुद्रा)
RNBC	रेजीड्यूरि नॉन-बैंकिंग कंपनीज
RO	रीजनल ऑफिस
RoCs	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज
RPA	रुपी पेमेंट एरिया
RPCD	रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट (आरबीआई)
RR	रेवेन्यू रिसिट
RRB	रीजनल रूरल बैंक
RRR	रिवर्स रेपो रेट
RTGS	रीयल टाइम ग्रॉस सैटलमेंट
RTP	रिजर्व ट्रंच पोजीशन
RUCB	रेगुलेशन ऑफ अरबन को-ऑपरेटिव बैंक
RUF	रिवॉल्विंग अंडरराइटिंग फेसिलिटी
RWA	रिस्क वेटेड असेट

S

SAM	सोशल अकाउंटिंग मैट्रिक्स
SAS	स्टेटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम
SBI	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
SC	शेड्यूल कास्ट
SCARDB	स्टेट को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट
SCB	स्टेट-को ऑपरेटिव बैंक
SCB	शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक
SCS	साइज क्लास स्ट्राटा
SDDS	स्पेशल डेटा डेसिमिनेशन स्टैंडर्ड्स
SDR	स्पेशल ड्राइंग राइट
SEBI	सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया



SEBs	स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स
SFC	स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन
SGL	सब्सिडियरी जनरल लेजर
SGSY	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
SHGs	सेल्फ हेल्प ग्रुप
SIDBI	स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
SIDC	स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
SI-SPA	सिस्टम इंफ्रूवमेंट स्कीम अंडर स्पेशल प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर
SJSRY	स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना
SLR	स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेश्यो
SLRS	स्कीम फॉर लिबरेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ स्केवेन्जर्स
SNA	सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स
SMG	स्टैंडिंग मॉनिटरिंग ग्रुप
SRWTO	स्मॉल रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन
SSI	स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज
SSSBs	स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस एंटरप्राइजेज
ST	शेड्यूल ट्राईब
SWG	सेकंड वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई
T	
TBs	ट्रेजरी बिल्स
TFS	टेकआउट फाइनेंसिंग स्कीम
TT	टेलिग्राफिक ट्रांसफर
U	
UALM	अंडरस्टैंडिंग असैट लाइबिलिटी मिसमैच
UBB	यूनिफार्म बैलेंस बुक
UBD	अरबन बैंक्स डिपार्टमेंट
UCA	अंडरस्टैंडिंग कैपिटल एडीक्वेसी
UCB	अरबन को-ऑपरेटिव बैंक
UCN	यूनिफार्म कोड नंबर
UDI	अंडरस्टैंडिंग डिपॉजिट इश्योरेंस
UNCTAD	यूनाइटेड नेशन्स कान्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट
UNDP	यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम
UNIDO	यूनाइटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
USD	यूएस डॉलर्स
UTI	यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया
UUB	अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल बैंकिंग
V	
VAT	वैल्यू एडेड टैक्स
VBM	वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट
VC	वेंचर कैपिटल

W	
WEF	वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
WGMS	वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई एनालिटिक्स एंड मैथोडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन
WPI	होलसेल प्राइस इंडेक्स
WSS	वीकली स्टेटिस्टिकल सप्लीमेंट
WTO	वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (विश्व व्यापार संगठन)
Y	
YTM	यील्ड टू मैच्योरिटी
Z	
ZBA	जीरो बैलेंस अकाउंट
ZO	जोनल ऑफिस

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)

- निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रत्येक राज्य में बैंकिंग लोकायुक्त की नियुक्ति होती है?
(A) भारत सरकार का समाज-कल्याण मंत्रालय
(B) कम्पनियों के रजिस्ट्रार
(C) भारतीय रिजर्व बैंक
(D) इण्टरनल बैंकिंग
(E) इनमें से कोई नहीं
- भारत के वित्त मंत्री और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में 'फाइनेन्सियल इनक्लूजन' पर जोर दिया है। 'फाइनेन्सियल इनक्लूजन' से इनका मतलब क्या है?
(1) देश के सभी भागों में समाज के सभी वर्गों में बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाना।
(2) सामाजिक कल्याण के उपाय के रूप में बिना किसी लाभार्जन के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को हर प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान उपलब्ध कराना।
(3) इसका अर्थ यह है कि अब से बैंकों को अपनी शाखाएँ केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोलनी चाहिए।
(A) केवल (1) और (2) (B) केवल (2)
(C) केवल (1) और (3) (D) केवल (1)
(E) इनमें से कोई नहीं।
- 'JETRO' का पूरा रूप निम्नलिखित में से कौनसा है?
(A) Joint External Trade Organization
(B) Japan External Trade Organization
(C) Japan Export and Trade Organization
(D) Joint Export and Trade Organization
(E) इनमें से कोई नहीं।
- भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के कुल कितने पदों का प्रावधान है?
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4
(E) इनमें से कोई नहीं।
- झारखण्ड में स्थित झारखण्ड ग्रामीण बैंक निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा प्रायोजित है?
(A) बैंक ऑफ इण्डिया (B) बैंक ऑफ बड़ौदा
(C) इलाहाबाद बैंक (D) भारतीय स्टेट बैंक
(E) इनमें से कोई नहीं।
- निम्नलिखित में से कौनसी कंपनी बीमा व्यवसाय में नहीं है?
(A) ICICI प्रूडेंशियल (B) बजाज एलियांज
(C) टाटा AIG (D) रॉयल ऑर्किड
(E) इनमें से कोई नहीं।
- बहुत बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई कम्पनी सार्वजनिक निर्माण लाने की योजना बना रही है। इसका क्या अर्थ है?
(1) कंपनी के शेयरों/बैंकों/केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों आदि जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के जरिए ही जारी किए जाएंगे।
(2) आम जनता को कंपनी के शेयर प्राथमिक बाजार लके जरिये ही जारी किए जाएंगे।
(3) इसका अर्थ है कुछ हिस्सेदार/प्रवर्तक कम्पनी छोड़ने को तैयार हैं। इसलिए वे अपने शेयर आम जनता को बेचना चाहते हैं।
(A) केवल 1 (B) केवल 2
- (C) केवल 3 (D) केवल 1, 2, व 3 सभी
(E) इनमें से कोई नहीं।
- जब भी कोई व्यक्ति व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश करना चाहे, उसे बैंक से अवश्य सम्पर्क करना पड़ता है। इस बारे में बैंक क्या सेवाएँ देते हैं?
(1) चालू खातों को परिचालित करके, चेकों का भुगतान करके और उनके लिए भुगतान प्राप्त करके बैंक भुगतान एजेंट के रूप में काम करते हैं।
(2) उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए लेखा बहियों का रखरखाव, ताकि उन्हें नियमित आधार पर लेखा/वित्त कर्मचारी नियुक्त न करना पड़े।
(3) व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ओवरड्राफ्ट, किस्तों पर ऋण, कर्जा या अर्गिमें के जरिए धन उधार देना।
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) केवल 1 व 2
(E) इनमें से कोई नहीं।
- इन दिनों बैंक "शाखा रहित बैंकिंग" पर ज्यादा बल दे रहे हैं। वास्तव में इसका क्या अर्थ है?
(1) पुराने अच्छे दिनों की तरह अब बैंकों की ज्यादा शाखाएँ नहीं होंगी, बल्कि शाखाओं की संख्या सीमित होगी और केवल बिनिर्दिष्ट कोर बिजनेस ही करेंगी।
(2) बैंक कई डिलिवरी चैनल आरम्भ करेंगे या चलाएंगे जैसे ATMs, मोबाइल बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग आदि ताकि लोगों को अपनी सामान्य बैंकिंग आदि ताकि लोगों को अपनी सामान्य बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए बैंक में न जान पड़े।
(3) इसका अर्थ है कि रोजमर्रा के सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेनों के लिए बैंक केवल डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे। चेकों/नकद भुगतान की अनुमति नहीं होगी।
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 1 व 2 (D) केवल 2 व 3
(E) इनमें से कोई नहीं।
- निम्नलिखित में से कौनसा बैंक का कार्य नहीं है?
(A) परियोजना वित्त देना
(B) म्युचुअल फण्ड बेचना
(C) CRR/रिपो दर/SLR आदि जैसी नीतिगत दरें तय करना
(D) ग्राहकों की ओर से भुगतानों का निपटान
(E) इनमें से कोई नहीं।
- भारत में निम्नलिखित में से कौनसा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है?
(A) कृषि क्षेत्र (B) औद्योगिक क्षेत्र
(C) परिवहन क्षेत्र (D) बैंकिंग क्षेत्र
(E) इनमें से कोई नहीं।
- NIS का पूर्णरूप क्या है?
(A) नेशनल इन्फेक्शियस डिजीजिज सेमीनार
(B) नेशनल इरीगेशन शेड्यूल
(C) नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल
(D) नेशनल इन्फॉर्मेशन सेक्टर
(E) इनमें से कोई नहीं।

13. दो देशों के बीच वस्तु-विनिमय (एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज) को क्या कहा जाता है?
 (A) व्यापार शेष (B) द्विपक्षीय व्यापार
 (C) व्यापार परिमाण (D) बहुपक्षीय व्यापार
 (E) इनमें से कोई नहीं।
14. विशेष आहरण अधिकार (SDR) निम्नलिखित में से किस संगठनों/एजेंसियों की आरक्षित परिसम्पत्तियों का मौद्रिक यूनिट हैं?
 (A) विश्व बैंक
 (B) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
 (C) एशियाई विकास बैंक (ADB)
 (D) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
 (E) इनमें से कोई नहीं।
15. वित्तीय क्षेत्र में प्रयुक्त 'NBFC' का पूरा रूप क्या है?
 (A) New Banking Finance Company
 (B) National Banking & Finance Corporation
 (C) New Business Finance & Credit
 (D) All of the above
 (E) इनमें से कोई नहीं।
16. 'इंट्रानेट' क्या है?
 (A) सूचना को आन्तरिक रूप से अन्तरित करने के लिए प्रयुक्त आन्तरिक इंटरनेट
 (B) सूचना को बाहरी कम्पनी को अन्तरित करने के लिए प्रयुक्त आन्तरिक इंटरनेट
 (C) किसी एक संस्था की सूचना सम्बन्धी आन्तरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया आन्तरिक नेटवर्क
 (D) सूचनाओं को दो संस्थाओं के बीच अन्तरित करने के लिए डिजाइन किया गया आन्तरिक नेटवर्क
 (E) इनमें से कोई नहीं।
17. बैंकेश्युरन्स-----को बेची जा सकती है।
 (A) सभी बैंकों
 (B) सभी बीमा कंपनियों
 (C) बीमा एजेंटों
 (D) सभी मौजूदा और भावी बैंक ग्राहकों
 (E) इनमें से कोई नहीं।
18. SME ऋण का लक्ष्य समूह है-
 (A) सभी बिजनेसमेन (B) सभी प्रोफेशनल
 (C) सभी (D) उपर्युक्त सभी
 (E) इनमें से कोई नहीं।
19. नाबार्ड (NABARD) है:
 (A) सार्वजनिक क्षेत्र की एक स्वायत्त संस्था
 (B) भारतीय स्टेट बैंक की एक सहायिका
 (C) सार्वजनिक क्षेत्र का एक राष्ट्रीयकृत बैंक
 (D) एक सर्वोच्च कृषि बैंक
 (E) इनमें से कोई नहीं।
20. निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की 'रियायती ऋण देने वाली खिड़की' (Soft Loan Window) के रूप में जाना जाता है?
 (A) आईडीए (IDA) (B) आईएफसी (IFC)
 (C) आईएमएफ (IMF) (D) आईबीआरडी (IBRD)
 (E) इनमें से कोई नहीं।
21. निम्नलिखित में से कौनसी संस्था मूलतः वित्तीय/आर्थिक मामलों से संबंधित नहीं है?
 (A) WTO (B) WHO
 (C) IDA (D) IBRD
 (E) इनमें से कोई नहीं।
22. नाबार्ड (NABARD) की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
 (A) 1982 (B) 1983
 (C) 1984 (D) 1985
 (E) इनमें से कोई नहीं।
23. काले धन को बाहर निकालने के लिए भारत में 1000 रूपए के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किस वर्ष किया गया था?
 (A) 1968 (B) 1978
 (C) 1988 (D) 1998
 (E) इनमें से कोई नहीं।
24. भारत में अग्रणी बैंक (Lead Bank) योजना की शुरुआत निम्नलिखित की अनुशंका पर की गई थी:
 (A) एम. नरसिंहम (B) एफ.के.एफ. नरीमन
 (C) डी.टी. लकड़ावाला (D) वी.एम. दाण्डेकर
 (E) इनमें से कोई नहीं।
25. वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख उधारी दर का निर्धारण किया जाता है:
 (A) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा (B) स्वयं वाणिज्यिक बैंक द्वारा
 (C) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा (D) वित्त मंत्रालय द्वारा
 (E) इनमें से कोई नहीं।
26. सूक्ष्म-वित्त (Micro finance) के लिए भारत में शीर्षस्थ बैंक कौनसा है?
 (A) भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
 (B) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)
 (C) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)
 (D) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
 (E) इनमें से कोई नहीं।
27. लैफर वक्र निम्नलिखित के मध्य का सम्बन्ध प्रदर्शित करता है:
 (A) प्रति व्यक्ति आय तथा पर्यावरणीय प्रदूषण
 (B) बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति की दर
 (C) कर की दर तथा कर राजस्व
 (D) आर्थिक संवृद्धि तथा आय विषमता
 (E) इनमें से कोई नहीं।
28. आधुनिक मुद्रा नहीं है:
 (A) सांकेतिक मुद्रा (Token Money)
 (B) अधिदेश मुद्रा (Fiat Money)
 (C) साख मुद्रा (Fiduciary Money)
 (D) पूर्णकाय मुद्रा (Full Bodied Money)
 (E) इनमें से कोई नहीं।
29. एक नया आवास कीमत सूचकांक रेजिडेक्स (RESIDEX) निम्नलिखित ने जारी किया है:
 (A) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (B) योजना आयोग
 (C) आवास विकास वित्त निगम (D) राष्ट्रीय आवास बैंक
 (E) इनमें से कोई नहीं।
30. बैंकों के चेकों के संसाधन के लिए प्रयोग किया जाता है:
 (A) OCR (B) MICR
 (C) OMR (D) PMR
 (E) इनमें से कोई नहीं।

31. नरसिंहम समिति का संबंध है:
 (A) उच्च शिक्षा सुधारों से (B) कर रचना सुधारों से
 (C) बैंकिंग संरचना सुधारों से (D) नियोजन क्रियान्वयन सुधारों से
 (E) इनमें से कोई नहीं।
32. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए?
 (A) ₹ 85 करोड़ (B) ₹ 115 करोड़
 (C) ₹ 200 करोड़ (D) ₹ 250 करोड़
 (E) इनमें से कोई नहीं।
33. 'स्मार्ट मनी' शब्द का प्रयोग होता है:
 (A) इन्टरनेट बैंकिंग में (B) क्रेडिट कार्ड में
 (C) बैंक में बचत खाता में (D) बैंक में चालू खाता में
 (E) इनमें से कोई नहीं।
34. विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था:
 (A) समाज के कमजोर वर्ग के लिए
 (B) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए
 (C) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के लिए
 (D) बड़े निर्यातकों के लिए
 (E) इनमें से कोई नहीं।
35. भारत में पूँजी निर्माण के आँकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है?
 (A) भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
 (B) भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक
 (C) भारतीय रिजर्व बैंक और सभी वाणिज्यिक बैंक
 (D) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
 (E) इनमें से कोई नहीं।
36. आर. बी. आई. के 'खुले बाजार संचालन' (ओपेन मार्केट ऑपरेशन) से आशय है:
 (A) शेयरों का क्रय और विक्रय (B) विदेशी मुद्रा की नीलामी
 (C) ऋण पत्रों में व्यवसाय (D) सोने का सौदा
 (E) इनमें से कोई नहीं।
37. A.T.M. (Automated Teller Machine) जारी करने वाला पहला बैंक है:
 (A) अमरीकन बैंक (B) सीटी बैंक
 (C) बार्कलेज बैंक (D) एक्सिस बैंक
 (E) इनमें से कोई नहीं।
38. वर्ड बैंक द्वारा चलाया गया शिक्षा का वह अभिमान जो काफी सफल रहा:
 (A) सर्व शिक्षा अभियान (B) बालिका शिक्षा योजना
 (C) गोकुल शिक्षा योजना (D) सर्वधारा शिक्षा योजना
 (E) इनमें से कोई नहीं।
39. बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है:
 (A) ब्याज की बाजार दर (B) निवेश के लिए चुनिंदा उद्योग
 (C) ऋण देने वाले बैंक (D) नकदी आरक्षण अनुपात
 (E) इनमें से कोई नहीं।
40. निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता?
 (A) राष्ट्रीय बचत पत्र (B) दीर्घावधि सरकारी बॉण्ड
 (C) बीमा पॉलिसी (D) भविष्य निधि
 (E) इनमें से कोई नहीं।
41. जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशान्तरण (Migration) की प्रवृत्ति हो, उसे कहते हैं:
 (A) दुर्लभ मुद्रा (Scarce currency)
 (B) सुलभ मुद्रा (Soft currency)
 (C) स्वर्ण मुद्रा (Gold currency)
 (D) गरम मुद्रा (Hot currency)
 (E) इनमें से कोई नहीं।
42. साधारणतया नकदी-कोष अनुपात (Cash Reserve Ratio-CRR) निर्धारित होता है:
 (A) बाजार की शक्तियों के स्वतंत्र व्यवहार (Free Play) द्वारा
 (B) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा
 (C) RBI द्वारा
 (D) तीनों द्वारा मिलकर
 (E) इनमें से कोई नहीं।
43. निम्नलिखित में से कौनसा भारतीय पूँजी बाजार (Indian Capital Market) का अंग नहीं है?
 (A) BSE (B) NSE
 (C) SEBI (D) RBI
 (E) इनमें से कोई नहीं।
44. मुक्त व्यापार क्षेत्र (Free Trade Zone) घोषित किए जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है?
 (A) कांडला (B) सांताक्रुज
 (C) नोएडा (D) फाहटा
 (E) इनमें से कोई नहीं।
45. विश्व के सबसे बड़े बैंकों में से एक आईसीबीसी किस देश का वाणिज्यिक बैंक है?
 (A) अमरीका (B) चीन
 (C) सऊदी अरब (D) स्विट्जरलैंड
 (E) इनमें से कोई नहीं।
46. निम्नलिखित में से कौन परिमाणात्मक साख नियन्त्रण (Quantitative Credit control) का उपाय है?
 (A) नैतिक दबाव (Moral Suasion)
 (B) बैंक दर (Bank Rate)
 (C) उपभोक्ता साख का नियमन
 (D) विशिष्ट प्रतिभूतियों पर मार्जिन अनुपात का निर्धारण
 (E) इनमें से कोई नहीं।
47. आयोजन में 'कोर सेक्टर' का अर्थ है:
 (A) कृषि (B) चयनित आधारभूत उद्योग
 (C) रक्षा उद्योग (D) लोहा एवं इस्पात उद्योग
 (E) इनमें से कोई नहीं।
48. मुद्रा-स्फीति (Inflation) में किसे लाभ होता है?
 (A) बचत कर्ता (Saver) को (B) ऋणदाता (Creditor) को
 (C) ऋणी (Debtor) को (D) पेंशनधारी (Pensionholder) को
 (E) इनमें से कोई नहीं।
49. हीनार्थ प्रबन्धन (Deficit Financing) का प्रत्यक्ष प्रभाव है:
 (A) अतिरिक्त मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, फलस्वरूप कीमतें बढ़ने लगती हैं
 (B) अतिरिक्त मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, फलस्वरूप बाजार और अधिक स्पर्धात्मक हो जाता है
 (C) कीमत स्थिति पर पूर्ण नियन्त्रण होता है
 (D) मांग तथा पूर्ति दोनों में वृद्धि होती है

- (E) इनमें से कोई नहीं।
50. मुद्रा की पूर्ति की निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसे भारत में 'विस्तृत मुद्रा' (Broad Money) कहा जाता है?
- (A) M_1 (B) M_2
(C) M_3 (D) M_4
(E) इनमें से कोई नहीं।
51. अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) वह बैंक होता है जो:
- (A) राष्ट्रीयकृत (Nationalised) हो
(B) अन्तराष्ट्रीयकृत (Not Nationalised) हो
(C) विदेश में हो
(D) आर. बी. आई. की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो
(E) इनमें से कोई नहीं।
52. अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्रव्यता (लिक्विडिटी) बनाये रखने हेतु जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, उसे क्या कहते हैं?
- (A) ब्याज रेट (B) रेपो रेट
(C) बैंक रेट (D) प्रतिवर्ती रेपो रेट
(E) इनमें से कोई नहीं।
53. निम्नलिखित में से कौनसा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है?
- (A) राज्य सहकारी बैंक (B) व्यापारिक बैंक
(C) प्राथमिक ऋण समितियाँ (D) भूमि विकास बैंक
(E) इनमें से कोई नहीं।
54. भूमि विकास बैंक भाग है:
- (A) व्यापारिक बैंकों का (B) आई. डी. बी. आई. का
(C) एफ. सी. आई. का (D) सहकारी साख संरचना का
(E) इनमें से कोई नहीं।
55. आजकल हम वित्त जगत और मुद्रा बाजार में प्रयुक्त शब्द 'डेरिवेटिव' के बारे में समाचार पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौनसा कथन ठीक से बताता है कि डेरिवेटिव क्या है और मुद्रा/वित्त बाजार को कैसे प्रभावित करता है?
- (1) डेरिवेटिव व्यक्तियों और कम्पनियों को वित्तीय जोखिम से सुरक्षा पाने में समर्थ बनाते हैं।
(2) डेरिवेटिव बैंक में सावधि जमा की तरह हैं और बैंक में बेकार पड़े पैसे को निवेश करने का सबसे सुरक्षित तरीका है?
(3) डेरिवेटिव वित्तीय लिखते हैं, भारत में जिनका प्रयोग ब्रिटिश राज्य के दौरान भी होता था।
- (A) केवल 3 (B) केवल 2
(C) केवल 1 (D) 1, 2 और 3 सभी
(E) इनमें से कोई नहीं।
56. बहुत बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी अनुपात/दर में कुछ आधार बिन्दुओं का परिवर्तन या संशोधन किया है। आधार बिन्दु क्या होता है?
- (A) एक सौ बिन्दु का दस प्रतिशत
(B) 1% का सौवाँ हिस्सा
(C) 10% का सौवाँ हिस्सा
(D) 1,000 का दस प्रतिशत
(E) इनमें से कोई नहीं।
57. जिस बाजार में स्टॉक और बॉण्ड जैसी दीर्घावधि प्रतिभूतियाँ बेची और खरीदी जाती हैं, उसे सामान्यतः ----- कहते हैं।
- (A) कमोडिटी एक्सचेंज (B) कैपिटल मार्केट
(C) बुल मार्केट (D) बुलियन मार्केट
(E) इनमें से कोई नहीं।
58. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिया गया निम्न में से कौन-सा निर्णय देश में वित्तीय समावेशन की अवधारणा को बढ़ावा देगा?
- (A) कुछ अतिरिक्त संस्थानों को बिजनेस कार्सपोंण्डेंट के रूप में नियुक्त करना
(B) सेवा देने के लिए ग्राहक से पारदर्शी तरीके से यथोचित सेवा प्रभार वसूल करना
(C) बिना सेवा वाले क्षेत्रों में रोजाना कम-से-कम 50 नए खाते खोलने के लिए बैंकों को कहना
(D) B और C दोनों
(E) इनमें से कोई नहीं।
59. कॉरपोरेट गवर्नेंस से सम्बन्धित मुद्दों पर N.R. नारायण मूर्ति समिति निम्नलिखित में से किसने बनाई थी?
- (A) सेबी
(B) RBI
(C) CII
(D) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
(E) इनमें से कोई नहीं।
60. निम्नलिखित में से कौन-सा संगठन/एजेंसी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) को संकलित और जारी करती है?
- (A) कम्पनी रजिस्ट्रार (B) भारतीय उद्योग परिसंघ
(C) भारतीय रिजर्व बैंक (D) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
(E) इनमें से कोई नहीं।
61. अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी/कुछ बैंक/बैंकों को उनके द्वारा दी गई राशि 'राइट ऑफ़' करनी पड़ती है। बैंकिंग शब्दावली में पद 'राइट ऑफ़' का अर्थ क्या है?
- (A) कागज पर मंजूर ऋण, किन्तु बैंक को इनका प्रावधान अभी करना है ताकि उधारकर्ता धन का आहरण कर सकें
(B) बड़े कॉर्पोरेट ऋण, जिनके लिए बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन लेना पड़ता है
(C) ऐसे ऋण जिसके लिए दस्तावेजीकरण अभी पूरा करना बाकी है
(D) अशोध्य/अवसूलीयोग्य ऋण
(E) इनमें से कोई नहीं।
62. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित बेंचमार्क मूल उधार दर (BPLR) सम्बन्धी कार्य-दल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था ?
- (A) डॉ. के. सी. चक्रवर्ती (B) श्री दीपक मोहंती
(C) श्री आर. भास्करन (D) श्री ओ. पी. भट्ट
(E) इनमें से कोई नहीं।
63. सामान्यतः बैंक को निम्नलिखित में से सम्बन्धित मसलों ----- से निपटना नहीं पड़ता है।
- (A) भुगतान व निपटान प्रणाली
(B) लेनदारों के संविदात्मक अधिकार
(C) बौद्धिक सम्पदा अधिकार
(D) दिवालियापन के मामले
(E) इनमें से कोई नहीं।
64. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (CFSA) ने निम्नलिखित में से भारत में विद्यमान किस कानून में भी कुछ सुधारों की सिफारिश की है?
- (A) कराधान कानून (B) वाणिज्यिक कानून
(C) बैंकारी विनियमन कानून (D) सम्पत्ति कानून